खण्ड-346, अंक-4
शुक्रवार, 28 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(19 सितम्बर, 1980 ई0)

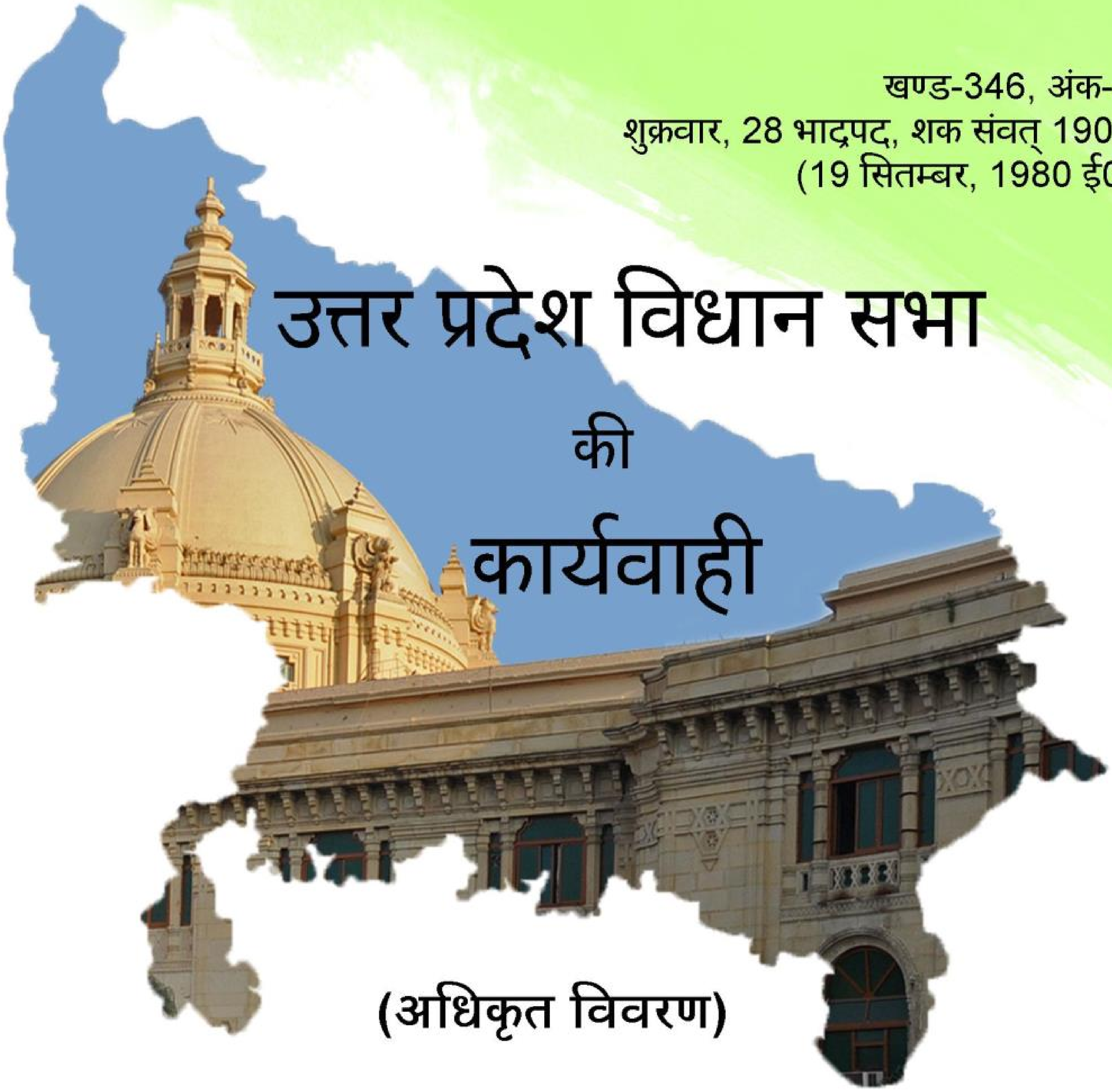

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	409–412
प्रश्नोत्तर ..	413–464
जनपद बाराबंकी में प्रशिक्षित बी० टी० सी० शिक्षकों द्वारा नौकरी न दिये जाने के कारण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	464–465
लखनऊ कलेक्ट्रेट, जिला पूर्ति कार्यालय तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	465
बरेली के त्रिशूल हवाई अड्डे पर षड़यन्त्रकारी गिरोह के पकड़ जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	465–466
श्री अजय डिस्ट्रीब्यूटर्स माडर्न ब्रेड्स, कानपुर की बनी डबल रोटियों का वजन निर्धारित वजन से कम होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	466
इलाहाबाद निवासी श्री चिरंजी लाल की बहू व नाबालिग लड़की को श्री कामता प्रसाद व उसके साथियों द्वारा अपहरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	466–467
औचित्य का प्रश्न ..	467
मुख्य मंत्री का इस्तीफा तथा उनकी सदन में अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	468–470
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	471
उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	471
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	471
हरिद्वार अर्ध कुम्भ मेला नियमावली, 1980†† (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	471
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया) ..	471–472
उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया) ..	472

उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया) .. 472–473

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. 473

काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी) .. 473–500

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि के विषय पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा .. 500–525

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 525–526

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा में वृद्धि का संकल्प (स्वीकृत) .. 526–530

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. 530

दिल्ली की सरकार द्वारा मुरादाबाद, अलीगढ़ व इलाहाबाद के दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों में फसादियों को देखते ही गोली मारने के आदेश के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 530–534

नत्थियां .. 535–543

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 337

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
उमेश्वर प्रताप सिंह, (गोंडा)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह), (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
अनवर मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुंबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)

चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदीलाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)

भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद नसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
रामप्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
रामबश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)

रुद्र प्रताप सिंह श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव, सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
बुद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर श्री (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्यामलाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री, (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 19 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहकारी बैंक लि0, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतें

*1--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद सहकारी बैंक लि0, फैजाबाद के विरुद्ध शासन को जुलाई, 1980 में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे शिकायत क्या-क्या हैं और उन शिकायतों पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)--

जी हां ।

शिकायतें संलग्नक में दी गयी हैं । शिकायतों पर जांच की गयी । प्रारम्भिक जांच में संलग्नक के क्रम से 5, 9 व 10 पर उल्लिखित शिकायतों को छोड़कर अन्य शिकायतें सही पाई गयीं । अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 355 पर)

सेवा निवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग द्वारा विचार

*2--श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री जटा शंकर सिंह--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए जो आयोग 10 जुलाई, 1979 को गठित किया गया था उसने सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की समस्त समस्याओं पर विचार न करके केवल राहत के प्रश्न पर विचार करने का निर्णय लिया है, शेष समस्याओं पर नहीं ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जी हां । सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन निर्धारित होती है । उनमें संशोधन का कोई इरादा नहीं है । महंगाई के संदर्भ में राज्य सरकार पेंशनरों को केवल राहत स्वीकृत करती है । अतः सिर्फ राहत का प्रश्न वेतन आयोग को अब संदर्भित किया गया है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या वित्त मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि 3 तारीख को वे पेंशनर्स के बीच गये थे और यह एश्योरेंस दिया था कि उनकी प्राबलम्स पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पेंशनर्स के प्रतिनिधि जब भी मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे सहानुभूति से मिला, अब भी और पूर्व भी। मेरा यह व्यक्तिगत एश्योरेंस है। यह केवल उस सन्दर्भ में है, जो हमने आयोग को सन्दर्भित किया है। वैसे मैं पूरी हमदर्दी रखता हूं और जो सम्भव किया जा सकता है सरकार कर रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि विगत 30 सितम्बर को मन्त्री जी और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों की बातचीत का मुद्दा क्या था और क्या एश्योरेंस दिया और जैसा मैंने पहले कहा था कि एक जी० ओ० के बारे में, समस्याओं पर विचार करने का, उसके बाद बात बदल दी गई। इसका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

वहां जो मेरी बात-चीत हुई वह समस्याओं को समझने की है। जन-प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्त्तव्य है, उससे सदन का कोई सम्बन्ध नहीं है, जो परिवर्तन का सवाल है उसमें सरकार के ऊपर समस्याओं का सवाल है। यह ऐसा टर्म है, जिसकी कोई निर्धारित परिधि बांटी नहीं जा सकती। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अनुरूप राहत दी जा सकती है, इसलिए राहत का सवाल दिया है ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जब इतनी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं तो यह सदन को एश्योरेंस देंगे कि उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसमें आश्वासन का सवाल ही नहीं है। समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनको हल करने का है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वार्ता के दौरान या इसके पहले पेंशनर्स ने कोई ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने किन-किन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इस सम्बन्ध में एक-एक समस्या के बारे में शासन का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह बड़ा लम्बा मामला है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुख्य-मुख्य मुद्दे बता दें।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, पहले राजकीय पेंशनरों का कहना था कि उन्हें भारत सरकार के समान महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। महंगाई भत्ता तो केन्द्र सरकार देती

नहीं । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि पेंशन की सभी समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिये । सभी समस्याओं का क्षेत्र असीमित है । बहुत मुश्किल है । कोई कहीं से किसी साल रिटायर हुआ, कोई किसी साल रिटायर हुआ । इसके बारे में बहुत लम्बा-चौड़ी लिस्ट है । इसके लिए आप इजाजत दें तो मैं माननीय सदस्य को सारी पत्रावली उपलब्ध करा सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

बहुत समय लग जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुख्य-मुख्य बातें बता दें ।

श्री ए० सी० ग्राइस--

उपाध्यक्ष जी, सरकार पेंशन देती है । पेंशन लेने में दिक्कत बहुत पड़ती है । मन्त्री जी ऐसा कर दें कि यदि ट्रेजरी आफिस जायें तो उन्हें पेंशन मिल जायें । दिक्कत न पड़े । मैं अपनी नालेज से जानता हूं कि कानपुर ट्रेजरी में जब-जब कोई जाता है, वहां 4-5 रुपया दिये बिना पेंशन नहीं मिलती । मन्त्री जी क्या देखेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हमारे आदेश तो हैं कि जनता को परेशानी न हो ।

[दिनांक 19 सितम्बर, 1980 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री दीप नारायण, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, डा० मोहम्मद उमर तथा श्री मुरलीधर मुनीम--

[माननीय सदस्यों ने वापस ले लिया ।]

हरदोई जिले के ग्राम गौरा, विशेश्वरपुर व रतेपुरवा में अग्निकाण्ड

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले की तहसील बिलग्राम के ग्राम गौरा, विशेश्वरपुर, रतेपुरवा (कुतुबापुर) में अप्रैल, 1980 में हुए भीषण अग्निकाण्डों से हुई क्षति का विवरण क्या है तथा पीड़ितों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गयीं ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

हरदोई जिले की तहसील बिलग्राम के ग्राम गौरा, विशेश्वर तथा रतेपुरवा (कुतुबापुर) में क्रमशः दिनांक 29-4-80, 23/24-4-80 तथा 29-4-80 को घटित अग्निकांडों में क्रमशः लगभग 22,190 रु०, 77,470 रु० तथा 26,495 रु० की सम्पत्ति की हानि हुई ।

अग्निकान्ड से प्रभावित सहायता के पात्र व्यक्तियों को कुल 3,000 रु० अहेतुक सहायता तथा 21 धोतियां, 29 चादरें व 29 दरियां वितरित की गईं ।

श्री राम आसरे वर्मा

मान्यवर, आप प्रश्न को देखें। तीन गांवों में हरदोई जनपद के विलग्राम तहसील में गौरा, विशेश्वर, रतेपुरवा में अग्निकांड हुआ। पूरे-पूरे गांव जल गये। इसका विवरण क्या है? विवरण में यह बता दिया कि इतने की हानि हुई। कितने जानवर मरे? विशेश्वर पुरवा में एक महिला और बच्चा मर गया जल कर। यह देखते हुए कि ऐसे अग्निकांडों में जनता शासन में इस तरह की नीति रही है कि जहां पर हानि हुई है, वहां पर पांच हजार रुपये शासन की ओर से दिये गये। क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि विशेश्वर पुरवा में एक महिला और एक बालक जल गया? ग्राम गौरा और रतेपुरवा में जानवर जल गये। यह देखते हुये क्या उन्होंने और भी सहायता का विचार किया है?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना पत्रावली में नहीं है। मैं इसे दिखला लूंगा और जो भी शासन से मदद होगी, करवाऊंगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, वहां बड़ा भारी नुकसान हुआ है रिलीफ तो 100/50 रुपये देने के बारे में बतला दिया। लेकिन क्या उनको लोन की शकल में कुछ रुपये देने के लिये जिलाधीश को आदेश करेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जो विस्तृत सूचना तीन गाँवों की है, वह अलग-अलग है। माननीय सदस्य, मुरादाबाद, ने जैसा कहा है, उस पर विचार करेंगे।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि पात्र व्यक्तियों को समुचित सहायता प्रदान कर दी गयी है। तो जितने पात्र व्यक्तियों को अहेतुक सहायता प्रदान की है, तो क्या उनके घरों की जो क्षति हुई है, तो उनको गृह अनुदान क्यों नहीं दिया गया?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, जो अहेतुक सहायता दी जाती है, उसकी तो जानकारी मेरे पास है और आपका संबंध जहां तक है, वह गृह अनुदान से है, उसके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं इस बात को दिखलवाऊंगा कि उनको क्या मदद की जा सकती है।

रजा बुलंद शुगर कम्पनी लि0, रामपुर तथा बिलासपुर सहकारी चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

*3--श्री बलबीर सिंह (रामपुर) (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रामपुर जिले के कृषकों का लगभग एक करोड़ पच्चीस लाख रुपए का गन्ना मूल्य 1970 से 1979 का रजा बुलन्द शुगर कम्पनी लि0 एवं बिलासपुर सहकारी चीनी मिल पर बाकी है? यदि हां, तो उसका भुगतान कब तक कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री यश पाल सिंह)—

रामपुर जनपद के कृषकों का 1970 से 1979 तक दिनांक 31-7-1980 को कुल 104'57 लाख रुपया गन्ना मूल्य बकाया है जिसमें रजा बुलन्द शुगर कम्पनी लि0 का 94'90 लाख रुपया तथा बिलासपुर सहकारी चीनी मिल का 9'67 लाख रुपया है। दोनों चीनी मिल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उपरोक्त बकाया का भुगतान नहीं किया जा सका। इस बकाया भुगतान हेतु प्रयास जारी है।

केन सोसाइटी सिभावली, जिला गाजियाबाद के लिपिक श्री शिशुपाल सिंह द्वारा गबन

*4—श्री मन्जूर अहमद—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1973 से 1974 के अन्तर्गत केन सोसायटी, सिभावली, जिला गाजियाबाद में गबन के सम्बन्ध में जांच चल रही थी? यदि हां, तो दोषी कौन हैं और सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां।

केन सोसाइटी सिभावली, जिला गाजियाबाद में गबन से संबंधित जांच की गयी थी जिसमें श्री शिशुपाल सिंह, गोदाम लिपिक को मु0 7926'77 रु0 की खाद के गबन करने का दोषी पाया गया है। गबन की गयी इस धनराशि की इनसे वसूलयाबी की जा रही है और 15-1-80 तक रु0 4617'37 रु0 की वसूली की जा चुकी है। श्री शिशुपाल सिंह इस समय मोदीनगर में नियुक्त हैं। अवशेष धनराशि की वसूलयाबी मोदीनगर समिति के माध्यम से की जा रही है।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, उक्त कर्मचारी के ऊपर जब गबन साबित हो गया है, तो किस आधार पर अब तक सेवा कर रहा है और उसके खिलाफ अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, जो कुछ होनी चाहिये थी?

श्री भानु प्रताप सिंह—

श्रीमन्, मैंने तो ठीक ही कहा है कि उस पर गबन साबित हो गया है और जो उसके खिलाफ कार्यवाही के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो उनकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि 16 अप्रैल, 1974 को यह सस्पेन्ड किया गया। उसके बाद किन कारणों से, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, 24 दिसम्बर 1977 को रिइंस्टेट कर दिया गया। वे क्या कारण थे, इसका, मान्यवर, जानकारी मुझे नहीं है।

श्री मन्जूर अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सोसाइटी के संचालक मंडल का अध्यक्ष कौन था, नम्बर 2, इसमें आरोप क्या-क्या लगाये गये थे?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, वह गबन का दोषी पाया गया, यह जानकारी तो है लेकिन मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि समिति का कौन अध्यक्ष था और इस व्यक्ति के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी कि नहीं ।

श्री फखरे आलम--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित जब वह व्यक्ति दोषी पाया गया, तो उसके लिये कुछ लिखा गया होगा कि कानून में यह कार्यवाही की जाय, तो उसके खिलाफ गबन का मुकदमा चलाया गया कि नहीं, ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, मैं इस विषय की गंभीरता से अवगत हूं और अपने स्तर से शासन ने गन्ना आयुक्त को आदेश दिया है कि इसकी एक विस्तृत जांच करायी जाय और समुचित कार्यवाही करायी जाय ।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब एक बार यह सस्पेंड हो गये, तो उसके बाद पुनः नियुक्ति क्यों की गयी ? यदि आप समझते हैं कि नियुक्ति गलत हुई है, तो सस्पेंड करके केस चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब दे चुके हैं ।

श्री चेतराम गंगवार--

श्री शिशुपाल सिंह जो हैं वह आज भी मोदीनगर में काम कर रहे हैं । क्या शासन इनको पुनः सस्पेंड करने की कार्यवाही करेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, जो भी मेरे पास तथ्य उपलब्ध हैं और जो जानकारी उत्तर से आयी है, तो इस पत्रावली को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 1977 में जो शासन करते थे, उन्होंने कुछ पक्षपात, इस व्यक्ति के साथ किया गया है । इस सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त को उचित आदेश दे दिये गये हैं । एफ0 आई0 आर0 लिखी गई या नहीं, किसके आदेश से रि-इनस्टेट किया गया, किसने इसको संरक्षण दिया, इसकी जानकारी और उचित कार्यवाही करने के लिए आदेश दे दिया है ।

श्री हुकम सिंह--

मेरा आग्रह है कि मंत्री जी इस प्रश्न की पूरी जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं, तो इस प्रश्न को स्थगित किया जाय । इनको पता नहीं है कि क्यों सस्पेंड किया गया, किसने रि-इनस्टेट किया, तो इसको स्थगित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं ।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहांपुर के अध्यक्ष एवं संचालकों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*5--श्री रूपराम (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहांपुर के अध्यक्ष एवं उनके सहयोगी संचालकों द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिला कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष एवं बक के कुछ संचालकों द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र के आधार पर दिनांक 25-3-80 को राज्य सरकार द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर अभी तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक--

जी हां, जांच कराई गई थी तथा प्रारम्भिक जांच के आधार पर उप-निबन्धक, बरेली द्वारा सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 35 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दी गई थी। उप निबन्धक, बरेली ने उक्त अधिनियम की धारा 68 (1) के अन्तर्गत विधिवत् जांच करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री मंगल देव विशारद समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*6--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति का गठन 8 फरवरी, 1972 में राज्य सरकार द्वारा हुआ था जिसकी रिपोर्ट अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मंगलदेव विशारद ने राज्य सरकार को दिनांक 30 मार्च, 1974 को प्रस्तुत की गई थी, की संस्तुतियों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति की रपोर्ट 30 मार्च, 1974 को प्राप्त हुई थी।

उक्त समिति की रिपोर्ट के अध्याय 14 में संस्तुतियों का सारांश है जिसके अनुसार 88 संस्तुतियां की गई हैं। कतिपय संस्तुतियों के कई अंश हैं। इन अंशों को मिलाने पर संस्तुतियों की कुल संख्या 172 होती है। इनमें से 117 स्वीकृत हुई हैं और 27 अस्वीकृत हुई हैं। शेष 28 में अभी अन्तिम निर्णय शेष है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यही वह जांच की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में केन्द्र से लेकर प्रान्त तक जो कांग्रेस (आई) के वरिष्ठतम सदस्य हैं, यहां मुख्य मंत्री का घर और केन्द्र में श्री कमलापति त्रिपाठी जिनके एक पुत्र लोकपति जी यहां हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो संस्तुतियां इसमें की गई हैं, जिसमें भूमिहीन गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए और कृषि भूमि के आंवटन करने की बात कही गयी है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि बहुत से प्रदेश के ऐसे लोग हैं, जिनके पास आज भी एक इंच भूमि भवन के लिए नहीं है। खुले पेड़ों की छाया में यह अपना जीवन गुजार रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर पर आपको जानकारी है कि जिनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सरकार ने अब तक क्या किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट कर दीजिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट की संस्तुतियों में जो बातें कही गयी हैं, भूमिहीनों के लिए मकान बनाने के लिए भूमि देने की बात कही गयी है और जो भूमि फाजिल है उसके आवंटन की बात है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसका असली मतलब श्रीमन्, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन यदि वह जानना चाहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन दी गयी है कि नहीं, अनुसूचित जाति और हरिजनों को जमीन दी गयी कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जो भूमिहीन हैं, जो गृहविहीन हैं, उनको बसने के लिए और भूमिहीनों को खेती के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, जो रिपोर्ट में सम्बन्धित भूमि अधिक दिखाई गई है, वह भूमि लेकर उनको आवंटित करने की क्या व्यवस्था सरकार कर रही है।

श्री भानु प्रताप सिंह--

(नोट में) मैं एक पैरा पढ़कर मान्यवर, सुनाना चाहता हूं, उससे शायद माननीय सदस्य संतुष्ट हो सकें। गांव सभा तथा सीलिंग अधिनियम से अतिरिक्त घोषित भूमि को भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में बांटने का वर्ष 1975-76 में अभियान चलाया गया था। गांव सभा की कुल आवंटन हेतु उपलब्ध 6,10,238 हेक्टेयर कृषि भूमि में से मार्च, 1980 तक 6,09,498 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। आवंटन से कुल 17,52,975 व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं। 9,50,090 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम संशोधित के अन्तर्गत 31 मार्च, 1980 तक कुल 2,20,302 एकड़ भूमि का बन्दोबस्त किया जा चुका है, जिनमें लाभार्थियों की संख्या 180098 है, जिसमें 132937 व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के हैं, जिन्हें 132415 एकड़ भूमि बांटी गई है। इस प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 73 प्रतिशत है।

श्री हरगोबिन्द वर्मा--

मैं मान्यवर, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्व0 मंगल देव विशारद ने जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर जिन-जिन लोगों के ऊपर भूमि अधिक निकलती है या 420 करके फर्जी नामों से फार्म बनाकर भूमि ली गयी है, उनसे वह भूमि निकालकर भूमिहीनों को देने का कार्य क्या सरकार करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, सरकार की नीति है कि कोई भी व्यक्ति जो जोत अधिनियम की सीमा है, उससे अपनी भूमि किसी तरह से भी अधिक या 420 करके या फर्जी नामों से अपने पास रखता है, तो उसकी जांच करके उस भूमि को लिया जायेगा और भूमिहीनों को उसे बांटी जायेगी ।

श्री हरगोबिन्द वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आपने यह प्रश्न बिना मेरी इजाजत के किया है, इसलिये इसकी आज्ञा नहीं है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के पेज 140-145, जो सीलिंग की भूमि का ब्योरा दिया गया है और मुख्य रूप से जिसमें गोपाल फार्म, मिर्जापुर, जो शासक दल के व्यक्ति से सम्बन्धित है, 4532 एकड़ और रामगढ़, इलाहाबाद, में राजा भगौती प्रसाद सिंह और कुंवर चन्द्र शेखर सिंह इन लोगों के पास 1,444 बीघा कुछ बिसवा और 4,522 बीघा । तो क्या सरकार अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए प्रदेश के गरीबों के हित में इनकी जमीन की जांच करते हुए जहां तक पता चला ...।

श्री उपाध्यक्ष--

आप के प्रश्न की भूमिका लम्बी हो रही है ....।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

इनके फार्म को भूमिहीन गरीब हरिजनों में बांटने की सरकार नियत रखती है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, एक बहुत बड़ी बात जो पूछी गयी सिद्धान्ततः सरकार को स्वीकार है। जिनके पास ज्यादा भूमि है किसी भी तरह से, उसे हम उनसे लेंगे और गरीब हरिजनों और मजदूरों में बंटवायेंगे । जिस मामले का जिक्र किया गया है अगर आप कोई निश्चित जानकारी चाहें और लिख कर दें, तो उसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

नाम ले कर बता रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई विशेष बात जिसे आप विशेष तौर से जानना चाहते हैं, उसे लिख कर पूछ लें और वह आप को लिख कर जवाब दे देंगे ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अनुसूचित जातियों और जन जातियों को भूमि आवंटित की गई है, उन्हें पूर्ण रूप से कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक मिल जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह अलग प्रश्न है ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मंत्री जी ने लम्बी चौड़ी लिस्ट पढ़ी उसके सम्बन्ध में है । क्या बतायेंगे, सूचना है ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

(प्रश्न संख्या 7 पुकारे जाने पर)

श्री भीखा लाल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने बताया कि 172 संस्तुतियां थीं, उनमें से 117 संस्तुतियों को सरकार ने स्वीकार की । उन संस्तुतियों में ज्यादातर यह आरोप था कि चकबन्दी अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करके बहुत केसेज में जमीन की चोरी कर लिया गया है, तो उन संस्तुतियों को स्वीकार कर लेने के बाद, जो चकबन्दी अधिनियम है, उसके प्राविधानों को लागू करने के बाद, कितनी जमीन आप को प्राप्त हुई, इसका ब्योरा देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमान्, क्योंकि निश्चित व्यक्ति के विषय में तो पूछा नहीं गया और एक जनरल बात कह दी गई, निश्चित आंकड़े बताना इस समय मेरे लिए संभव नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न संख्या 7--(व्यवधान) अभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता ।

ग्राम बहरमपुर, जिला कानपुर में सीलिंग भूमि के आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*7--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम बहरमपुर, परगना बिल्हौर, जिला कानपुर की ओर से कोई ऐसी शिकायत जुलाई, 1980 के प्रथम पक्ष में प्राप्त हुई है कि उक्त गांव की सीलिंग में निकली भूमि उक्त गांव के भूमिहीन हरिजनों को न देकर बिना भूमि प्रबन्धक समिति की राय के परगनाधीश, बिल्हौर ने उक्त गांव के भूमि वाले सवर्ण लोगों को आवंटित कर दी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम बहरमपुर, परगना बिल्हौर की ओर से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री मेरी सूचना को सही मान कर इस बात की जांच करा लेंगे कि इन गांवों के हरिजनों की शिकायत आई थी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इसकी जांच करा लूंगा ।

शाहजहांपुर जिले के ग्राम बन्थरा के श्री रमेश सिंह व श्री राज किशोर सिंह पर शराब के ठेके की बकाया धनराशि

*8--श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री नाजिर अली--

वर्ष 1980 के प्रथम सत्र के दूसरे शुक्रवार दिनांक 8 फरवरी, 1980 को प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि उक्त तहसील के सम्बन्धित अधिकारियों का बाकीदारों को अवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और इसी कारण राजस्व नियम संग्रह खण्ड 1, अध्याय 3 की धारा 84 की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी ? यदि हां, तो शासन ऐसे भ्रष्ट दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं। बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में बाकीदारों की भूमि की नीलामी हेतु पांच बार तिथि 2-2-80, 6-3-80, 10-4-80, 22-5-80 तथा 26-6-80 निश्चित की गई परन्तु नीलामी में पर्याप्त बोली नहीं आई । बाकीदारों को दिनांक 19-2-80 से 3-3-80 तक हवालात में भी रखा गया । कलेक्टर द्वारा जब राजस्व नियम संग्रह खण्ड-1, अध्याय-3 की धारा 84 तथा उत्तर प्रदेश जमींदरी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 285 बी के अन्तर्गत स्वयं बोली बोलकर बाकीदारों की भूमि की नीलामी की कार्यवाही की जा रही थी तो बाकीदारों द्वारा मांग पत्र में उल्लिखित पूर्ण बकाया धनराशि दिनांक 26 जुलाई, 1980 को जमा कर दिया गया । ऐसी स्थिति में किसी को जिम्मेदार ठहराने एवं उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्यपाल सिंह--

यह बकाया धनराशि कौन से सन् की थी और नीलामी कार्यवाही मेरे प्रश्न पूछने से पहले क्यों नहीं की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सरकार के समक्ष श्री रमेश सिंह पुत्र श्री चन्द्र पाल सिंह, निवासी ग्राम बंथरा जिला शाहजहांपुर ने अपने पत्र दिनांक 16-8-78 में यह निवेदन किया था कि उनके द्वारा लिया गया शराब के ठेके का 29,505 रु0 50 पैसा बकाया है । क्योंकि वह ठेके में घाटे के कारण समय से रुपये को जमा करने में असमर्थ हैं, इसलिये उपर्युक्त धनराशि को आसान किस्तों में जमा करने के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिया था ।

श्री सत्यपाल सिंह--

कौन से सन् की वह वसूलयाबी थी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जिलाधिकारी के लेखे से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत शराब का ठेका वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मेरी जानकारी यह है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों ने ठेकेदार से मिल कर जानबूझ कर वसूलयाबी में देरी की । आपने 5 तारीखें लगाई थी । इसके बाद जब दुबारा प्रश्न किया है 9-7-80 को तब 26-7-80 को उन्होंने वसूलयाबी की तो आपने यह 285 (बी) की कार्यवाही 26-7-80 से पहले क्यों नहीं की ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकारी कर्मचारी बकायादारों से मिले हुए थे और उन्होंने जो कार्यवाही की वह इतनी तत्परता से की कि आपके प्रश्न करने की वजह से वह जो सरकारी धनराशि थी, वह वसूल हो गई है और अब किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर मण्डल में गन्ने की फसल में काना, उकठा व टापबोरर कीट का प्रकोप

*9--श्री हरिवंश सहाय, श्री मोहन सिंह तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मण्डल के गन्ने के पौधों पर इस समय काना रोग, उकठा रोग एवं टापबोरर कीट का प्रकोप हो गया है ? यदि हां, तो रोकथाम के लिए अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

गोरखपुर मंडल के किसी भी जनपद से गन्ने में उकठा रोग के प्रकोप की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु गोरखपुर, देवरिया एवं पडरौना में काना रोग का प्रकोप 40.73 एकड़, 16.45 एकड़ तथा 161.33 एकड़ क्षेत्र में क्रमशः दृष्टिगत हुआ । जिसमें से 16.52, 2.63 एवं 53.09 एकड़ क्षेत्र को रोगी थानों की छटाई कर नियन्त्रित कर लिया गया । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मण्डल में टापबोरर कीट के प्रकोप से माह अप्रैल से लेकर अब तक 5,167.61 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसम से 599.04 एकड़ क्षेत्र कीटनाशक का बुरकाव कर एवं अन्य उपायों के माध्यम से नियन्त्रित किया जा चुका है । शेष प्रकोपित क्षेत्रफल के नियन्त्रण हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने कहा कि वहां पर उकठा रोग का प्रकोप नहीं हुआ है, तो मेरी सूचना को सही मानकर क्या वे जांच करायेंगे कि गोरखपुर मंडल में व्यापक पैमाने पर गन्ने पर भाटपासी, मलेठी और भटनी आदि ब्लाकों में हजारों की फसल बरबाद हो गई है और उसके लिये क्या व्यवस्था की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसकी जांच करा लेंगे, उसमें क्या हर्ज है।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी चार दिन पहले देखा कि बेतालपुर केन यूनियन जिगनी बाजार में लगभग 2 एकड़ से ऊपर फसल रोग से सूख गई है, इसकी जांच करायेंगे ? इस सम्बन्ध में क्या मन्त्री जी वहां के सम्बन्धित अधिकारियों की भी जांच करायेंगे जिनकी वजह से ऐसा हुआ है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जहां तक जांच का प्रश्न है, उसे कराने में हमें कोई ऐतराज नहीं है और जैसा मैंने कहा कि जांच करवा लेंगे लेकिन अगर अधिकारियों की वजह से कोई रोग लगा हो, तो उसकी जांच हम करवायेंगे अन्यथा अगर दैवी आपदा से रोग लगा हो, तो वह हमारे वश के बाहर है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं क्योंकि हमारा और आपका क्षेत्र लगा हुआ है ...

श्री उपाध्यक्ष --

हमारा क्षेत्र कौन सा है, इसको आप छोड़ दीजिये आप अपनी बात कहें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, हमें लोगों ने बताया कि गोरखपुर सरैया सरदारनगर, सिसवां और कई अन्य स्थानों पर ऐसी शिकायतें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो रोकथाम की व्यवस्था की है कीट नाशक दवाओं के विषय में क्या सरकार अपनी तरफ से दवायें दे रही है अथवा किसानों से रुपया लेकर दे रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह जो कीटनाशक दवायें दी जाती हैं वह हमेशा किसानों से पैसा लेकर दी जाती हैं और जो सहायता तकनीकी ज्ञान और यन्त्रों की आवश्यकता उनको होती है, वह शासन उपलब्ध करा देता है।

राज्य योजना आयोग के टंककों के स्थायीकरण की मांग

*19--श्री मित्रसेन--

क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य योजना आयोग में टंकक के पद पर दो और तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर भी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया, जबकि आयोग में विभिन्न पदों पर एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने वहले अनेकों कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त —

राज्य योजना आयोग में टंकक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है और नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मित्र सेन—

माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न के एक हिस्से का जवाब दिया जो अपूर्ण है और दूसरे हिस्से का जवाब ही नहीं दिया । मैं जानना चाहता हूं कि राज्य योजना आयोग में टंकक तीन-चार साल से कार्य कर रहे है, उनको स्थायी नहीं किया गया है और इसी योजना के अन्तर्गत जो और कर्मचारी हैं, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि इन बेचारे टंककों को कितने दिनों के अन्दर स्थायी किया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त —

यथाशीघ्र ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित स्थायीकरण के निर्देश शासन को कब प्राप्त हुए । मेरी जानकारी को सही मानकर उन कर्मचारियों का मेडिकल आदि की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त —

जो सही जानकारी है, वह यह है कि स्थायीकरण की जो प्रक्रिया अपनायी जाती है, वह अपनायी जा रही है । उसमें कुछ सूचना मांगी जाती है । वह पूरी उपलब्ध नहीं है । सूचना मिलते ही स्थायीकरण हो जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी जानकारी को सही मानकर कि उनका मेडिकल और करैक्टर सत्यापन हो चुका है, उसके बाद भी क्या कारण है, कौन-कौन फारमेलिटीज पूरी होने को रह गयी हैं, उसमें कितना समय लगेगा ? यह निर्देश शासन को कब प्राप्त हुए ?

श्री ब्रह्म दत्त —

मान्यवर, शासन को निर्देश कहां से आयेंगे । वह आप बता दें कि कहां से निर्देश आयेंगे माननीय सदस्य बता दें । निर्देश तो शासन देता है ।

मुरादाबाद मंडल का सृजन

*11—श्री जीराज सिंह मौर्य (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-11-76 को तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) ने मुरादाबाद जनपद में कमिश्नरी की घोषणा की थी ? क्या उपरोक्त कमिश्नरी के आदेश जनता शासनकाल में मुरादाबाद को पुनः कमिश्नरी क्षेत्र घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका निर्णय शासन कब तक ले लेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

दिनांक 14-11-76 से मुरादाबाद मंडल सृजित किया गया था। वित्तीय एवं प्रशासकीय कारणों से तत्कालीन शासन द्वारा दिनांक 16-7-77 को वह मंडल समाप्त कर दिया गया। मुरादाबाद मंडल दिनांक 11-9-80 को सृजित किया जा चुका है।

*12--श्री हर गोविन्द वर्मा--

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*13--श्री विद्या सागर नौटियाल--

[छठें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मैनपुरी जिले के नगला हिमाऊं मौजा उखरेड में साधन सहकारी समिति के भवन का निर्माण

*14--शिव मंगल सिंह तथा श्री मुन्शी लाल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी के नगला हिमाऊं मौजा उखरेड़ में जो सरकारी साधन समिति इमारत बनाई जा रही है वह किसके आर्डर से बन रही है ? क्या यह सही है कि कस्बा मैदान जहां अदालत पंचायत है और 11 गांव बसे हैं, को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक--

जिला मैनपुरी के नगला हिमाऊं मौजा उखरेड में साधन सहकारी समिति की इमारत समिति के प्रशासक के आदेश पर निर्मित कराई जा रही है।

नगला हिमाऊं, मदान न्याय पंचायत में ही पड़ता है।

श्री मुन्शी लाल--

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस इमारत का सीमेन्ट और ईंट मदान में पड़ चुका था और नींव भी भर चुकी थी, फिर इसे वहां से स्थानांतरित कर नगले में बनवाने की क्या जरूरत है ?

श्री राम नारायण पाठक--

मान्यवर, नगला हिमाऊं सड़क के पास है और जी0 टी0 रोड से सीधा सम्पर्क है, यहां पर गोदाम काफी सुविधाजनक रहेगा सामान लाने ले जाने में।

श्री मुन्शी लाल--

मान्यवर, मदान में सड़क भी है और उसके आसपास 10, 12 गांव बसे हुए हैं, उसको छोड़ दिया गया, उखेड़ा कोने में पड़ता है वहां बनाने का क्या कारण है ? वहां पर कोई सड़क भी नहीं है, मंत्री जी का कहना असत्य है।

श्री उपाध्यक्ष--

मुन्शी लाल जी, आपने प्रश्न साफ नहीं किया, भूमिका ही कहते रहे, स्पष्ट प्रश्न करें।

श्री मुन्शी लाल—

मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि हिमाऊं नगला में कोई सड़क नहीं है और वह सड़क से 8 किलोमीटर दूर है। जब मदान गांव से सड़क जाती है, उस 4 घर के नगला में सड़क को रुकवा कर वहां बनवाने की क्या मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री राम नारायण पाठक—

जी0 टी0 रोड से आधे किलोमीटर पर यह सड़क है और प्रशासन ने जब देखा कि वहां पर आपस के लोगों में झगड़े हैं, तो उन्होंने यह स्थान चुना है।

किसान सहकारी चीनी मिल, शाहजहांपुर के निर्माण सम्बन्धी कथित शिकायती-पत्र

*15—श्री नन्द राम (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मंत्री को पता है कि यदि किसान सहकारी चीनी मिल, शाहजहांपुर के निर्माण में भयंकर घुटाले हैं और लाखों का गबन है जिसकी निश्चित शिकायतें संचालक मंडल के सदस्यों ने जुलाई, 1979 के द्वितीय सप्ताह में रजिस्टर्ड पोस्ट से मुख्य मंत्री जी से की ? यदि हां, तो उन पर तत्काल जनहित में क्या कार्यवाही की गयी और शिकायतें क्या-क्या हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं।

मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित संचालक मंडल के सदस्यों से जुलाई, 1979 में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय योजना आयोग से प्राप्त धनराशि

*16—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त धन प्राप्ति के लिए मुख्य मंत्री एवं नियोजन मंत्री इसी माह केन्द्रीय सरकार से बात करने गए हैं ? यदि हां, तो क्या कोई निश्चित आश्वासन प्रदेश के लिए मिला ?

श्री ब्रह्म दत्त—

1980-81 की वार्षिक योजना के लिए योजना आयोग ने पहिले 850 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकार किया था। इसी परिव्यय में वृद्धि कराने की मांग वर्तमान राज्य सरकार ने की थी तथा उसी सन्दर्भ में मुख्य मंत्री एवं नियोजन मंत्री तथा केन्द्रीय योजना आयोग के बीच दिनांक 2 अगस्त, 1980 को दिल्ली में औपचारिक बात हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप योजना आयोग ने इस वर्ष की योजना के परिव्यय में 83·33 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। योजना का आधार अब बढ़कर 933·83 करोड़ रुपए हो गया है।

उपरोक्त तिथि को 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में यद्यपि योजना आयोग ने कोई वार्ता नहीं की है तथापि इसे ध्यान में रखते हुए कि 1980-81 का वर्ष 1981-85 की पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, वार्षिक योजना के परिव्यय में उपरोक्त वृद्धि होने के फलस्वरूप छठी पंचवर्षीय योजना के लिए अच्छा आधार बन गया है।

गोन्डा जिले के वन विभाग के तुलसीपुर व वनकटवा रेन्ज में लकड़ी की चोरी

*17--श्री अकबाल हुसैन--

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोन्डा के जनकपुर तथा वनकटवा रेंज में प्रति दिन लाखों रुपयों की लकड़ी चोरी से काटी जाती है ? यदि हां, तो चोरी को रोकने के लिए सरकार कोई विशेष उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री विद्या भूषण)--

जनपद गोन्डा में जनकपुर नाम का कोई रेंज नहीं है बल्कि जनकपुर तुलसीपुर रेंज का मुख्यालय है। यह सही नहीं है कि तुलसीपुर तथा वनकटवा में प्रति दिन लाखों रुपयों की लकड़ी चोरी से काटी जाती है। जनपद गोन्डा के जंगलों में जो छुटपुट नाजायज कटान होता है उसके रोकथाम हेतु जीप सहित एक शस्त्र पुलिस दल स्वीकृत किया गया है। चोरी से अवैध कटान की सम्भावना समाप्त किये जाने के उद्देश्य से वन की कटाई आदि का कार्य अधिकाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कराया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त नाजायज कटान के रोकथाम के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों एवं वन अधिकारियों की दिनांक 25 जुलाई, 1980 को हुई एक बैठक में विचार भी किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि वन तथा पुलिस कर्मचारी आपस में सहयोग करके अवैध कटान को रोकने एवं लकड़ी बरामद करने का प्रयत्न करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस द्वारा वन कर्मचारियों को हर सम्भव सहायता तत्काल दी जायेगी।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर वन विभाग, गोन्डा जिसमें यह रेंज पड़ते हैं-वनकटवा और तुलसीपुर में वित्तीय वर्ष 1979-80 में कितने लाख रुपयों की चोरी पकड़ी गई थी और कितना जुर्माना हुआ ?

श्री विद्या भूषण--

श्रीमन्, 1979-80 में 48 वृक्ष पकड़े गये जो 6,885 रुपये के होते थे।

श्री अकबाल हुसैन--

मन्त्री जी ने बताया कि 25 जुलाई, 1980 को पुलिस अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी और उसमें नाजायज कटान के बारे में व्यवस्था हुई, किन्तु मेरी निश्चित जानकारी है कि इसके बावजूद इसके बाद, दिनांक 22 अगस्त, 1980 को जब रामेश्वर प्रसाद, प्लान्टेशन जमादार ने नाजायज चोरी की लकड़ी पकड़ी थी, जिसमें मुलाजिमान ने उसे मारा था और जिसकी एफ० आई० आर० थाना हरैया में 23 अगस्त, 1980 को दर्ज कराई गई थी, उसमें दिनांक 2 सितम्बर, 1980 तक उनमें से कोई मुलाजिमान गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाये ?

श्री विद्या भूषण--

इसकी जानकारी तो पुलिस मुख्यालय से आने पर ही बतायी जा सकती है ।

श्री अकबाल हुसैन --

मान्यवर, इस रेंज की चोरी की लकड़ी रेहरा डिपो पर 2 ट्रक पकड़ गये, जिसके कारण 8,000 रुपये का जुर्माना हुआ और जिस लकड़ी की मालियत लगभग 50,000 रुपये थी, तो क्या उस सम्बन्ध में जो विवेचना हुयी, उसमें श्री तिवारी जी का भी नाम आया है ? यदि हां, वह क्या है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री विद्या भूषण--

जैसा मैंने अभी बताया 1979-80 में 6,885 रुपये की कीमत की लकड़ी की चोरी पकड़ी गयी थी ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि जो चोरी 1979-80 में हुयी उसमें 46 पेड़ पकड़े गये, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कितने और पेड़ों की चोरी हुयी जो काटे गये और उनको क्यों नहीं पकड़ा गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर तो वे दे चुके हैं ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि जो पेड़ चोरी में गये, वे क्यों नहीं पकड़े गये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

गुड़ खांडसारी उद्योग सम्बन्धी नीति

*18--श्री राम कृष्ण महेश्वरी--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के लिए गुड़-खांडसारी उद्योग सम्बन्धी क्या कोई नयी नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

वर्ष 1980-81 के लिए गुड़-खांडसारी उद्योग सम्बन्धी नीति शासन के विचाराधीन है ।

श्री राम कृष्ण महेश्वरी--

मान्यवर, गन्ने के कटने और गुड़ और खांडसारी के तैयार करने का सीजन निकट है, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की पुरानी नीति पर ही विचार बन रहा है या वे कोई नयी नीति बना रहे हैं और जब तक आपकी कोई नयी नीति नहीं बनती है, तब तक गुड़ और खांडसारी के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय कर रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

क्या नीति बने, यह तो अभी विचाराधीन है और फिलहाल कोई पाबन्दी लगाने जा रहे हैं या नहीं, यह भी मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुए कि गन्ने की पेराई का सीजन आ रहा है उसकी कीमत केन्द्र तय करेगा और उसमें ये गुड़ और खांडसारी आदि की सारी नीति आती है क्या माननीय मन्त्री जी बता सकेंगे कि वे कब निर्णय लेंगे और उन्होंने क्या-क्या प्रतिबन्ध और गन्ने की कीमत देने के सम्बन्ध में विचार किया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

आपने सब बातें पूछी हैं। मेरा निवेदन है कि हम बहुत शीघ्र निर्णय ले लेंगे। कब तक उनको चलाने की इजाजत देंगे, इस मामले पर विचार हो रहा है। इस विषय पर इस समय कुछ कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री राम कृष्ण महेश्वरी--

हमारे प्रदेश में कृषक गन्ना काट कर गेहूं बो देता है। दूसरे प्रदेशों में में गुड़ बनना आरम्भ हो गया है। पिछले वर्ष गुड़ बनाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। अब चूंकि गुड़ का सीजन निकट है तो अगर वह अपने कोल्हू से गुड़ बनाता है तो उसकी उसे इजाजत होगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या गन्ने के खेत में हम गेहूं की बुआयी कर पायेंगे या नहीं ...

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

यह नहीं है, उस पर आप कोई पाबन्दी तो नहीं लगा रहे हैं, यह है उनका प्रश्न ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

आप सुन लें। आपका प्रश्न यह है कि किसान गन्ने के खेत में गेहूं बोना चाहता है और खेत को जल्दी खाली करना चाहता है और खड़े कोल्हू से अपना गन्ना पेरना चाहता है, तो उनको हम इजाजत देंगे या नहीं। हम शीघ्र ही फैक्टरियों को चलवाने जा रहे हैं और तमाम गन्ना हम शीघ्र पिरवा लेंगे। 15 दिसम्बर के बाद हम ऐसी वैराइटी गेहूं की आपको दे देंगे जो आप 15 दिसम्बर के बाद बो दें। उसकी पैदावार भी अच्छी होगी।

(शोर-व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पान्डे--

मान्यवर, हमारे यहां कोल्हू बहुत चलते हैं और मिल नहीं है। हमारे यहां के किसान अपना गन्ना कोल्हू में ही पेरा करते हैं, तो क्या आप उस पर कोई

प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं क्योंकि ऐसी हवा फैल रही है कि आप ऐसा करने जा रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इस सदन में जितने उधर के लोग किसानों के हमदर्द हैं, इधर के लोग भी उससे अधिक हैं। हम सभी किसानों के हमदर्द हैं। हम वह नीति अपनायेंगे जिससे उनका नुकसान न हो।

(शोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसा लगता है कि इस मामले मे अधिकांश लोग चिंतित हैं और पूरा सदन प्रभावित है। आप इस बारे में अपना नोटिस दे दें, उस पर हम विचार कर लेंगे।

अवध वन प्रभाग के इन्चार्ज, यूकिलिप्टस ग्रोव का स्थानान्तरण

*19---श्री रियासत हुसैन--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के पांचवें मंगलवार (12-6-79) के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या वन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इन्चार्ज, यूकिलिप्टिस ग्रुप, अवध वन प्रभाग की स्थानान्तरण का कार्यान्वयन पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां।

इन्चार्ज यूकिलिप्टस ग्रोव, अवध वन प्रभाग के स्थानान्तरण का कार्यान्वयन पूरा हो गया है।

किसान सहकारी चीनी मिल, अकबरपुर, फैजाबाद की अंश पूंजी

*20--श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्रीमती धनेश्वरी देवी तथा श्री लालसा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अकबरपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड में किसानों की कितनी अंश पूंजी जमा है ? क्या यह सही है कि गत दो माह के अन्दर डी० सी० ओ० फैजाबाद ने उक्त मिल में गबन व एमाउन्ट न ठीक होने की रिपोर्ट सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

किसान सहकारी चीनी मिल लि०, अकबरपुर (फैजाबाद) में किसानों की अंश पूंजी के रूप में 15,08,167 31 रु० (पन्द्रह लाख आठ हजार एक सौ सड़सठ रुपये इकतीस पैसा) जमा है। गत दो माह के अन्दर डी० सी० ओ० फैजाबाद से उक्त मिल में गबन व एकाउन्ट न ठीक होने की कोई रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जियाराम शुक्ल (विकल साकेती)--

मान्यवर, जितनी शेयर कापियां बांटी गयी थीं, अभी भी उसमें से कापियां नहीं लौट पाई हैं। क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है और वह इसकी जानकारी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

श्रीमन्, यह सही बात है, जो मुझे आप ही ने बताया है कि कापियां लौटी नहीं हैं। मैं उसकी जांच करवा रहा हूं।

श्री जैराज गौतम---

मान्यवर, 15 लाख, 8 हजार, 167 रुपया जो शेयर पूंजी है, उसके संबंध में मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितना रुपया किस-किस मद में खर्च हुआ है और यदि नहीं खर्च हुआ है, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

श्रीमन्, जमा किये जाने की सूचना तो है, मेरे पास, लेकिन खर्च किये जाने की नहीं है।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बिक्री कर की समाप्ति सम्बन्धी कथित सुझाव

**1---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल में ही केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा बिक्रीकर को युक्ति संगत बनाने के लिए कोई सुझाव राज्य सरकार से मांगे गये हैं ? यदि हां, तो सुझाव किस विषय पर मांगा गया है ? राज्य सरकार द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त---

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री का सम्मेलन बुलाया गया था इसी बिक्री कर के सम्बन्ध में, मान्यवर, जब यह विभाग आपके पास आया, तो स्वाभाविक है कि आपके सुझाव भी लिए गए होंगे और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उस सम्मेलन में क्या दृष्टिकोण रखा गया ?

श्री ब्रह्म दत्त---

मान्यवर, बिक्री कर से सम्बन्धित कोई राज्य सरकार से मांगने का जहां तक प्रश्न है, उस सम्बन्ध में तो सुझाव मांगे ही नहीं गए थे। वहां मीटिंग हुई 16, 17 सितम्बर को, सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने भाग लिया। उसमें मोटी तौर से यह बात हुई कि सारे देश के जो बिक्रीकर के कानून हैं, उसमें एकरूपता लाना चाहिए। इस बात के ऊपर आम सहमति हुई कि जो हमारी दो वस्तुएं हैं जीवन रक्षक औषधि और वनस्पति इनमें सेल्स टैक्स को हटाकर

इक्साइज की परिधि में रखा जाय। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनके ऊपर हमको 4 परसेंट से ज्यादा लगाने की इजाजत नहीं होती, उसके सम्बन्ध में कुछ सहमति थी, लेकिन कोई भी राज्य सरकार ने इस बात के लिए सहमति नहीं दी थी कि बिक्री-कर को समाप्त किया जाय और 4 राज्य सरकारें—तो इस पक्ष में भी नहीं थी कि इसके बारे में विचार किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वह मैं जानना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ सरकार के घोषणा-पत्र में भी यह बात थी कि सेल्स टैक्स हटाने पर विचार किया जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने बिक्री-कर समाप्त करने के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण वहां पर प्रस्तुत किया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, बिक्री-कर को एकदम से हटाकर दूसरा कोई संसाधन जुटाना सम्भव नहीं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, हमारे पूर्व शासन ने यह निर्णय लिया था कि इस बिक्री-कर को सरलीकरण कर दिया जाय और उस सम्बन्ध में शासन ने यहां के विभिन्न सदस्यों से और विभिन्न संस्थायें थीं, उनसे इस संबंध में कई एक मीटिंगें भी की थी, तो उस संबंध में आप बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

क्या यह जो वर्तमान शासन है, उसने उस पूर्व शासन की नीति में कोई परिवर्तन कर दिया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं (2) अगर माननीय सदस्य देख लें, वह उसी के संबंध में है, तो आपके प्रश्न का उत्तर उसमें आ जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराय कि बिक्री कर हटाना संभव नहीं है। इसी से संबंधित एक पूरक प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार ने एक समिति का गठन किया था कि इस बिक्री कर को हटाया जाय और अन्य श्रोतों को लागू किया जाय। प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर भी असर न पड़े, तो ऐसी कोई कमेटी का गठन माननीय मंत्री जी करने की कृपा करेंगे जो तमाम बातों पर विचार करे, जिससे प्रदेश के छोटे-छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को आसानी हो सके ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस प्रकार की समिति का गठन करना व्यर्थ होगा जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिक्री-कर को हटाना सम्भव नहीं होगा, इसलिए ऐसी समितियों से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिक्री-कर के सम्बन्ध में ऐसे प्रश्न कई वर्षों से उठ रहे हैं और व्यापारियों को इसमें बड़ी उत्तेजना भी रही है, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे को लेकर बहुत परेशान किया जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कोई उपाय निकालेंगे कि बिक्री-कर को हटाकर कोई अन्य व्यवस्था चालू की जाए जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी न बिगड़े और इन व्यापारियों को भी अपने-अपने उद्योगों को बढ़ाने का प्रोत्साहन मिले।

श्री ब्रह्मदत्त--

इस प्रश्न को संख्या दो में ही ले लीजिए, वह भी इसी से सम्बन्धित है।

बिक्री-कर सरलीकरण समिति की संस्तुतियां

**2--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि पिछले 3 वर्षों से प्रदेश के तमाम व्यापारी बिक्री-कर के हटाने, उसकी दरों में संशोधन करने और बिक्री-कर की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए आन्दोलन करते आ रहे हैं और समय-समय पर अपने प्रतिवेदनों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने सुझाव देते आ रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह सही है कि शासन को व्यापारि-वर्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों से बिक्री-कर के सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। व्यापारि-वर्ग द्वारा बिक्री-कर हटाए जाने तथा बिक्री-कर विधि एवं प्रक्रिया का इस प्रकार सरलीकरण करने, कि व्यापारियों को कम से कम असुविधा हो, के सुझाव दिए गए।

राज्य के विकास कार्यों के लिए राजस्व के श्रोतों में बिक्री-कर के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए राज्य सरकार के लिए बिक्री-कर समाप्त करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसके स्थान पर संतोषप्रद वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो। तथापि शासन विधि एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तत्पर है। इसी उद्देश्य से 1977 में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सरलीकरण समिति गठित की गई थी, समिति की अनेक संस्तुतियां स्वीकार करके कार्यान्वित की जा चुकी हैं। कई अन्य संस्तुतियां सिद्धान्तः स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में कार्यवाही जारी है। इनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 536 पर)

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय वित्त मंत्री जी को यह जानकारी है कि प्रदेश में जो बिक्री-कर लगा हुआ है, वह पड़ोसी राज्यों के बिक्री-कर से ज्यादा है और इस कारण प्रदेश के तमाम व्यापारी दिल्ली व दूसरे प्रदेशों में स्थानान्तरित होते जा रहे हैं, तो क्या ऐसी प्रक्रिया को रोकने के लिए और बिक्री-कर कम करने के लिए प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की तरह यहां भी प्रक्रिया लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह सही है कि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न बिक्री-कर की दरें हैं। जैसा कि मैंने इसके पूर्व में भी कहा कि केन्द्र सरकार से हमारे प्रयास इस सम्बन्ध में जारी हैं और एक समिति बनाई गई है। उसमें हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आमदनी भी कम न हो और इस बिक्री-कर की प्रक्रिया का भी सरलीकरण हो जाए।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जैसा कि मैंने इसके पूर्व में भी प्रश्न किया था, उसके सम्बन्ध में आपने कह दिया कि हमारे प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या-2 में आ जायेगा। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जनता सरकार ने जो कमेटी बिक्री-कर के सरलीकरण के सम्बन्ध में बनाई गई थी, उसके सुझावों पर भी आप विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

कमेटी के सुझावों की क्या आवश्यकता है, जबकि सरकार स्वयं विचार कर रही है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

एक खास उदाहरण देते हुए एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में होजरी उद्योग एक कुटीर उद्योग धंधे के रूप में आता है और इस उद्योग पर उत्तर प्रदेश में 7-8 प्रतिशत सेल्स टैक्स है, जबकि दूसरे प्रदेशों में इतना नहीं है। बिहार में 1 प्रतिशत, दिल्ली में 1 प्रतिशत और कलकत्ता में कोई टैक्स नहीं है, तो इस प्रकार के जो अंतर और प्रदेशीय विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं निवेदन कर चुका हूं कि इन सारे प्रश्नों पर इन विसंगतियों को दूर करने के लिय दिल्ली में कान्फ्रेंस हुई थी इन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिय एक समिति बनाई गई है और दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, किया जायगा नहीं, किया जा रहा है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, जो समिति बनाई गई है उसका कार्य यह नहीं है। उसका काम तो दूसरा है या तो उस समिति में इस काम को सम्मिलित करे, उसका काम तो सरलीकरण का है मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री विशारद जी, आप बिला मेरी इजाजत के बोल उठे ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मेरे ऊपर इधर कुछ समय से प्रभाव पड़ रहा है, जो बोलने लगते हैं वह ज्यादा लाभान्वित होते हैं । या तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो सदस्य न बोलें उनको भी मौका मिले ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य बोलने लगते हैं, उन पर तो आप रोक लगा सकते हैं, मैं तो केवल इस समय की व्यवस्था दे सकता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

जिस समिति का जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में किया वह समिति उसकी प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में जो विसंगतियां हैं उत्तर प्रदेशीय स्तर पर कहीं ज्यादा कही कम क्या उस समिति को यह अधिकार प्रदान करेंगे या अलग से कोई समिति सार्वजनिक लोगों को सरकारी लोगों को व्यापारियों की मिली-जुली बनायेंगे जो इस मामले पर विचार करे ।

श्री ब्रह्म दत्त—

मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि प्रदेश के बिक्री कर कानून में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में कांग्रेस में विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि इसमें एकरूपता लाने का प्रयास किया जाय ।

श्री ऊदल—

क्या इस प्रश्न के ऊपर भी उस कांफ्रेस में 17-18 या 16-17 को जो हुई थी, विचार हुआ था कि जो फार्म 21 है फर्जी रूप से हमारे कोयले का होता जो बनारस से आता है, टैक्स चुराने के लिये फर्जी फर्मों का रजिस्ट्रेशन होता है कानपुर में हजारों फर्जी फर्म हैं और हर साल उसको बदलते रहते हैं इस चोरी को रोकने के लिये विचार किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य तो बहुत अनुभवी सदस्य हैं राष्ट्रीय स्तर की कांफ्रेस में ऐसी बातों पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी इधर-उधर कर रहे हैं मेरा प्रश्न यह है कि जो दरें दूसरे सूबों में कम हैं और हमारे सूबे में ज्यादा हैं उन दरों में दूसरे सूबों से एकरूपता लाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं किसी प्रश्न को इधर-उधर नहीं कर रहा हूं । सारे सूबों में एकरूपता लाने का प्रश्न विचाराधीन है, कांफ्रेस ने एक निर्णय लिया है कि एक आदर्श कानून बनाया जाय उसमें यह प्रश्न हल हो जायेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मेरा सवाल स्पष्ट है उसका उत्तर दीजिये, जो दरें बिक्री कर की अपने सूबे में दूसरे सूबों से ज्यादा हैं, उसको उन सूबों के बराबर कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है । एकरूपता हर चीज में आ जायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, कानून में एकरूपता दूसरी चीज है दरों में एकरूपता नहीं होती है, मैं भी वित्त मंत्री रह चुका हूं । क्या आप दरों में एकरूपता लाने जा रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हमारे संसाधन सीमित हैं हम विचार कर रहे हैं जहां दर ज्यादा है कम किया जायेगा और जहां कम है उसको ज्यादा किया जायेगा ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनको जानकारी है कि सत्ता पक्ष की ओर से घोषणा-पत्र में यह जिक्र किया गया था कि वह बिक्री कर को समाप्त करेंगे ? अगर यह जानकारी है तो इस समय समाप्त करने में क्या दिक्कत है और समाप्त न करने के लिए सार्वजनिक रूप से वह माफी मांगेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह प्रश्न इस परिधि में नहीं आ रहा है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि विगत सरकार ने बिक्री कर का सरलीकरण करने के लिए एक समिति का गठन किया था । उसकी कई बैठकें हुई । मैं भी उसका सदस्य था । दूसरे प्रदेशों में भी बैठकें हुई थीं । उस समिति की क्या सिफारिशें थीं, उन पर अब तक आपने क्या कार्यवाही की, क्या विचार करके उस पर कोई निर्णय लेना विचाराधीन है ? कोई निर्णय हुआ या नहीं और हुआ तो क्या ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सिफारिशें तो लम्बी हैं । सूक्ष्म रूप में बता देना चाहता हूं । समिति ने कुल 80 संस्तुतियां कीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं वह जानकारी दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री का आपको जो उत्तर मिला होगा, उसमें सूची संलग्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय सदस्य ने जिस समिति का उल्लेख किया संयोग से मैं भी सदस्य था उसका 80 सिफारिशें उस कमेटी की रिपोर्ट में नहीं हैं। इसलिए ध्यान आकृष्ट किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कौन सी समिति के बारे में कह रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

उसकी निश्चित रूप से 80 सिफारिशें नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

कौन सी समिति की बात कर रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

सरलीकरण के लिए समिति ने सुझाव दिये थे, वह 80 नहीं हैं।

श्री ब्रह्म दत्त--

1977 में उत्तर प्रदेश बिक्रीकर सरलीकरण समिति गठित की गयी थी जिसमें कतिपय अधिकारियों के अतिरिक्त व्यापारी संघों के प्रतिनिधि एवं विधान मंडल के सदस्य भी थे। माननीय सदस्य भी उसके सदस्य हो सकते हैं। इस समिति ने सभी सुझावों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1977 के अन्त में प्रस्तुत की थी। समिति ने कुल 80 संस्तुतियां की थीं जिसमें से 50 संस्तुतियों को स्वीकार करके अधिनियम, नियम में संशोधन अथवा प्रशासनिक आदेशों द्वारा कार्यान्वयन किया जा चुका है। 6 संस्तुतियां सिद्धान्तः स्वीकार कर ली गयी हैं और उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। समिति की 19 संस्तुतियां स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं पाया गया। दो संस्तुतियां अन्य विभागों को कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी हैं तथा शेष 33 संस्तुतियों पर आगे विचार आवश्यक है, जो किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो भ्रम पैदा हो गया है, उसे साफ करना चाहता हूं। माननीय ऊदल जी के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की समिति में इस तरह के प्रश्नों पर विचार नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूं वह कमेटी में विचार करे या दूसरी कमेटी विचार करे यह नयी बात पैदा हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो शहरों में तौला लोग होते हैं, वह खुद नहीं खरीदते, किसी का माल खरीद कर किसी को बेच देते हैं, उन पर बिक्री कर आरोपित हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले पर उस समिति ने विचार किया या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह विषय संस्थागत वित्त मंत्री का है । यह मैं स्वयं ही कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

नियोजन विभाग के कर्मचारी का विनियमितीकरण

1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नियोजन मंत्री विधान सभा 1980 प्रथम सत्र मंगलवार दिनांक 29-1-80 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 80 में अन्तिम सप्ताह तक दोनों न्यायालयों से स्थगन आदेश रद्द होने के बाद भी अभी तक विनियमितीकरण के आदेश प्रसारित न करने का क्या कारण है ? और यह आदेश कब तक जारी कर दिए जायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त

विनियमितीकरण के आदेश 26 जून, 1980 को जारी कर दिये गये हैं ।

सहकारी ऋणों की वसूली पर लिया जाने वाला संग्रह शुल्क

2--मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काश्तकारों से सहकारी कर्जा वसूली के साथ-साथ संग्रह शुल्क (कलेक्शन चार्ज) दस प्रतिशत लिया जाता है ? यदि हां, तो उसका हिसाब-किताब विभाग के किस अधिकारी के पास रहता है? बस्ती जिले में 1-7-78 से 30 जून, 1980 तक इस संग्रह शुल्क में कितना धन जमा हुआ और उस धन के आय-व्यय के लेखा परीक्षण हुआ ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक--

जी हां । सहकारी ऋण के उस बकाये की धनराशि पर, जिसकी वसूली हेतु उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 95 (क) अथवा डिग्री इजराय की कार्यवाही की जाती है, दस प्रतिशत संग्रह शुल्क (कलेक्शन चार्ज) लिया जाता है ।

इस मद का हिसाब-किताब सहायक निबन्धक के कार्यालय में रहता है तथा धन जिला सहकारी बैंक में जमा रहता है ।

बस्ती जिले में 1-7-78 से 30-6-80 तक कुल मु0 6,93,912·36रु0 (छः लाख तिरानवे हजार नौ सौ बारह रुपया छत्तीस पैसा मात्र) जिला सहकारी बैंक बस्ती में संग्रह कोष में जमा हुआ है । इस मद के आय व्यय का लेखा परीक्षण विभागीय क्षेत्रीय लेखाधिकारी, गोरखपुर एवं क्षेत्रीय लेखाकार द्वारा किया गया है ।

श्री यू0 एन0 त्रिपाठी, उप निबन्धक सहकारी समितियां, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

3--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल कार्यकर्ता कांग्रेस (ई) ने श्री यू0 एन0 त्रिपाठी, उप निबन्धक सहकारी समितियां, गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 22-4-80 को सरकार के यहां कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक--

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र पर जांच कराई गई। आरोप सही नहीं पाये गये।

डिप्टी केन कमिश्नर गोरखपुर मन्डल के ज्येष्ठ लिपिक का कथित जी0 पी0 एफ0

4--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी केन कमिश्नर, गोरखपुर मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों में वेतनमान 250-450 के अन्तर्गत कार्य करने वाले कितने ज्येष्ठ सहायक दिनांक 1 नवम्बर, 1977 से 31 मार्च, 1978 के मध्य सेवा निवृत्त हुए ? इनमें सेवा निवृत्त कौन-कौन कर्मचारी हैं जिन्हें जी0 पी0 एफ0 तथा अन्य उपलब्धियों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? और भुगतान न करने का क्या कारण है और कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

डिप्टी केन कमिश्नर, गोरखपुर मंडल के अधीनस्थ कार्यालयों में वेतनमान 250-450 रु0 के अन्तर्गत कार्य करने वाला कोई भी राजकीय ज्येष्ठ लिपिक दिनांक 1 नवम्बर, 1977 से 31 मार्च, 1978 की अवधि में सेवा निवृत्त नहीं हुआ। प्रश्न नहीं उठता।

5--श्री ऊदल--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 33 द्वारा उत्तरित]

गिरजाधर की भूमि के सम्बन्ध में जिलाधीश, जौनपुर का आदेश

6--श्री जंग बहादुर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय सरकारी पत्र नं0 320/iv 1066 बी-65, दिनांक 26-4-1968 को जी0ओ0 नं0 45 (1) एफ-67/(रेवन्यू) एफ, दिनांक 31-10-67 के आधार पर जिलाधीश, जौनपुर के पास (गिरजाधर के भूमि के सम्बन्ध में) भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हाँ। उक्त आदेश द्वारा जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि अभिलेखों में गिरजाधरों की सम्पत्ति को केन्द्र सरकार की सम्पत्ति दर्ज करने की कार्यवाही की जाय, तदनुसार जनपद जौनपुर के ग्राम हुसैनाबाद के गाटा संख्या 703 व 704 रकबा 1·11 एकड़ पर ? गिरजाधर का नाम खारिज होकर मिलिकियत केन्द्रीय सरकार के नाम दर्ज करने के लिय भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत मुकदमा नं0 78 कायम किया गया। दिनांक 27-11-68 को परगनाधिकारी ने गिरजाधर का नाम खारिज हो कर मिलकियत केन्द्रीय सरकार का नाम दर्ज करने का आदेश पारित दिया। परन्तु यह आदेश एकतरफा होने के कारण श्री टी0सी0 निकिल्स की आपत्ति पर उसे 2-7-69 को परगनाधिकारी ने निरस्त कर दिया और नायबतहसीलदार को पुनः जांच के लिये भेजा। नायबतहसीलदार ने पुनः उपरोक्त गाटों की मिलिकियत केन्द्रीय सरकार दर्ज करने की संस्तुति किया। परन्तु परगनाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27-3-73 द्वारा वादी की अनुपस्थिति में बाद निरस्त कर दिया। फल-स्वरूप केन्द्रीय सरकार का नाम दर्ज नहीं हुआ। दिनांक 16-3-66 को डिसेसियेशन चर्च ने बहक टी0 सी0 निकिल्स उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण कर दिया था तथा 17-6-66 को श्री निकिल्स ने उक्त भूखन्डों का हस्तांतरण श्री राजेन्द्र प्रसाद, एडवोकेट के हक में कर दिया। उन्होंने समय-समय पर विभिन्न 7 व्यक्तियों के हक में ·51 एकड़ भूमि का हस्तांतरण कर दिया। और ·17 एकड़ भूमि पर अपना मकान बनवा रहे हैं। इन सभी व्यक्तियों पर मकान व हाता घेरने के सम्बन्ध में विनियमित क्षेत्र अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत मुकदमें दायर किये गये हैं, जो विचाराधीन हैं।

साधन सहकारी समिति, सरजूपुर, जिला शाहजहाँपुर की गोदाम निर्माण की स्वीकृति

7--श्री रूपराम, श्री जगदीश सिंह तथा श्री स्वामी नेम पाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहाँपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की न्याय पंचायत, सरजूपुर में जो गोदाम विभाग का बनना है जिसके लिए साधन सहकारी समिति, सरजूपुर का विधिवत प्रस्ताव भी हो चुका है तथा औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी हैं, फिर भी क्यों आज तक स्वीकृति नहीं दी गयी है ?

श्री राम नारायण पाठक--

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की न्याय पंचायत स्तरीय साधन सहकारी समिति लि0 सरजूपुर को ग्रामीण गोदाम बनवाने की स्वीकृत दी जा चुकी है।

श्री बलवीर सिंह उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक शाहजहांपुर द्वारा विदेश यात्रा में व्यय की गयी धनराशि

8--श्री रूपराम--

क्या सरकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा श्री बलबीर सिंह उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लि0 जिला

शाहजहांपुर को विदेश जाने की अनुमति देने के बावजूद भी श्री सिंह द्वारा उक्त बैंक का हजारों रुपया खर्च करके जो विदेश यात्रा की गयी थी उस रुपये की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से हुई या नहीं ?

श्री राम नारायण पाठक--

बैंक द्वारा विदेश यात्रा में व्यय की गई धनराशि की वसूली श्री बलबीर सिंह से करने हेतु सहकारी समिति अधिनियम की धारा 68 (1) के अधीन अधिभार निर्धारित कर दिय गये हैं ।

टिहरी गढ़वाल के मुख्यालय का नरेन्द्र नगर से स्थानान्तरण

9--श्री विद्यासागर नौटियल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जनपद के मुख्यालय को नरेन्द्र नगर से हटाकर टिहरी में स्थापित करने सम्बन्धी राज्य सरकार के सन् 1954 में लिए गये निर्णय पर अमल करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह--

वर्ष 1966 में यह निर्णय लिया गया था कि इस समय टेहरी गढ़वाल का मुख्यालय नरेन्द्रनगर से टेहरी ले जाना उपयुक्त नहीं है । टेहरी बांध के निर्माण के कारण टेहरी नगर भविष्य में पूरी तरह से जलमग्न हो जायेगा ।

10--श्रीमती गौरी देवी--

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 26 द्वारा उत्तरित]

तहसील उतरौला, जिला गोंडा में चकबन्दी

11--श्री मसरूर जाफरी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील उतरौला, जिला गोण्डा के उन गांवों में जिनमें तीन साल पहले चकबन्दी समाप्त हो गई थी, उन सभी गांव की चकबन्दी अभी तक लागू (कन्फर्म) नहीं की गयी है और क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गांव में कब तक चकबन्दी (कन्फर्म) कर दी जायेगी) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

कदाचित् माननीय सदस्य का चकबन्दी समाप्ति से तात्पर्य नये चकों पर कब्जा परिवर्तन तथा चकबन्दी लागू (कन्फर्म) से तात्पर्य धारा 52 (1) अन्तर्गत प्रकाशन है । जनपद गोंडा की तहसील उत्तरौला के कुल 225 ग्राम ऐसे हैं जिनमें 3 वर्ष पहले चकबन्दी समाप्त हो चुकी थी किन्तु धारा 52 की अधिसूचना का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है । इसका मुख्य कारण उपरोक्त ग्रामों में कुछ वादों का अनिस्तारित होना तथा कतिपय मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जाना है ।

इन ग्रामों का आगामी दो वर्षों में धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

मैनपुरी जिले के ग्राम खेरिया शिकमी गोहना के श्री सुनहरी लाल का भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

12--श्री जगदीश सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सुनहरी लाल, पुत्र अन्तराम सिंह, निवासी खरिया शिकमी गोहाना, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी के चार प्रार्थना-पत्र पट्टों के वितरण में असामनता व प्रधान की गलत बयानी एवं कार्यवाही में बिलम्ब करने के सम्बन्ध में दिनांक 1-6-1979 के प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । जांच में शिकायतकर्ता को आवंटन करने का भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव अनियमित पाया गया तथा उसके निरस्तीकरण हेतु वाद अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रधान की गलत बयानी एवं कार्यवाही में विलम्ब के आरोपों की जांच परगनाधिकारी द्वारा की जा रही है जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

13--जगदीश सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको एवं सचिव, राजस्व परिषद् तथा माननीय मुख्य मन्त्री को सुनहरी लाल व अमीर सिंह व पदम सिंह पुत्रगण अन्तराम सिंह, निवासी खेरिया-सिकमी गोहाना, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी के प्रार्थना-पत्र मार्च-अप्रैल, 1978 के प्राप्त हुए कि अतिरिक्त जिलाधिकारी, मैनपुरी ने अपने आदेश संख्या 51-(1)/1-शिकायत-78, दिनांक 19-4-78 तथा दिनांक 13-4-73 की प्रतिलिपि संलग्न करके परगनाधिकारी, जसराना को निर्देशित किया गया कि दिनांक 18-5-78 तक संलग्नक आदेश का अनुपालन कड़ाई के साथ किया जाय ? अब तक अतिरिक्त जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । श्री सुनहरी लाल, अमीर सिंह व पदम सिंह, निवासी ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी के संदर्भित प्रार्थना पत्र पर अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19 अप्रैल, 1978 द्वारा परगनाधिकारी को निदेश दिया था कि यदि भूतपूर्व परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 1973 के विरुद्ध कोई अपील या निगरानी दायर न की गई हो तो शिकायतकर्ता को पट्टे दे दिये जायें और यदि पट्टे नियमानुकूल न हों तो उन्हें नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जाय । परगनाधिकारी ने पुनः जांच में प्रश्नगत आवंटन को अनियमित बताया । इसी बीच राजस्व परिषद् के पत्र संख्या 550/जी-5-207 (7)/74, दिनांक 6 जुलाई, 1978 में प्रश्नगत पट्टों की वैधता के बारे में जांच कराने के आदेश प्राप्त हो गये । अतः अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है । इस समय भूमि प्रबन्धक समिति के आवंटन प्रस्ताव की वैधता का प्रश्न सक्षम न्यायालय के विचाराधीन है । उपरोक्त स्थिति में अतिरिक्त जिलाधिकारी के प्रशासनिक आदेश के उल्लंघन के लिये किसी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले में गन्ना मूल्य अनुदान का वितरण

14--श्री मित्रसेन--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 1978-79 को गन्ना मूल्य अन्तर का सबसिडी का वितरण कृषकों में कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

फैजाबाद जनपद की सहकारी गन्ना समिति, अकबरपुर को छोड़ कर अन्य दो समिति क्षेत्रों फजाबाद व मसौधा में पेराई सत्र 1978-79 के लिए गन्ना मूल्य अनुदान का पूर्ण वितरण कृषकों म किया जा चुका है। अकबरपुर समिति क्षेत्र के कृषकों में अनुदान का वितरण अभिलेखों के अपूर्ण होने के कारण नहीं किया जा सका, जिसके भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

सहकारी गन्ना विकास समिति, पिपराइच, गोरखपुर में कार्यवाही पुस्तिका की चोरी

15--डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, पिपराइच, जनपद गोरखपुर की प्रबन्ध कमेटी की पिछली कितनी किताब कार्यवाहियां गायब हो गयी है ? इसके लिए कितने कर्मचारी दोषी हैं ? और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, पिपराइच, जनपद गोरखपुर की केवल एक कार्यवाही पुस्तिका गायब हुई है। इस कार्यवाही पुस्तिका के गायब होने में कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया, क्योंकि समिति की नव गठित प्रबन्ध कमेटी की दिनांक 20-8-79 की बैठक में उत्पन्न उत्तेजनात्मक स्थिति के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसके द्वारा यह कार्यवाही पुस्तिका गायब की गयी। इस सम्बन्ध में प्रश्नगत समिति के सचिव ने थानाध्यक्ष, पुलिस स्टेशन, पिपराइच में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी थी, जिसकी जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

सहकारी समिति, टिकवामऊ, रायबरेली में गबन

16--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या सरकार को जानकारी है कि रायबरेली जनपद अन्तर्गत खीरी ब्लाक की स0 समिति टिकवामऊ में लगभग 60,000.00 (साठ हजार) रुपया का घपला है ? क्या सरकार इसकी विधिवत् जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

समिति के सरपंच ने अभिलेखों के गायब करने व लगभग मु0 51,000 रुपये के गोलमाल की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना खीरी में तत्कालीन एकाउन्टेंट

[श्री राम सिंह खन्ना--]

श्री अकबाल बहादुर श्रीवास्तव के विरुद्ध वर्ज कराई थी। मामले की जांच पुलिस की विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता द्वारा की जा रही है।

पर्वतीय जिलों में जलाये गये चीड़ के जंगल

17--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या वन मन्त्री बतायेंगे कि पर्वतीय जनपदों में चीड़ के जंगल माह फरवरी में विभाग द्वारा जलाये जाते हैं ? यदि हां, तो इस वर्ष (1980) सारे चीड़ के जंगल माह मई से जलाये गये, जिससे हरा चारा छोटे-छोटे पेड़ों तथा लीसा जल जाने से प्रदेश व राष्ट्र को अरबों रुपये की हानि हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उस पर शासन क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां, पर्वतीय जनपदों में चीड़ के वनों में ग्रीष्म ऋतु में आकस्मिक अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कार्य योजनाओं में प्रस्तावित निदेशों के अनुसार विभागीय तौर पर नियंत्रित झुकाव (कन्ट्रोल बर्निंग) माह फरवरी एवं मार्च में किया जाता है। यह सब नहीं है कि इस वर्ष (1980) सारे चीड़ के जंगल माह मई में जलाये गये या विभागीय तौर से कन्ट्रोल बर्निंग माह मई में की गई। हरा चारा, छोटे-छोटे पेड़ों तथा लीसा जल जाने से जो क्षति हुई है वह माह मई, जून में आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण हुई है तथा इसमें अनुमानतः रु0 1,43,952 की क्षति हुई है। पिछले साल के भयंकर सूखों के कारण पर्वतीय क्षेत्र के चीड़ के वन बिलकुल सूख गये थे इसी कारण अग्नि का प्रकोप अधिक रहा। आकस्मिक अग्नि दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त होते ही इसे विभागीय कर्मचारियों द्वारा नजदीकी ग्राम वासियों के सहयोग से बुझाया जाता है। वन विभाग वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिये पूर्ण रूप से जागरूक है। छठी पंचवर्षीय योजना के लिये उत्तर प्रदेश में वनों की अग्नि से सुरक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये एक योजना बनाई गई है जिसमें जन-सम्पर्क जन शिक्षा तथा आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया गया है।

पी0 सी0 एफ0, लखनऊ में कनिष्ठ सहायक-कम-गोडाउन कीपर का चयन

18--श्री बाबू सिंह यादव--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 14 जून, 1980 को पी0 सी0 एफ0 लखनऊ मे कनिष्ठ सहायक कम गोडाउन कीपर के पचास पदों के लिए कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक परीक्षाफल न घोषित करने का क्या कारण है ?

श्री राम नारायण पाठक--

दिनांक 14 जून, 1980 को पी0 सी0 एफ0, लखनऊ में कनिष्ठ सहायक-कम-गोडाउन कीपर के पचास पदों के लिये साक्षात्कार हुआ था। साक्षात्कार के आधार पर चुने गये अभ्यर्थियों को दिनांक 24-7-80 को तीन महीने के लिये तदर्थ नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

हरदोई जिले में सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण की वसूली

19—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सूखापीड़ित क्षेत्रों के लोगों को सरकारी स्तर पर कौन-कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं हरदोई जिले में सहकारी भूमि विकास बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा कर्ज की वसूली में की जा रही दमनकारी कार्यवाहियों पर रोक लगाने की दिशा में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री राम नारायण पाठक—

प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां सूखे के कारण 50 प्रतिशत से अधिक फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां शासन द्वारा समस्त कृषि देयों, जिनकी वसूली मालगुजारी की बकाए की भांति वसूल की जाती है तथा भू-राजस्व की वसूली अग्रिम आदेशों तक स्थागित कर दी गई है । इन क्षेत्रों में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना चालू कर बेरोजगारों को रोजी दिलाई गई । असहाय एवं अक्षम व्यक्तियों की सूची तैयार कर उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 किलो ग्राम अनाज दिये जाने की व्यवस्था की गई तथा यह सुनिश्चित कर लिया गया कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार न हो । प्रत्येक न्याय पंचायत पर इस हेतु 2 क्विंटल गेहूं रखे जाने की व्यवस्था की गई । पशुओं के लिये चारे की भी व्यवस्था की गई । इन क्षत्रों में आपदा तकावी की व्यवस्था की गई । इसके अतिरिक्त पेय जल तथा सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा राशन, चीनी, डीजल एवं मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था की गई ।

हरदोई जिले में सहकारी भूमि विकास बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा कर्ज की वसूली में की जा रही उत्पीड़क कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई तथा कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया कि कृषकों को समझा बुझाकर उनकी देय क्षमता के अनुसार ही वसूली की जाय ।

टिहरी गढ़वाल एवं उत्तर काशी में वनों का बन्दोबस्त

20—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेगें कि टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जनपदों में वन बन्दोबस्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार कब तक वन बन्दोबस्त कराने की सोच रही है ?

श्री विद्या भूषण—

टिहरी गढ़वाल तथा उतरकाशी जनपदों के जो वन टिहरी स्टेट के विलियन होने के बाद वन विभाग उत्तर प्रदेश में निहित हुए थे उनका वन बन्दोबस्त पहले ही भूतपूर्व टिहरी रियासत द्वारा किया गया था तथा उन्हें टिहरी गढ़वाल फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत रक्षित वन भी घोषित किया जा चुका था । टिहरी स्टट के विलियन के बाद उक्त बनों को भारतीय बन अधिनियम के अन्तर्गत भी आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है । अतः उनका वन बन्दोबस्त कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

21—श्री विद्यासागर नौटियाल—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 द्वारा उत्तरित]

पर्वतीय जिलों में फलों एवं खेती की भूमि

22—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1979 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून नैनीताल जिलों में अलग-अलग कितने एकड़ भूमि में फलों के बाग थे और कितने एकड़ भूमि में खेती होती थी तथा कितने एकड़ भूमि में वन थे और जिले में कुल कितनी भूमि थी ?

श्री यशपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

23—श्री राम आसरे वर्मा—

[प्रदेशीय सरकार से असंबन्धित होने के कारण हटाया गया ।]

सहकारी समितियों के सचिवों को सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधा दिये जाने की मांग

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियों में सेवारत कैडर सचिवों को सामान्य भविष्य निधि ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रैच्यटी, पेन्शन, चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति प्रदान करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि आरबीट्रेशन की कार्यवाही का अधिकार क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारियों से हटाकर न्याय पालिका क्षेत्रान्तर्गत करने में शासन के समक्ष क्या कठिनाई है ? क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंकेक्षण शुल्क दो प्रतिशत, जो काटा जाता है, क्या उसे कम करने का विचार सरकार का है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक—

सहकारी समितियों में कार्यरत कैडर के सचिव राजकीय कर्मचारी नहीं हैं । उनके प्रश्नगत मामले शासन के विचाराधीन नहीं हैं ।

आर्बीट्रेशन के प्रति वर्ष में कई लाख मामलों का निस्तारण सहकारी विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है । न्यायपालिका को यह कार्य देने पर विशेष न्यायालयों की अलग से स्थापना करनी पड़ेगी जिससे शासन पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा तथा किसानों पर न केवल व्यय भार पड़ेगा अपितु देरी से न्याय मिल सकेगा ।

लेखा परीक्षा शुल्क की दरों के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

कृषक सेवा सहकारी समितियों के सचिवों की पदोन्नति की मांग

25—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन साधन सहकारी समितियों को किसान सेवा सहकारी समिति के नाम से पुनर्गठित किया गया है, उसमें सेवारत कैडर सचिवों को प्रबन्ध निदेशक बनाये जाने के क्या

कारण हैं और उन्हें प्रबन्ध निदेशक कब तक बना दिया जायेगा और जिला सहकारी बैंक मुख्यालय पर कार्यरत कैडर सचिवों को अन्य कर्मचारियों की भांति मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं अन्य सुविधायें देने के बारे में शासन की क्या नीति है ?

श्री राम नारायण पाठक--

कृषक सेवा सहकारी समितियों के प्रबन्ध निदेशक का पद प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के सचिवों के संवर्ग में न होने के कारण सचिवों को उक्त पद पर पदोन्नत करने का प्रश्न नहीं उठता है। प्रबन्ध निदेशक के पद को उक्त संवर्ग में लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

सचिव राज्य कर्मचारी नहीं हैं। वर्तमान नियमों में इन्हें प्रश्नगत भत्ते अनुमन्य नहीं हैं। भत्ता देने के लिए सचिवों से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण निबन्धक द्वारा किया जा रहा है।

26-27--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[तीसरे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35-36 द्वारा उत्तरित]

चीनी निगम की चीनी मिलों एवं निजी चीनी मिलों से मुक्त चीनी का भाव

28--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द तथा श्री गौरी शंकर--

क्या गन्ना विकास एवं गन्ना उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में प्राइवेट रिसीवरशिप एवं यू० पी० शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत लिए जाने वाली चीनी मिलों ने मुक्त वितरण हेतु आवंटित चीनी 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1980 तक प्रत्येक माह में किस-किस दर से बेची है ? क्या यह सच है कि बिक्री दर में काफी असमानता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

गोरखपुर जिले में स्थित प्राइवेट रिसीवरशिप एवं उ० प्र० राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों द्वारा 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1980 तक प्रत्येक माह में बेची गई मुक्त चीनी के भाव संलग्न सूची में दिये गये हैं। उक्त चीनी मिलों द्वारा विभिन्न अवधि में चीनी की किस्म तथा बाजार भाव को देखते हुए चीनी की बिक्री करने के कारण भावों में असमानता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 540 पर)

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले में गोदामों का निर्माण

29--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में सीतापुर जिले में कितने गोदाम बनने थे तथा कितने बन गये ? जो नहीं बन सके, वह किन-किन ग्रामों में बनना प्रस्तावित है तथा कब तक बन जायेंगे ?

श्री राम नारायण पाठक—

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले में वर्ष 1979-80 में 54 गोदाम निर्माण हेतु स्वीकृत हुए थे। इनमें से अभी कोई गोदाम पूर्ण नहीं बना है। 2 गोदाम निर्माणाधीन है। जिन ग्रामों में शेष 52 गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है उन की सूची संलग्न है। वर्ष 1981-82 में इनके पूर्ण होने का लक्ष्य है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 541 पर)

सहकारी गन्ना मिल, अकबरपुर, फैजाबाद में सहायक एकाउन्टेन्ट एवं कैशियर के पद पर नियुक्ति

30—श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री लालसा तथा श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित सहकारी गन्ना मिल में सहायक एकाउन्टेन्ट व कैशियर के पद पर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के विरुद्ध डी० सी० ओ०, फैजाबाद ने विभाग को लिखा है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई।

श्री यशपाल सिंह—

जी हां। जिला गन्ना अधिकारी, फैजाबाद ने इस सम्बन्ध में प्रबंध निदेशक सहकारी चीनी मिल संघ को लिखा है। कृत-कार्यवाही की जानकारी की जा रही है।

31—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[3 रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 37 द्वारा उत्तरित]

तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में बाढ़

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत परगना मल्लावां, माधोगंज एवं कछन्दऊ के कौन-कौन से गांव इस वर्ष की बाढ़ एवं जल-भराव से प्रभावित हुए हैं तथा इन्हें राहत दिए जाने के कौन से उपाय शासन ने किए ?

श्री यशपाल सिंह—

इस वर्ष बाढ़ एवं जलप्लावन के कारण तहसील बिलग्राम के परगना मल्लावां के 21 ग्राम व कछन्दऊ के तीन ग्राम प्रभावित हुए हैं जिनकी सूची संलग्न है। तहसील बिलग्राम में माधोगंज नामक कोई परगना नहीं है, बल्कि यह एक कस्बा है, जो बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ। उपरोक्त 24 ग्रामों में बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को नियमानुसार अहेतुक सहायता तथा गृह अनुदान वितरण किया जा रहा है तथा कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 543 पर)

ग्राम नवादा दरोवस्त, जिला शाहजहांपुर में चकबन्दी

33—श्री जगदीश सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर के परगना जलालपुर, तहसील तिलहर के ग्राम नवादा दरोवस्त में गत 1972-73 से चकबन्दी चल रही है ? चक काटे जाने के बावजूद भी अभी तक चकों की पैमाइश न कराने का क्या कारण है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

माह अप्रैल/मई, 1976 में चकों की पैमाइश भी कराई जा चुकी है ।

34—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शीत-गृहों की निर्माण लागत

35—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा निर्मित कराए जा रहे शीतगृहों में निर्माण लागत 100 रुपया प्रति क्विन्टल आती है, जबकि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के तकनीय आंगणन के अनुसार यह निर्माण लागत केवल 50 रुपया प्रति क्विन्टल है ? यदि हां, तो एसा क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक—

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित निजी शीतगृहों की लागत 59 रुपये से 66.58 रुपये प्रति कुन्तल अनुमानित है और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा निर्मित करायें जा रहे शीतगृहों, जिनका वित्त पोषण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, की लागत 90 रुपया प्रति कुन्तल आती है । विशेषज्ञों द्वारा इस विषय का परीक्षण कराया जा रहा है ।

विकास खंड मड़ियाहूं एवं रामनगर, जिला जौनपुर में उर्वरक वितरण पर कथित छूट

36—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र मड़ियाहूं और रामनगर, जनपद जौनपुर में खरीफ 1980 में सहकारिता विभाग द्वारा ऋण पर वितरित उर्वरकों पर कोई छूट दी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी छूट किन-किन लोगों को किस आधार पर दी गई है ?

श्री राम नारायण पाठक—

प्रश्नगत विकास क्षेत्रों में खरीफ 1980 में सहकारिता विभाग द्वारा ऋण पर वितरित उर्वरकों पर अभी तक कोई छूट नहीं दी गई ।

प्रदेश में मालगुजारी के संशोधन पर विचार

37--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि जो भूमि पर लगान लागने के लिए सिंचित, असिंचित की परिभाषा करके क्रमशः 20 रु0 10 एकड़ किया गया है, उसको खत्म करके जमीन की किस्म या रूस्टररेट से लगान लगाया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

मालगुजारी के वर्तमान आधार व स्वरूप में संशोधन परिवर्तन किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की आमदनी में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी योजना

38--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और उनकी औसत आमदनी क्या है ? आमदनी बढ़ाने की कोई योजना सरकार की है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे बसने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 486 लाख है । उनकी औसत आमदनी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथा उक्त संख्या उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों पर आधारित है ।

योजना में कई ऐसे कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है जिनसे उपरोक्त लोगों की आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलेगी । इनमें श्रम के बदले खाद्यान्न, लघु कृषक विकास तथा एकीकृत ग्रामीण विकास की योजनायें, अन्त्योदय तथा स्थानिक विकास योजना, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, अनुसूचित जन जाति एवं निर्बल वर्ग के विकास के कार्यक्रम, ग्रामीण एवं लघु उद्योग विकास कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

हरदोई जिले के ग्राम दनई पुरवा में गंगा नदी से कटान

39--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद में बिलग्राम तहसील के ग्राम दनई पुरवा (कटरी बिधुइटा) गंगा की बाढ़ की चपेट में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और अचानक कटान से ग्रामवासियों को काफी क्षति उठानी पड़ी ? यदि हां, तो ग्रामवासियों को पुनर्वास के लिये या राहत देने की दिशा में क्या कदम उठाये गये ?

श्री यशपाल सिंह--

इस वर्ष बाढ़ से ग्राम दनई पुरवा की आबादी में कटान हुआ है । माह जुलाई, 1980 में 21 तथा माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में 18 कुल 39 मकान

कट गये हैं । प्रभावित परिवारों को 4,200 रुपया गृह अनुदान, 4500 रु० तकावी तथा 50 रुपया अहेतुक सहायता, अभी तक वितरित हो चुकी है तथा सहायता कार्य अभी जारी है । प्रभावित परिवारों को ग्राम कटरी छिवरामऊ म भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ।

चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी गोण्डा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

40--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तहसील बलरामपुर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध 15 जनवरी, 1980 से आज तक कितने शिकायती पत्र जिला मजिस्ट्रेट गोंडा, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं सचिव, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशपाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोंडा की तहसील बलरामपुर में कार्यरत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारियों तथा सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध प्रश्नगत अवधि में 6 शिकायती पत्र तथा 2 पेम्पलेट जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा, चकबन्दी आयुक्त, सचिव, राजस्व विभाग तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुये हैं । इनमें उल्लिखित आरोपों की जांच उप संचालक चकबन्दी तथा सहायक संचालक चकबन्दी, गोन्डा द्वारा की जा रही है ।

शाहजहांपुर के ग्राम गुरगवां में अग्निकाण्ड

41--श्री जगदीश सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि 5 मई, 1979 को शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील के गुरगवां ग्राम में आग लगी जिसमें 42 व्यक्तियों का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों को क्या-क्या राहत दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार आग लगने के कारणों की जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्री यशपाल सिंह--

दिनांक 5-5-79 को नहीं बल्कि दिनांक 3-5-79 को शाहजहांपुर के तिलहर तहसील के गुरगवां ग्राम में आग लगी थी जिसमें 42 कृषकों के गेहूं के खलिहान जले थे ?

जिन 42 कृषकों के खलिहान जले थे, को 50-50 रुपये अहेतुक सहायता देना प्रस्तावित किया गया था जिसको वे लोग लेने को तैयार नहीं हुए । प्रभावित लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे जिसका कोई प्राविधान नहीं है ।

ग्राम गुरगवां में नियमानुसार जांच कराई गयी थी परन्तु कारण ज्ञात नहीं हो सका ।

जिलाधीश, गोरखपुर को भेजा गया बाढ़ के सम्बन्ध में पत्र

42—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नकर्त्री का कोई पत्र जिलाधीश, गोरखपुर को दिनांक 9-6-80 को बाढ़ की बैठक के दिन बाढ़ से सुरक्षा एवं राहत सम्बन्धी कार्य हेतु शीघ्र कदम उठाने हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

श्री यशपाल सिंह—

हां, श्रीमती गौरी देवी का एक पत्र दिनांक 9-6-60 को जिला आपात-कालीन परामर्श दात्रीय समिति की बैठक के मध्य प्राप्त हुआ था । इस पत्र को इस बैठक में पढ़ा गया था और सम्बन्धित अधिकारियों को उस पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

परगनाधिकारी, डुमरियागंज, जिला बस्ती के न्यायालय में लम्बित मुकदमें

43—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यसुफ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की डुमरियागंज के परगनाधिकारी के न्यायालय में 16-7-80 को कितने मुकदमें विचाराधीन हैं और इस वर्ष कुल कितने मुकदमों में फैसला हुआ है ? विचाराधीन मुकदमों को निपटाने का क्या कोई उपाय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

दिनांक 16-7-80 को परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट डुमरियागंज के न्यायालय में 956 राजस्व वाद तथा 89 फौजदारी वाद विचाराधीन थे ।

अक्तूबर, 1979 से अगस्त, 1980 तक 574 राजस्व एवं 222 फौजदारी वाद निर्णीत किये गये ।

विचाराधीन मुकदमों को शीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

44—श्री मित्रसेन—

[7वें मंगलवार में अतारांकित संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बस्ती जिले के ग्राम कटिरिया बाबू के लेबड़ताल की नीलामी से आय

45—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत ग्राम सभा कटरिया बाबू, विकास क्षेत्र धनवापुर के अन्तर्गत लेबड़ताल की नीलामी से पिछले 10 वर्षों में कुल कितना धन ग्राम सभा को प्राप्त हुआ है और इस समय ग्राम सभा के पास कितना पैसा अवशेष है ? क्या इसका पूरा ब्योरा प्रत्येक वर्ष की आमदनी व खर्च का सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

ग्राम सभा कटिरिया बाबू, विकास क्षेत्र धनवापुर, जिला बस्ती के अन्तर्गत लेबड़ताल की आय से पिछले 10 वर्ष में कुल रु0 62,808·00 ग्राम सभा को प्राप्त हुआ है ।

इस समय ग्राम सभा के पास कुल रुपये 44,233·90 की धनराशि अवशेष है ।

वर्ष 1970–71 से 20–8–80 तक की आमदनी और खर्च का विवरण† संलग्न है ।

गोरखपुर जिले के नायब तहसीलदारों का कार्यकाल

श्रीमती गौरी देवी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के फरेन्दा, बांसगांव, सदर महराजगंज तहसीलों के कितने ऐसे नायब तहसीलदार हैं जिन्हें एक ही तहसील में कार्य करते 3 साल से अधिक समय हो गया और अभी तक उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह––

गोरखपुर जनपद की फरेंदा, महराजगंज तथा बांस गांव तहसीलों में किसी नायब तहसीलदार का कार्यकाल उन तहसीलों में तीन वर्ष नहीं हुआ है । केवल सदर तहसील में एक नायब तहसीलदार की अवधि उस तहसील में तीन वर्ष से अधिक हो गई थी किन्तु वह अब तहसीलदार पद पर प्रोन्नत हो गए हैं ।

गोरखपुर जिले के कतिपय विकास खण्डों में बाढ़

47––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के विकास खंड कौड़ीराम, खोराबार व पिपरौली बाजार के किन–किन गांवों को 20 जुलाई, 1980 तक बाढ़ से प्रभावित होने के कारण राहत कार्य हेतु कितनी सहायता प्रदान की गयी ?

श्री यशपाल सिंह––

गोरखपुर जिले के विकास खण्ड कौड़ीराम के ग्राम टेगरखावां, करपइया, धसकी, कंजरही, नवापार, अइमा, तेनुआ, देउरबीन, सोहगौरा, टोकर, शहरिया, सोनाई खुर्द, सोनाई बुजुर्ग, कैथवलिया, कलानी, भरवलिया, नीडांड, तालदोहर, कुदरिया, अमवा, तेबनां, तिघरा, मझवा, राऊतपार तथा गजपुर, विकास खण्ड खोराबार के ग्राम लालपुर–टीकर–डोमरी, पारकरनाही, चाफा, सनहा, विशुनपुर खुर्द, जंगल गौरी नं0 1, झगहा तथा सोमरवनी तथा विकास खण्ड पिपरौली बाजार के ग्राम धसकी खुर्द, चेरिया, कलानी बुजुर्ग, कलानी खुर्द गहर, कैनो, कटका, बेलवा डाड़ी, अमठोरा, जैतपुर, भगवानपुर तथा कोलिया को 20 जुलाई, 1980 तक बाढ़ से प्रभावित होने के कारण निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई :

	विकास खंड का नाम		
खण्ड	कौड़ीराम	खोराबार	पिपरौली बाजार
1	2	4	5
गेहूं	183–61–775 क्विंटल	..	7–00 क्विंटल
चावल	93–06–75 ,,	2–9–75 क्विंटल	5–06 ,,

छापी नहीं गयी ।

1	2	3	4
चना	9–76–325 क्वि0	1–60–00 ,,	6–07 क्वि0
गुड़	5–9–750 ,,	0–30–500 ,,	0–62–250 ,,
दियासलाई	878	122	241
मिट्टी का तेल	1433–1/2 लीटर	61 लीटर	214 लीटर
साबुन	157	50	208

आगरा जिले की विकास कार्य योजनायें

48—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वगामी सरकार द्वारा आगरा जिले में आरम्भ किये हुये विकास कार्यों को वर्तमान सरकार पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो य कार्य कितनी अवधि में पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

पूर्वगामी सरकार द्वारा आगरा जिले में वर्ष 77–78, 78–79 तथा 79–80 में आरम्भ किये गये विकास कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। इसमें से अधिकतर कार्यों को 31–3–81 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

49—श्री राम सागर—

[8–9–80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित]

ग्राम भगवानपुर, तप्पा रेट, जिला गोरखपुर के श्री उदय राज दुबे द्वारा शिकार माही मछली हेतु जमा की गयी धनराशि

50—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भगवानपुर, तप्पा रेट, परगना भीवापार तहसील सदर जिला गोरखपुर के पास जहां आमी नदी बहती है शिकार माही मछली हेतु जनवरी, 1975 में नीलामी के लिये श्री उदयराज दुबे पुत्र श्री द्वारिका दुबे, ग्राम भगवानपुर द्वारा चार हजार रुपया तहसीलदार के माध्यम से 27 जनवरी, 1975 को जमा किया गया था ? क्या उक्त धनराशि की वापसी के लिये दिनांक 25–10–77 से 30–10–77 के बीच कोई आवेदन पत्र श्री उदयराज दुबे द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि उन्हें वापस कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां। भगवानपुर तप्पा रेट परगना भीवापार तहसील सदर, जिला गोरखपुर के शिकारमाही मछली हेतु श्री उदयराज दुबे निवासी ग्राम भगवानपुर ने दिनांक 27–1–75 को चार हजार रुपया तहसील नजारत के रजि0 नं0 4 के क्रम संख्या 32/33 पर जमा किया था। उक्त धनराशि की वापसी के लिये श्री उदयराज दूबे का दिनांक 25–10–77 से 30–10–77 के बीच कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव उक्त धन के वापस करने का प्रश्न नहीं उठा।

राज्य कर्मचारियों को 'सी' श्रेणी के नगरों में आवास भत्ता दिये जाने की मांग

51--राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों को 'सी' श्रेणी के नगरों के लिए भी सरकार आवास भत्ता स्वीकृत करने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

राज्य कर्मचारियों के भत्तों आदि के विषय में वेतन आयोग विचार कर रहा है । अतः आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने पर ही 'सी' श्रणी के नगरों में राज्य कर्मचारियों को आवास भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा ।

बदायूं जिले में लम्बित बिक्री-कर के केस

52--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बदायूं में प्रोफेशन टैक्स (बिक्री-कर) के केस अब कितने तय किए गय हैं ? और किस नियम के अन्तर्गत और 31-7-80 तक ऐसे कितने केस हैं जिनके नोटिस जारी किए गये हैं ? कितने केस समाप्त करके पैसा वापस किया गया है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निबन्धन एवं स्टाम्प विभाग के सेवा निवृत्त अधिकारियों की भविष्य निधि एवं वेतन का भुगतान

53--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में निबन्धन एवं स्टैम्प विभाग के जो अधिकारी सेवा निवृत्त हुए हैं उनका भविष्य निधि का अवशेष, अर्जित अवकाश का वेतन, जमानत की धनराशि और टी० ए० की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो देरी से भुगतान किए जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

वर्ष 1977 में निबन्धन एवं स्टाम्प विभाग के जो अधिकारी सेवा निवृत्त हुये, उनके भविष्य निधि के अवशेष, अर्जित अवकाश का वेतन, जमानत की धनराशि और यात्रा अधिदेयक, के भुगतान की स्थिति संलग्न विवरण † में दी गई है ।

कवाल शहरों में कार्यरत बिक्री-कर अधिकारियों का कार्यकाल

54--श्री निर्भय नारायण सिंह--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर विभाग के कितने अधिकारी प्रदेश के कवाल शहरों में विभिन्न पदों पर एक ही स्थान पर 5 साल से ज्यादा से कायरत हैं और उसके कारण क्या हैं ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री ब्रह्म दत्त—

बिक्रीकर विभाग में कुल 9 अधिकारी प्रदेश के कवाल शहरों में विभिन्न पदों पर एक ही स्थान पर 5 साल से ज्यादा से कार्यरत हैं ।

2—उपरोक्त 9 अधिकारियों के नाम व पद निम्न भांति हैं :

क्र0 संख्या	कवाल शहर	अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	2	3	4	5
1	लखनऊ	श्री आर0 के0 गोयल, स0 आयुक्त (विधि) मुख्यालय	1—लखनऊ प्राविधिक अधिकारी, विजिलेन्स	1-7-67 से 3-7-71
			2—बि0 क0 अ0 लखनऊ (मुख्यालय)	3-7-71 से 22-4-75
			3—विशेष कार्याधिकारी, सचिवालय लखनऊ	22-4-75 से 31-10-75
			4—स0 आ0 (मु0)	31-10-75 से 10-11-76
			5—विशेष कार्याधिकारी, सचिवालय लखनऊ	नवम्बर 76 से 2-11-79
			6—स0 आ0 (विधि) मु0	2-11-79 से अब तक
2	,,	श्री जी0 पी0 अग्रवाल, बि0 क0 अ0 एवं राज्य प्रतिनिधि, लखनऊ	1—स0 बि0 क0 अ0 लखनऊ	जून, 70 से सितम्बर, 73
			2—स0 बि0 क0 अ0 (मु0)	15-9-73 से 11-6-74

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			3--बि0 क0 अ0 (मु0)	11-6-74 से 31-12-75
			4--एस0 एस0 ओ0 (मु0)	31-12-75 से जून, 80
			5--बि0 क0 अ0 एवं रा0 प्र0 लखनऊ	जून 80 से अब तक
3	तदेव	श्री संतोष कुमार अवस्थी, बि0 क0 अ0 (मु0)	1--बि0 क0 अ0 (बि0 अ0 (अनु0 शा0) लखनऊ	14-7-75 से 17-5-77
			2--बि0 क0 अ0 (मु0)	18-5-77 से 17-6-77
			3--बि0 क0 अ0 (उ0 न्या0 क0) लखनऊ	18-6-77 से जून, 1980
			4--बि0 क0 अ0 (मु0)	जून, 80 से अब तक ।
4	,,	श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, बि0 क0 अ0 लखनऊ स0 आ0 (करनिर्धारण) से सम्बद्ध	1--स0 बि0 क0 अ0/ड़ी0 आर0	7-7-72 से 2-8-77
			2--स0 बि0 क0 अ0 लखनऊ स0 आ0 (क0 नि0) से सम्बद्ध	2-8-77 के 30-9-79
			3--बि0 क0 अ0 लखनऊ स0 स0 आयुक्त (क0 नि0) से सम्बद्ध	30-9-79 से अब तक
5	लखनऊ	श्री शिव मोहन सिंह, बि0 क0 अ0 श्रेणी-2, सचलदल, लखनऊ	1--बि0 क0 अ0 श्रेणी-2, मंडल कार्यालय, लखनऊ	1-12-69 से 3-7-71
			2--बि0 क0 अ0 श्रेणी-2, मुख्यालय	4-7-71 से 30-9-71
			3--बि0 क0 अ0 श्रेणी-2, मंडल लखनऊ	1-10-71 से 7-6-76
			4--बि0 क0 अ0 श्रेणी-2, मुख्यालय	8-6-76 से 22-6-80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
6	लखनऊ	श्री आर0 सी0 गुप्ता, वि0 क0 अ0 श्रेणी–2, मंडल कार्यालय लखनऊ	1—वि0 क0 अ0 श्रेणी–2, मुख्यालय 2—वि0 क0 अ0 श्रेणी–2, मंडल लखनऊ	अगस्त, 75 से जून, 1980 जून, 80 से अब तक
7	कानपुर	श्रीमती श्रीकान्ता बाजपेयी वि0 क0 अ0 (ए) कानपुर	1—वि0 कर अ0 एवं रा0 प्र0 कानपुर 2—वि0 क0 अ0 कानपुर । 3—वि0 क0 अ0 खंड–2 व 10 कानपुर	3–8–74 से 7–6–75 8–6–75 से 30–9–75 30–9–75 से अब तक
8	इलाहाबाद	श्री एम0 डी0 चौहान वि0 क0 अ0 एवं रा0 प्र0, इलाहाबाद	1—वि0 क0 अ0 एवं रा0 प्र0 इलाहाबाद	26–6–72 से अब तक
9	आगरा	श्री दीनानाथ धामीजा, वि0 क0 अ0 श्रेणी–2, आगरा	1—वि0 क0 अ0 श्रेणी–2, जांच चौकी, सैंया आगरा 2—वि0 क0 अ0 श्रेणी–2/डी0 आर0 आगरा 2—वि0 क0 अ0 श्रेणी–2 (उपायुक्त (शा0) आगरा से सम्बद्ध 4—वि0 क0 अ0 श्रेणी–2 (वि0 अनु0 शा0, आगरा	जनवरी 75 से दिसम्बर, 75 दिसम्बर 75 से मई, 76 मई 76 से मई, 77 जून, 77 से अब तक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3—उपरोक्त अधिकारियों के एक ही स्थान पर 5 साल से अधिक कार्यरत रहने के निम्न कारण हैं :—

श्री आर0 के0 गोयल—

सहायक आयुक्त (विधि) मुख्यालय :

श्री गोयल 1-7-67 से 3-7-71 तक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान में प्राविधिक अधिकारी 22-4-75 से 31-10-75 और नवम्बर, 1976 से नवम्बर, 1979 तक विशेष कार्याधिकारी, सचिवालय, लखनऊ के पद पर कार्यरत रहे। बिक्री-कर विभाग में 3-7-71 से 22-4-75 (मुख्यालय) में और 31-10-75 से 10-11-76 की अवधि में सहायक आयुक्त (मुख्यालय) रहे। इन्होंने अपनी लखनऊ में तैनाती की अवधि में जन सम्पर्क के किसी पटल पर कार्य नहीं किया। बिक्री-कर विधि तथा नियमों आदि के सम्बन्ध में इनकी विशेष ज्ञान तथा योग्यता एवं अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए श्री के0 पी0 श्रीवास्तवा के उपसचिव, उ0 प्र0 शासन के पद पर चले जाने से हुई रिक्ति में श्री गोयल की नियुक्ति सहायक आयुक्त, (विधि) मुख्यालय के पद पर की गई है।

श्री जी0 पी0 अग्रवाल—

बिक्री-कर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि, लखनऊ :

श्री अग्रवाल एक लम्बे अरसे से सीनियर स्टाफ आफिसर—प्रथम के पद पर कार्यरत रहने के उपरान्त आदेश संख्या स्था0-1-जनरल-11-टी-80-81-बि0 क0 अ0-1427/बि0 क0, दिनांक 5-6-1980 द्वारा बिक्री-कर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि लखनऊ के पद पर स्थानान्तरित किए गए हैं। श्री अग्रवाल लखनऊ में जन-सम्पर्क के किसी पद पर विगत 5 वर्षों से नियुक्त नहीं रहे हैं। श्री अग्रवाल ने अपनी कतिपय पारिवारिक कठिनाइयों के कारण इस वर्ष लखनऊ से स्थानान्तरित न किए जाने का अनुरोध किया था। उपरोक्त परिस्थितियों में राज्य प्रतिनिधि के पद पर उनकी नियुक्ति लखनऊ में की गई है।

श्री संतोष कुमार अवस्थी,

बिक्री-कर अधिकारी, (मुख्यालय) :

श्री अवस्थी जून, 1977 से बिक्री-कर अधिकारी (उच्च न्यायालय कार्य), लखनऊ में कार्यरत रहने के उपरांत इस कार्यालय के आदेश संख्या स्था-1-जनरल-311-टी-80-81—बि0क0अ0-1427/बि0क0, दिनांक 5-6-80 द्वारा बिक्री-कर अधिकारी (मुख्यालय) के पद पर नियुक्त किए गए हैं और उच्च न्यायालय कार्य के अनुभव को देखते हुए मुख्यालय में निरन्तर बढ़ते हुए सर्विस लिटीगेशन का कार्य उन्हें सौंपा गया है। श्री अवस्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र, दिनांक 22-3-80 द्वारा निवेदन किया था कि 24 जनवरी, 1980 को उनकी पत्नी का 32 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया है और वह 2 छोटी अवस्था के बच्चे छोड़ गई हैं, जिसमें से सबसे छोटे बच्चे का इलाज स्थानीय न्युरो सर्जरी विभाग में चल रहा है। अतः उनका स्थानान्तरण इस वर्ष लखनऊ से अन्यत्र न किया जाय। उपरोक्त परिस्थितियों में श्री अवस्थी का स्थानान्तरण बिक्री-कर अधिकारी (उच्च न्यायालय कार्य) के पद से बिक्री-कर अधिकारी (मु0) के पद पर कर दिया गया है।

श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव—

बिक्री–कर अधिकारी, लखनऊ [(स0 आयुक्त, क0 नि0) से सम्बद्ध] :

श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने निवेदन किया है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आंख का इलाज एवं 56 वर्ष की उनकी अवस्था को देखते हुए सेवाकाल के बचे 2 वर्ष में उन्हें वर्तमान स्थान से न हटाया जाय। श्री श्रीवास्तव की अवस्था एवं उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उनका स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर नहीं किया गया।

श्री शिव मोहन सिंह—

बिक्री–कर अधिकारी, श्रेणी–2, सचलदल, लखनऊ :

श्री शिव मोहन सिंह, बिक्री–कर अधिकारी श्रेणी–2, लखनऊ ने निवेदन किया था कि कतिपय घरेलू समस्याओं के कारण लखनऊ से अन्यत्र स्थानांतरण से उन्हें असुविधा होती। श्री सिंह द्वारा अभी तक की उनकी सेवाओं में जांच चौकी अथवा सचलदल का कार्य नहीं किया गया था। अतः उन्हें इस वर्ष आदेश दिनांक 21–6–80 द्वारा सचलदल, इकाई, लखनऊ में तैनात कर दिया गया है।

श्री आर0 सी0 गुप्ता—

बिक्री–कर अधिकारी, श्रेणी–2, मण्डल कार्यालय, लखनऊ :

श्री गुप्ता, बिक्री–कर अधिकारी श्रेणी–2, (मुख्यालय) ने इस आशय का एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 2–4–80 को दिया था कि हाल में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और उनके बच्चों की देखभाल कहीं दूर स्थानान्तरित हो जाने पर नहीं हो पायेगी, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत उनको आदेश दिनांक 11–6–80 द्वारा मण्डल कार्यालय, लखनऊ में ही तैनात कर दिया गया है।

श्रीमती श्रीकान्ता बाजपेई—

बिक्री–कर अधिकारी (ए), कानपुर :

श्रीमती बाजपेई ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 14–4–80 में निवेदन किया है कि उनके पति कानपुर में उप अधीक्षक (पुलिस) के पद पर नियुक्त हैं और उनकी नियमित रूप से कानपुर में चिकित्सा चल रही है अतः उन्हें कानपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित न किया जाय। यों भी शासन के स्थायी आदेश इस आशय के हैं कि यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो उनकी एक ही स्थान पर तैनाती के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय। उपरोक्त परिस्थितियों में कानपुर में तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने के बावजूद इस वर्ष श्रीमती बाजपेई का स्थानान्तरण नहीं किया गया।

श्री एम0 डी0 चौहान—

बिक्री–कर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि, इलाहाबाद :

श्री एम0 डी0 चौहान, बिक्री–कर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि, इलाहाबाद ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1980 में निवेदन किया था कि शीघ्र ही दिनांक 28–2–81 को 58 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरांत सेवामुक्त होने वाले हैं, अतः शेष अल्पावधि में इलाहाबाद से उनका स्थानान्तरण न किया जाय। शीघ्र ही सेवा मुक्त होने के तथ्य पर विचार कर वार्षिक स्थानान्तरण के समय श्री चौहान को इलाहाबाद से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया।

श्री दीनानाथ धमीजा—

बिक्री–कर अधिकारी, श्रेणी–2, आगरा :

श्री दीनानाथ धमीजा का स्थानान्तरण आगरा से मथुरा के लिए आदेश दिनांक 16–6–80 द्वारा किया गया । श्री धमीजा के पुत्र डा0 रमेश धमीजा द्वारा प्रेषित प्रार्थना–पत्र दिनांक 23–6–80 द्वारा अपने पिता की हृदय–रोग व ब्लडप्रेशर की गम्भीर बीमारी के कारण आगरा मेडिकल कालेज में भर्ती होने तथा उसके समुचित उपचार हेतु एक वर्ष और आगरे में ही रोक देने का अनुरोध किया गया जिस पर विचार करते हुए मानविक दृष्टिकोण से श्री धमीजा का मथुरा के लिए किया गया स्थानान्तरण आदेश, दिनांक 24–6–80 द्वारा दिनांक 15–12–1980 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ।

बिक्री–कर सरलीकरण समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

55—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री–कर सम्बन्धी सरलीकरण योजना के अन्तर्गत व्यापारियों को कौन–कौन सी राहत दी गई है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

बिक्री–कर सरलीकरण समिति, 1977 द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर व्यापारियों को दी गई सुविधाओं का सूचो संलग्न है ।

56—श्री ऊदल—

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बदायूं जिले के मेला ककोड़ा में बिक्री–कर कैम्प लगाए जाने सम्बन्धी कथित आदेश

57—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975–76 में जनपद बदायूं में मेला ककोड़ा में बिक्री–कर कैंप लगाने के आदेश शासन द्वारा दिए गए थे और जनपद बदायूं को बरेली रोड पर स्थित अरिल पुल की बाजार चेकिंग करने की भी आदेश बिक्री–कर अधिकारियों, जनपद बदायू को दिए गए थे ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अभिलेखों के अनुसार इस प्रकार के कोई आदेश शासन द्वारा भेजे नहीं गए हैं । बाजार व्यापारिक स्थानों की जांच आदि का कार्य बिक्री–कर आयुक्त और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निष्पादित कराया और किया जाता है ।

मैनपुरी में ग्रामीण बैंक की स्थापना का प्रस्ताव

58—श्री ललू सिंह चौहान—

क्या वित्त मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में ग्रामीण बैंक की शाखायें कहां–कहां खोले जाने का प्रस्ताव है और स्थान चयन का आधार क्या है ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री ब्रह्म दत्त--

क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी की शाखाएं हथवन्त, भदान, मैनपुरी, खैरगढ़, करहल, सोनाई, कुर्रा, ओछा तथा कुसियारी नामक नौ केन्द्रों पर खोलने का प्रस्ताव बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा शासन को प्राप्त हुआ है। बैंक शाखाएं साधारणतया किसी क्षेत्र विशेष की "बैंकिंग" आवश्यकताओं और आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क, भवन, पुलिस थाना/चौकी, डाकघर, शिक्षा एवं चिकित्सा की उपलब्धि के आधार पर खोली जाती हैं।

बदायूं जिले में बिक्री-कर पंजीयन एवं जमानत की धनराशि

59--श्री मोहम्मद अबरार अहमद---

क्या सरकार बतायेगी कि बिक्री-कर पंजीयन में जमानत लेना आवश्यक है? यदि हां, तो पिछले तीन साल में जनपद बदायूं में कितने पंजीयन ऐसे हैं जिनके जमानतनामें सत्यापित नहीं थे और पंजीयन दे दिये गये? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बाराबंकी में प्रशिक्षित बी० टी० सी० शिक्षकों द्वारा नौकरी न दिये जाने के कारण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12·20 अपराह्न से]

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 में कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें 5 सूचनाएं स्वीकृत हुई। पहली सूचना श्री रामसागर की है।

श्री राम सागर--

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जनपद बाराबंकी में विगत 6 वर्ष के बी० टी० सी० प्रशिक्षित पुरुष महिला शिक्षक शिक्षिकाओं को नौकारी नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी फरवरी सन् 1980 में अपने सेवारत किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के कार्यालय पर अनशन पर बैठे थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित आश्वासन पर अनशन तोड़ा था। आश्वासन यथा समय पूरा न होने पर इस शिक्षा सत्र के तीसरे माह दिनांक 8-9-80 को विवश होकर पुनः वे क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिये हैं और आज अध्यापक आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं।

प्रशासन की शिथिलता एवं अकर्मण्यता के शिकार प्रशिक्षित हजारों अध्यापक बेरोजगारी से त्रस्त इधर उधर भटक रहे हैं और प्रशासन कान में उंगली डाले बैठा है। अधिकांश अध्यापकों की सरकारी सेवा हेतु आयु सीमा भी पार हो चुकी है। जिससे कि जनपद के शिक्षा जगत में शासन के प्रति घोर निराशा व क्षोभ की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः मान्यवर, आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से मेरी मांग है कि तुरन्त बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों का अनशन समाप्त कराकर उन्हें सेवा का अवसर दिया जाये ।

लखनऊ कलेक्ट्रेट, जिला पूर्ति कार्यालय तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में वह तथ्य लाना चाहता हूं कि राजधानी में कर्मचारियों का उत्पीड़न किये जाने के विरोध स्वरूप आजकल जिला कलक्ट्रेट, पूर्ति कार्यालय तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की पूर्व हड़ताल है । जिसके कारण काम काज ठप्प है ।

मान्यवर, जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे असामाजिक तत्व जबरन सीमेन्ट तथा चीनी के परमीट लेने आते हैं । न करने पर दुर्व्यवहार करते हैं । आज हड़ताल का तीसरा दिन है जनता अत्यधिक परेशान है ।

इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता कार्यालय में आज ताले लटकने का 15वां दिन है । काम काज ठप्प है ।

कलेक्ट्रेट में हड़ताल का चौथा दिन है । सुदूर गांवों से आने वाले नागरिक लौट जाते हैं ।

मान्यवर, अब तक सरकार द्वारा समस्या का निदान कर कार्य सामान्य रूप से चालू न करा पाने के कारण जनता को बड़ी असुविधा है तथा शासन के प्रति घोर असंतोष है ।

अतएव समस्या शासन के ध्यान में लाकर उसके समाधान हेतु तुरन्त प्रभावी कार्यवाही किये जाने पर बल देता हूं ।

बरेली के त्रिसूल हवाई अड्डे पर षड़यंत्रकारी गिरोह के पकड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान अकर्षित करना चाहता हूं । जिला बरेली के फौजी हवाई अड्डे (त्रिसूल हवाई अड्डे) पर पिछले शुक्रवार को एक ऐसे गिरोह को स्थानीय पुलिस ने मय कागजात पकड़ा है जिससे इस गिरोह के द्वारा देश, युद्धक विमानों, नेताओं के सफाये का षड़यंत्र का पर्दाफास हुआ है । इस गिरोह द्वारा एक लम्बे समय से वायुयानों के ईधन की चोरी की जा रही थी । गिरफतारी के समय स्थानीय पुलिस को इन लोगों से गोलीबारी हुई और इन लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इस गिरोह की खतरनाक साजिश राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को भी क्षति पहुंचाने की थी । इन लोगों के साथ बल्ब खोलने की मशीन, अवांछनीय शस्त्र, ट्रक एवं अन्य मशीनें भी प्राप्त हुई हैं । इस गिरोह में बड़े अधिकारियों के शामिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्यपाल सिंह---]

होने का भी पता चला है । इस घटना से सारे बरेली मण्डल की जनता में भय व्याप्त है कि इस प्रकार के असामाजिक तत्व पता नहीं कहां-कहां और कब जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं ।

अतएव अनुरोध करूंगा कि इस घटना की जांच सी० बी० आई० से कराई जाय तथा शासन इस बात की विशेष व्यवस्था करे कि इन असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखी जा सके ताकि जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो सके ।

श्री अजय डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्डन ब्रेड्स, कानपुर की बनी डबल रोटियों का वजन निर्धारित वजन से कम होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, श्री सेठी जी तो हैं नहीं जो डबलरोटी देखते । 400 ग्राम की 3 सौ साढ़े तीन सौ ग्राम करके बिक रही है । खैर खन्ना जी देख लेंगे । मान्यवर, कानपुर में दिनांक 16-9-80 को श्री अजय डिस्ट्रीब्यूटर्स की 137 डबलरोटियां "मार्डन ब्रेड्स" हर डबलरोटी की वजन 400 ग्राम होना चाहिये था परन्तु जब उनको तोला गया तो एक का वजन 300 ग्राम से कम तथा दूसरी का वजन 350 ग्राम से कम मिला । इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर मार्डन ब्रेड मनुफैक्चरिंग देश की जनता को धोखा दे रहे हैं और लाखों रुपये का गोलमाल रोजाना कर रहे हैं । उन डबलरोटियों को जिन लोगों के सामने तौला गया है उनके साक्ष्य सम्बन्धी पत्र सलग्न† हैं तथा अजय डिस्ट्रीब्यूटर्स की रसीद दिनांक 16-9-80 को संलग्न† है । कानपुर शहर में मार्डन ब्रेड द्वारा इस घोटाले की वजह से वहां की जनता में घोर रोष, अविश्वास तथा असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई है । अतः मैं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय तथा निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

देख लीजिये खन्ना जी आकर ।

इलाहाबाद निवासी श्री चिरंजी लाल की बहू व नाबालिग लड़की को श्री कामता प्रसाद व उसके साथियों द्वारा अपहरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, मैं एक लोक महत्व की घटना आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि शासन अविलम्ब कार्यवाही करेगा, एवं की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का भी कष्ट करेगा जिससे जो विषम स्थिति जनपद इलाहाबाद में उत्पन्न हो गयी है वह सुधर जाये । इलाहाबाद 35, सी० बी० आई० चिन्तामणि रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद के निवासी श्री चिरंजी लाल के साथ 12-6-80, 23-6-80 को अभूतपूर्व घटना घटित हुई । 12-6-80 को ढाई बजे रात को कामता प्रसाद अपने दो अन्य साथियों के साथ श्री चिरंजी लाल की बहू शीला देवी को पिस्तौल की नोक पर जबरजस्ती उठा ले गये जिसकी रिपोर्ट थाना दारागंज पर नहीं लिखी गयी । इसके उपरान्त 23-6-80 को चिरंजी लाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापे नहीं गये ।

की नाबालिग लड़की बेबी को भी भगाया गया । जिसकी रिपोर्ट चिरंजीलाल के अनुसार ये लिखकर पुलिस ने मनमाने ढंग से लिखी । चिरंजीलाल निर्बल एवं हरिजन है । जब इनकी सुनवायी नहीं हुई तो इन्होंने प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को पत्र लिखा है जिनके कार्यालय पत्र सं0 सी0 24/482/80 पी0 एम0 पी0 11, दिनांक 25-7-80 प्राप्त हुआ जिसके द्वारा यह सूचना दी गयी कि आवश्यक कार्यवाही के लिये गृह मंत्रालय को लिखा जा रहा है । इसके उपरान्त इस काण्ड का समाचार पत्र अमृत प्रभात के दिनांक 18 एवं दैनिक जागरण के दिनांक 19 जुलाई , 1980 के अंक में प्रकाशित हुआ । सूचना के अनुसार कोई सी0 आई0 डी0 का अधिकारी इन काण्डों की जांच करने के सम्बन्ध में इलाहाबाद भी गया परन्तु कार्यवाही के सम्बन्ध में जनता को कोई सूचना नहीं प्राप्त है । क्षेत्रीय पुलिस सब इन्सपेक्टर ने चिरंजीलाल के मामले को दबाने के लिये अनेकों अवैध कार्य किये हैं जिसमें कि उसके होटल पर कब्जा करना भी शामिल है । इस काण्ड से उस क्षेत्र की जनता में गम्भीर असंतोष व्याप्त है और वहां के हरिजन विशेष कर हरिजन महिलायें अपने को असुरक्षित अनुभव करती हैं । अतएव निवेदन है कि शासन अविलम्ब कार्यवाही करे ।

औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष---

आइटम नम्बर-3 ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, मेरी औचित्य की नोटिस है । औचित्य की नोटिस तो आप किसी समय ले सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका औचित्य का प्रश्न मैंने देखा । इसपर आप और पूरे सदन द्वारा चर्चा की जा चुकी है । यह बात साफ जाहिर हो चुकी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी एक कान्फरेन्स के सिलसिले में बाहर गये हैं । इसके अलावा 15-9-80 के कार्यवृत के पृष्ठ 2 को देखें । इस पर उस समय बैठे हुए पीठासीन अधिकारी, स्वयं अध्यक्ष का निर्णय हो चुका है । इसलिए अब इस औचित्य के प्रश्न को उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

आपने जो कहा वह स्वीकार है । इस पर चर्चा हो चुकी है परन्तु मेरा दूसरा प्रश्न है जिस समय से माननीय मुख्य मन्त्री जी के त्याग पत्र की बात आयी है उस समय से मुख्य मन्त्री जी सदन में नहीं आये । चूंकि बजट सत्र चल रहा है और जनता में अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया है कि माननीय मुख्य मंत्री ने अन्तिम निर्णय क्या लिया ?

श्री उपाध्यक्ष---

सदन के बाहर क्या हो रहा है यह सदन की परिधि में नहीं आता । इस पर एक बार फैसला हो चुका है । इसलिये दोबारा चर्चा का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

इसपर फैसला नहीं हुआ कि जिस वक्त से त्यागपत्र दिया, सदन में नहीं आये । त्याग पत्र में क्या निर्णय हुआ यह नहीं आया इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

किसका त्याग पत्र ? आप विराजिये । आप बिना अज्ञा के बोल रहे हैं

मुख्य मन्त्री का इस्तीफा तथा उनकी सदन में अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ऊदल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय श्रीवास्तव जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया था लेकिन अब उसमें जाना नहीं चाहता। आपने कहा कि फैसला अध्यक्ष जी ने इसके बारे में कर दिया है। वह भी मान लिया। एक बात जानना चाहता हूं, श्रीमन्, कि इस माननीय सदन के प्रति सदन के नेता की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? ज्वाइन्ट रिसपान्सिबिलिटी तो छोड़ दें, जो घर का मुखिया होता है, और मान्यवर, आज भी मुखिया है,...तो उनकी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसलिये इस प्रश्न को रखना चाहता हूं कि इस माननीय सदन के प्रति नेता सदन की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, इसके बारे में, श्रीमन्, आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इस पर व्यवस्था चाही। मैं कहना चाहता हूं कि वह नेता सदन हैं। निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि जब लखनऊ में हों, तो सदन में उपस्थित हों। लेकिन अगर किसी कार्यवश वह बाहर गये हों, तो शरीर से तो यहां उपस्थित नहीं हो सकते।

श्री राम आसरे वर्मा—

अभी दो दिन पहले...वैसे माननीय मुख्य मन्त्री जी आज भी लखनऊ में मौजूद हैं...तो मान्यवर, दो दिन पहले चर्चा चली थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में न आकर के 80 नम्बर कमरे में प्रेस कान्फरेन्स कर रहे थे। तो इस तरह की हरकत नेता सदन के द्वारा हो रही है जिसके कारण इस माननीय सदन की मर्यादा घट रही है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नेता सदन पूरी तरह से इस सदन की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने व्यवस्था मांगी और मैंने व्यवस्था दी। अब इसके बाद कोई प्रश्न उठेगा तो देखा जायेगा।

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं, मान्यवर, सूचना देना चाहूंगा।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, आपकी अनुमति चाहता हूं। आप माननीय मुख्य मन्त्री को निर्देश दें कि वे सदन में घोषणा करें कि उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

लेकिन, मान्यवर, इस तरह का अनिश्चितता का वातावरण कब तक चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

न मुख्य मन्त्री जी ने सदन में इस्तीफा दिया है और न पीठासीन अधिकारी को इस तरह की निश्चित बात ही जानकारी में आयी है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

इस्तीफे की जो बात है, तो क्या इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा सम्बन्धी कोई पत्र श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा है ? या तो यह स्वीकार कर लें । एक तरफ तो उनका पत्र सामने आ गया, अखबारों में भी छप गया और सारी जनता ने देख लिया और दूसरी तरफ सदन की उपेक्षा करना शुरू कर दिया है । तो, मान्यवर, उनके इस तरह के आचरण से इस बात की पुष्टि होती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये ।

उन्होंने अपने नेता इन्दिरा गांधी को कोई पत्र लिखा । अखबारों ने क्या छापा, उसकी बात नहीं । आप अपने नेता को क्या लिखते हैं, मैं अपने घर पर क्या लिखता हूं, अखबारों में मेरे बारे में क्या लिखा जाता है, क्या यह सदन की परिधि में आता है ? अगर नहीं आता तो सदन में इसके बारे में चर्चा होनी ही नहीं चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर मेरे बारे में अगर कोई बात सदन के बाहर उठती है तो यह सदन में आ जाता है कि राम आसरे वर्मा ने यह आचरण किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन के बाहर आप जो चाहें, कर सकते हैं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, इस्तीफा देकर आज तक वह सदन की सीट पर नहीं बैठे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके पहले माननीय अम्मार रिजवी साहब खड़े हैं और उन्होंने कुछ कहना चाहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं उनके खड़े होने के पहले व्यवस्था का प्रश्न रख रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले उनकी बात सुन लें । वह खड़े हो चुके हैं । उनका एक शब्द मैंने सुन लिया । आपकी बात मेरे कान पर नहीं पड़ी थी ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं और सूचना देना चाहूंगा जिस दिन...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यहीं पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या माननीय मन्त्री जी वक्तव्य दे रहे हैं या सूचना दे रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

जिस दिन यह चर्चा हो रही थी, 15-9-80 को, उस दिन दोपहर में मुख्य मन्त्री जो स्वयं यहां आकर बैठे थे । आप उस समय मौजूद नहीं थे और उसके बाद 4 बजे वह दिल्ली चले गये । यह तो श्रीमन्, यही कर सकते हैं कि वह दिल्ली में हों और इनका शरीर यहां पर बैठा हो । त्यागपत्र गवर्नर के पास जाता है, यह इस तरह की बात करके समय बरबाद कर रहे हैं । काम आगे चलने की इजाजत दें, आप ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं अब कुछ नहीं ।

(उद्योग मन्त्री को पुकारे जाने पर ।)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आप बैठें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री हरी किशन श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, 1976–77†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, 1976–77 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–एक की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह किस खुशी में प्रस्थान कर रहे हैं, लौट कर अब न आना ।

उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियमावली, 1980††

जेल एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री छेदा लाल चौधरी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से हरिजन एवं समाज कल्याण, अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1856/छब्बीस–2—1121–57, दिनाँक 5 जुलाई, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियमावली, 1980 को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 17 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, 1976–77†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, 1976–77 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

हरिद्वार अर्ध कुम्भ मेला नियमावली, 1980††

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्वायत्त शासन, अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1287 एच0 के0 एम0/9–1–80, दिनाँक 25 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित हरिद्वार अर्धकुम्भ मेला नियमावली, 1980 को संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1958 की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1980†††

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

†††दिनांक 19 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 †

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक, 1980 †

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

†दिनांक 19 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट छपा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 में कुल चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं और चारों अस्वीकृत की गयी है । लेकिन श्री गोपी नाथ वर्मा द्वारा कानपुर जे0 के0 मिल में एक मजदूर की मृत्यु होने से, संपूर्ण मिल में हड़ताल के सम्बन्ध में जो सूचना है जिसको कामरोको में तो नहीं स्वीकार किया जा सका लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे ।

दूसरी सूचना श्री हरिबंश सहाय की है कि दिनांक 17-8-80 को बलिया जिले में छात्रों और पुलिस के संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

तीसरी सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की कानपुर नगर के मोहल्ला महानगर में पड़ने वाली डकैतियां, हत्याओं एवं लूट पाट की घटनाओं से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में है ।

चौथी सूचना श्री सूबेदार सिंह की विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों एवं कोषागार के कर्मचारियों के हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव और श्री सूबेदार सिंह की सूचनाएं अनिश्चित थीं और किसी एक विभाग से ताल्लुक नहीं रखती थीं, इसलिये इनको स्वीकार नहीं किया जा सका ।

काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)‡

(समय 12.45 बजे अपराह्न)

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 18--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के संकल्प पर विवाद

इस समय एक बजने में 15 मिनट बाकी है, कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिये 2 घंटे का समय निर्धारित किया था इसलिये 2 बजकर 45 मिनट तक इस पर चर्चा होगी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पिछले दिन मैंने यह संकल्प आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया था और आज मैं उसको पुनः पढ़ रहा हूं, उसके बाद इस पर मैं अपने विचार प्रारम्भ करूंगा ।

---

‡29 अगस्त, 1980 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--]

"इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार, काम करने के लिये सक्षम बेरोजगारों को जिस रीति एवं दर से वह (सरकार) उपयुक्त समझे अविलम्ब रोजगार भत्ता देना प्रारम्भ करे।"

(इस समय 12 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता,
श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश और प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत है और उसके कारण जो समस्यायें पैदा होती हैं, जो परेशानी पैदा है वह राष्ट्र और प्रदेश के सामने है। इसकी गम्भीरता पर कई बार इस सदन में चिन्ता भी प्रकट की गयी है क्योंकि इस बात को जो हमारे संविधान निर्माता थे वह भी समझते थे कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिये कि जो व्यक्ति पैदा होता है उसे जिन बातों के लिये जन्मजात अधिकार प्राप्त है उनमें से एक अधिकार काम करने का भी प्राप्त है। यदि पैदा हुआ है तो उसको काम मिलना चाहिये जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसलिये संविधान के निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद (4) में निर्देश दिया था, जिस समय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त बन रहे थे कि किस नीति पर हमारी सरकार चलेगी उसके सामने क्या लक्ष्य होंगे, तो उन्होंने साफ यह बात लिखा दी थी मेरे पास अंग्रेजी में है हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा। "Right to work to education and to public assistance" मेरा मतलब केवल पहले से है राइट टू वर्क। आगे लिखा गया है ',in cases of unemployment old age sickness and disablement in other cases of undeserved want. The State shall within the limits of its economic capacity and development. make effective provision for securing the right to work मान्यवर, काम का अधिकार स्वीकार किया गया। यह भी कह दिया कि सरकार अपनी सीमाओं के अंदर, अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखाते हुये उनकी सहायता भी करेगी। इस प्रकार मान्यवर, नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इसका प्राविधान किया गया। आज 33 वर्ष हमको आजाद हुये हो गये हैं स्थिति यह है कि हमारी बेरोजगारी बराबर बढ़ती चली जा रही है। आज हम इस बात की गारण्टी नहीं दे सकते। कि जो आदमी पैदा होगा पढ़ेगा, लिखेगा, बाद में उसको रोजगार दे सकेंगे। एक बात हमेशा से चली आ रही है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने जो घोषणा पत्र तैयार किये हैं उनमें भी इस बात की मांग की है कि बेरोजगारों को सरकार रोजगार नहीं दे पाती है। वह एक निरीहपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस के लोगों ने भी मांग की है और मेरे पास अलग-अलग नेताओं के बयान हैं जिनमें कांग्रेस अर्स के नेता श्याम धर मिश्र लोक दल इस तरह के सभी नेताओं का संकलन है। सभी ने समय-समय पर मांग की है कि जो बेरोजगार हैं उनको भत्ता दिया जाना चाहिए। यह बात स्वाभाविक है सभी के मन में है कि जो विषमतायें हैं यही गरीबी की जड़ है। महाभारत के प्रसंग को याद दिलाता हूं। माता कुन्ती लक्ष गृह में पांडवों के साथ बैठी हुई हैं। अपने पुत्रों से कहती हैं कि मुझे गरीबी परेशान करती है कम महसूस होती है और ऐश्वर्य, वैभव, वह ज्यादा अखरता है। हमारे पूर्वज लोगों की यह मन्शा थी। आप कल्पना कीजिए। जनसाधारण में विषमता दिखाई देती है। एक ओर लोग ऊंचा जीवन स्तर व्यतीत कर रहे है दूसरी ओर कुछ

लोग महीनों, वर्षों शिक्षा प्राप्त करने मे लगाते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, टेक्निकल एजूकेशन प्राप्त करते हैं और उसके बाद वर्षों घूमते फिरते हैं, रोजगार नहीं मिलता। उस समय उनके दिल में क्या मायूसी पैदा होगी। यह बात मैंने पहले भी उठाई थी इस प्रसंग में और कहा था कि जो हमारी नौकरियों म आयु की सीमा रख दी है उसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जिस समय इमप्लाइमेंट एक्सचेंज में आदमी जा कर अपना रजिस्ट्रेशन करा देता है तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको नौकरी दे। वहां वह पंजीकृत रहेगा, उसको नौकरी नहीं मिल पाती और एक दिन आता है जब उसे बता दिया जाता है कि आप ओवर एज हो गये ह। मैं तो चाहता हूं कि सीमा बिल्कुल समाप्त कर दी जाय लेकिन एक वर्ष हमारी पिछली सरकार ने बढ़ा दिया था।

इस संदर्भ में आप लोग एक बात पर मेरा विरोध करेंगे। आप कहेंगे कि बेकारी भत्ते से क्या होगा। हम ऐसी योजना बना रहे हैं, सरकार की आर्थिक नीतियों में प्राविधान करेंगे जिससे हर आदमी को काम मिल जायगा। जब-जब पंचवर्षीय योजनायें बनायी गयी उनमें यह बात रखी गयी कि इतनी इम्प्लायमट की स्थिति क्रिएट करेंगे लेकिन क्योंकि नीति अव्यवहारिक थी, योजनाओं का लक्ष्य अव्यवहारिक था, लेबर ओरियेन्टेड नहीं बना सके, परिणाम यह हुआ कि योजनाओं के बाद बेरोजगारों की संख्या बराबर बढ़ गयी है। मेरे पास योजना एक पत्रिका है जो सरकार की ओर से निकलती ह। इसमें 31 मार्च, 1978 तक के आंकड़े दिये गये हैं। आप देखें। प्रथम पंच वर्षीय योजना जब प्रारम्भ होती है उस समय 5.3 करोड़ हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या थी। दूसरी योजना प्रारम्भ होती है उस समय 7.8 करोड़ संख्या हो जाती है। तीसरी योजना में यह संख्या 9.6 करोड़ हो जाती है और इस तरह से चौथी योजना के अंत में यह बरोजगारों की संख्या 22.9 करोड़ हो जाती है। पांचवी योजना के आंकड़ उपलब्ध नही हैं। योजना हम न बनाई, रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए थे, देश के विकास दर को बढ़ना चाहिए था लेकिन योजनाओं से बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है।

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के संबंध में जो आंकड़े मेरे पास हैं उनसे यह साबित हो जाता है कि हमारा उत्तर प्रदेश बेरोजगारों के मामले में नीचे से चौथे स्थान पर है। हमसे ऊपर 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर बेरोजगारों की संख्या हम से कम है। राज्य सभा में सरकार के मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 1 हजार व्यक्ति पर पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या 587 है जो देश के 24 अन्य राज्यों से अधिक है। इसके अलावा जो रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत बरोजगारों की संख्या दी हुई है और उसके जो आंकड़े हमारे सामने आये हैं उससे कही ज्यादा बेरोजगार वास्तव में हैं क्योंकि हर आदमी बेरोजगार दफ्तार में जा कर अपना पंजीकृत नहीं करा पाता। ऐसी हालत में उनकी संख्या और ज्यादा हो जायगी। जो बिना पढ़ लिखे हैं उनकी संख्या भी बेरोजगारों में बहुत ज्यादा है। इस प्रकार बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है यानी जो पंजीकृत हैं उससे भी ज्यादा है। गांव में भी आप देख लें काम जिनके पास नहीं है उनकी संख्या ज्यादा है लेकिन जिनके पास है भी उनके पास उनकी क्षमता भर काम नहीं है। अगर क्षमता भर काम किसी के पास नहीं है तो वह भी बेरोजगार ही समझा जायगा।

गांव में आप देखें। कितने लोगों को क्षमता भर काम मिल पाता है। उत्तर देश में रोजगार कार्यालयों से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनसे भी सिद्ध होता है कि

[श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—]

एक करोड़ लोगों से ऊपर ऐसे लोगों की संख्या है जो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी केवल पुरुषों में ही नहीं है, महिलाओं में भी बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। आंकड़ यह कहते हैं कि ज्यों-ज्यों पंचवर्षीय योजनायें बढ़ती गयी त्यों-त्यों बरोजगारी भी बढ़ती गयी। 1901 से ले कर 71 तक जनगणना के आंकड़ मेरे पास हैं। उनसे साफ जाहिर होता है कि महिलाओं में नौकरियों में जाने का प्रतिशत घटता जा रहा है। 1901 में जनगणना हुई तो 31.7 थी, उसके बाद 11 में बढ़ कर 13.37 हो गयी लेकिन 71 में घट कर 13.2 प्रतिशत ही औरतों को काम मिलता है। इस समस्या की ओर सब सरकारों का ध्यान गया। देश की और सरकारों ने इस पर गंभीरता से विचार किया और यह अनुभव किया कि जो आदमी बरोजगार है और पैसा खाने तक के लिये उसके पास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है तो उसे सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। एक रास्ता यह भी निकल सकता है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिये भत्ते की व्यवस्था की जाय। इस सिलसिले में आप देखें अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने यह व्यवस्था की है और वे बेरोजगार भत्ता देते हैं। मैंने अपने संकल्प में यह बात सरकार पर छोड़ दी है कि कितना भत्ता दिया जाय, किस को दिया जाय और किस दर से दिया जाय। अपने सीमित साधनों के अनुसार वह निर्णय ले सकती हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्येक परिवार में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है उसको 30 रुपये तथा जो ग्रेजुएट है उसको 50 रुपये प्रति मास दिया जाता है। कोई इनकम टैक्स देता है तो उसके बच्चे को नहीं दिया जायगा। किसी के पास 10 एकड़ से अधिक सिंचित तथा 25 एकड़ से अधिक असिंचित जमीन है तो उसे भी नहीं दिया जायगा। इससे मुझे कोई मतभेद नहीं है लेकिन सिद्धान्ततः स्वीकार करते हुए उन्होंने 30 और 50 रुपये की दर से बेरोजगार भत्ता देना शुरू किया। हरियाना में 75 रुपये, तामिलनाडु में 50 रुपये तथा त्रिपुरा में 30 रुपये दिया जाता है और पूर्वगामी प्रभाव से वहां दिया गया। 200 रुपये हर एक को एरियर के स्वरूप मिला। पश्चिमी बंगाल तथा केरल सरकारों ने भी इसे माना है। 1 लाख 75 हजार लोगों को केरल में स्वीकृति दी जा चुकी है और रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से देना प्रारम्भ किया है।

इसलिये मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि प्रस्ताव साफ है और इसमें किसी प्रकार के मतभेद होने का कोई कारण नहीं हो सकता है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इसका विरोध करे कि बेरोजगारी भत्ता न दिया जाय। मान्यवर, आप देखें, मेरा सुझाव है कि सरकार इस बात पर विचार करे और गम्भीरता से विचार करे और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनसे बेरोजगारी के कारण लोगों ने अपनी आत्म हत्या तक कर दी है। लोग जगह-जगह ठोकरें खाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं, मायूसी आती है और उससे ऊबकर कितने ही लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे। यह बात दूसरी है कि सरकार को अपनी सीमाओं और साधनों को भी देखना होगा। किन्तु मान्यवर, साधनों के नाम पर अगर सही चीज छिपाने की कोशिश की गई तो कोई बात बनेगी नहीं। बहुत से नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार भत्ता दिया जाय और तब तक दिया जाय जब तक कि उन्हें नौकरी नहीं मिलती है और अपने पेट का भरण-पोषण नहीं कर पाता है। मान्यवर, वह नौजवान एक समय खाना खाकर तो रह जायेगा लेकिन अगर वह किसी नौकरी में जाना चाहता है तो उसको कहीं फीस जमा करनी होती है कहीं यात्रा के लिये खर्च करना पड़ता है, कहीं पोस्टल आर्डर इत्यादि लगाने पड़ते हैं, कहीं

सर्टिफिकेट की कापी कराने पर खर्च करना पड़ता है। इसलिये अगर उसको कुछ सहायता नहीं मिलेगी तो वह कैसे कर पायेगा। अतः इसके लिये सरकार का नैतिक दायित्व हो जाता है। जसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको अपने परिवार से यह अधिकार होता ह कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक उसको अपने परिवार से शिक्षा के लिये, दवा के लिये, काम के लिये सहायता मिलती है उसी प्रकार सरकार का भी कानूनी दायित्व है कि वह इसकी व्यवस्था करे। हो सकता ह कि मेरी बात के खिलाफ कोई यह तर्क दे कि यह तय कर दिया जाय कि किस तरह से दिया जायेगा और इस तरह से यह कहा जायेगा मैं भी बेरोजगार हूं और मुझे भत्ता दिया जाय। मान्यवर, ऐसे प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर विचार करने की जरूरत नही है कोई नार्म उसके लिए तय कर देना होगा। उस पर आप बन्धन लगा सकते हैं कि अगर ऐसा कोई नौजवान है जिसके परिवार की आमदनी 2 हजार से अधिक है, या उसके मां बाप ऊंचे पदों पर हैं उनको नहीं दिया जायेगा। लेकिन जो गांव के लोग हैं जिनकी अनइकानामिक होल्डिंग है, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके मा-बाप साहुकारों के गुलाम हैं जिन्होंने उस नौजवान को पढ़ाने-लिखाने में अपने जेवर और जानवर बेचे होंगे, जो छोटे लोग हैं जिनके पास 3/4 एकड़ जमीन है उनमें प्रत्येक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसी तरह से जो लोग कृषि का काम नहीं करते हैं जिनकी आमदनी 200/100 रुपये से अधिक नहीं ह और इन्कम टेक्स नहीं देता है इन्कम टक्स पेयर्स को छोड़ दीजिये उनके लड़के को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, बेरोजगारी भत्ते की दर क्या हो, यह सवाल आता है। वह इतनी होनी चाहिये कि एक आदमी न्यूनतम स्तर के हिसाब से अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर ले। जहां तक आंकड़े की बात है मैं आंकड़े दे सकता हूं। सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति 40/50 रुपये से ऊपर खर्च करता है वह गरीबी की रेखा से ऊपर माना जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि 75 रुपये की धनराशि प्रत्येक नौजवान को मिलनी चहिए जो बेरोजगार हैं और पंजीकृत है। इसके साथ ही एक दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अगर भत्ता देने की व्यवस्था कर ली जायेगी तो यहां पर अकर्मण्यता पैदा हो जायेगी और यहां पर लोगों में काम न करने की भावना पैदा हो जायेगी इसलिए उसके लिए कोई शर्त भी लगानी पड़ेगी कि जो उस शर्त को पूरा करेगा उसी को बेरोजगारी का भत्ता दिया जा सकेगा। इसके लिए ऐसा करना होगा कि यदि सरकार की तरफ से उसको कोई काम दिया जाता है और उस काम को करने में वह अपनी असमर्थता दिखाता है तो उसको भत्ता न दिये जाने पर विचार किया जा सकता है लेकिन मान्यवर, अगर वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, इधर-उधर भटकता फिरता है आप उसको रोजगार नहीं दिला सकते हैं और अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसको बेरोजगार भत्ता से अलग करने से जघन्य अपराध और कोई नहीं होगा। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इसे आप तहे दिल से स्वीकार करेंगे क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है हिन्दुस्तान के बेरोजगार नौजवान का सवाल है, इसलिए इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सारा सदन उसका समर्थन करेगा।

*श्री रियासत हुसेन--

मान्यवर, माननीय राजन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है यह इस प्रदेश की ही समस्या नहीं है पूरे देश की समस्या है और उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की विशेष समस्या है। चूंकि बेरोजगारों की संख्या इन तीन प्रदेशों में बहुत ज्यादा है और दुसरे सूबों नें तो कुछ कर भी दिया है जैसा कि गुप्ता जी ने बताया मैं उसे नहीं नहीं दोहराऊंगा। राजनीतिक पार्टियां जब भी इलैक्शन में आती हैं तो हर एक पार्टी यह विश्वास दिलाती है कि हम लोगों को अनइम्प्लायमेंट भत्ता देंगे जिसको कुछ सरकारों ने दिया भी है जैसा कि गुप्ता जी ने बताया।

मैं इसके दो पहलू लेता हूं। इस प्रदेश की आबादी का 83.84 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है। वहां पर पढ़ने लिखने के साधन नहीं है और वह शहरों में आते हैं। देहात में खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जमीन पर बोझ है यह सवा एकड़ की एवरेज होल्डिग है ओर पश्चिम में दो एकड़ की एवरेज होल्डिंग है। अगर देखा जाय तो हर परिवार किसी न किसी प्रकार अपना पेट काट कर अपने बच्चे को योग्य बनाने के लिए स्कूल भेजता है इस ख्याल से कि पढ़ने के बाद उसे नौकरी मिलेगी। जब देहात का लड़का पढ़ने के लिए शहर में आता है यहां पर देखता है कि जो मुझसे पहले के डिग्री होल्डर हैं, बी0 ए0 हैं और दो दो सब्जैक्टस में एम0 ए0 हैं, फस्ट क्लास और सेकिंड क्लास है और सड़कों में घूम रहे हैं तो उन लोगों का क्या होगा। पढ़ने के बाद कहीं मंडी में जाकर बोझा ढोने के काबिल भी नहीं रह जायेगा। उनको नौकरी मिलना संभव नहीं है तो उसमें निराशा पैदा होती है। तो इससे दो समस्यायें खड़ी हो जाती है एक तो ला एन्ड आर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है एक मिसाल है 'एम्टी माइन्ड डेवल्स वर्कशाप' यह देखते हैं कि स्कूलों में पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद सड़कें नापनी हैं तो वह सीरियसली नहीं पढ़ते हैं सोचते हैं क्या करें सीरियसली पढकर। मैं यकीन दिलाता हूं कि हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने कोई ऐसा लक्ष्य हो कि एक लड़का अगर इस क्लास को पास करके निकलेगा तो उसे तुरन्त ही सरकार नौकरी दे देगी। आर्टिकिल 41 में उसे हक है लेकिन उस पर भरोसा हो जाय कि पढ़ कर निकलूंगा तो मंत्री जी देख रहे हैं और नौकरी फौरन मिल जायेगी। तो निश्चित समझिये कि यह जो ला एन्ड आर्डर की आज समस्या खड़ी है यह नहीं रहेगी। चूंकि शिक्षित वर्ग के सामने छात्रों के सामने उनका भविष्य अंधकारमय है स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग सीरियस नहीं है। नतीजा क्या है कि वे समझते हैं इसका नेतागीरी शार्टकट है टु सीक दी इम्पलायमेन्ट। वे लोग आंदोलन की तरफ चलते हैं और प्रदेश में ला-एन्ड-आर्डर तथा तरह-तरह की समस्यायें खड़ी हो जाती हैं जो कि आये दिन यहां सदन के सामने आती हैं : अगर सरकार यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले जैसा कि हरियाणा में है त्रिपुरा में है, मद्रास में है तो कुछ रास्ता निकल सकता है। उड़ीसा में यह एलाऊंस मिलने की बात है केरल ने तो देना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने अपने अपने मन में, दिल में मान लिया है और देने के रास्ते में हैं और विचार कर रहें हैं और यदि उत्तर प्रदेश के बेकार नौजवान को भी भरोसा हो जाए कि हमारे प्रदेश की सरकार भी हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो वह ला-एन्ड-आर्डर की स्थिति बिगड़ने में कभी सहायक नहीं होंगे। उसका पढ़ने में मन लगेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज अभ्यास-पुस्तिकाओं की कमी है, इसको लेकर लड़के आन्दोलन के मार्ग पर चल पड़ते हैं और यह समझते हैं कि हमारा भविष्य अन्धकारमय है। यहां भी स्व0 इब्राहीम लिंकन जैसे लोग मौजूद हैं, जो कठोर परिश्रम से पढ़ना चाहते हैं, बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ सकते हैं। लेकिन वह जानते हैं कि उनका भविष्य अन्धकारमय है। इससे होता यह है कि देहात के लड़के जो मेजारिटी में हैं, उस पर नगरों में छात्रावासों में रहने में बोर्डिंग और लाजिंग का इतना बोझ पड़ता है कि उनके घरवाले बिना जेवर गिरवी रखे और अपनी भूमि बेचे हुए उस भार को उठा ही नहीं सकते हैं। शहर के लोगों को इसमें कुछ सुविधा अवश्य है, भले ही वह न पढ़कर दूसरे कामों में लग जाएं। लेकिन गांव के लड़कों का पढ़ाई का बड़ा भारी आर्थिक बोझ उसके घरवालों पर पड़ता है। पेरेन्ट्स आशा करते हैं कि उसका लड़का पढकर कहीं लेखपाल ग्रामसेवक की नौकरी पा जाए, लेकिन वह भी उसे नहीं मिल पाती है। अन्य बड़ी नौकरियों आई0 ए0 एस0 होने, डाक्टर बनने की तो वह कल्पना भी नहीं कर पाता है, यह उसके पहुंच के सर्वथा बाहर है। लेकिन ग्रामीण लड़के को छोटी-मोटी नौकरी भी नहीं मिलती है जब 15/20 हजार खर्च कर लेता है तो उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है, वह अपने मां-बाप से शहर जाने के लिए खर्च मांगता है, इसके कारण मां-बाप में आपस में विवाद खड़ा हो जाता है। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है, दीक्षित जी और खन्ना जी बैठे हैं, ये इस पर बैठकर विचार करके कि जो शिक्षित निकलेंगे और जिन्हें हम नौकरी नहीं दे पायेंगे, उनको हम 40-50 रुपया अनइम्पलाएमेन्ट भत्ता के रूप में देंगे ताकि वह समझने लगें कि सरकार ने हमारी जिम्मेदारी ओढ़ ली है। इससे ला एन्ड आर्डर की प्राब्लम साल्व हो जाएगी। इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

परम सम्माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राजेन्द्र कुमार जी के संकल्प के अन्तर्गत जो भाव हैं, उनको सोचते हुए मुझे विवश होकर उनके भावों की अन्तरात्मा का विरोध करना पड़ता है और उस भावना को मैं जिस नजरिये से देखता हूं, कृपया मेरे विचार को भी आप सुनें और माननीय सदन उन मेरे विचारों से सहमत न हो तो वह दूसरे नजरिये से गौर कर कोई निश्चय करने की कृपा करें। मेरा इस संकल्प के साथ यह विचार है कि यह संकल्प जब पास होगा, तो बेरोजगार लोगों के अन्दर हीन भावना पैदा होगी और उसके साथ ही साथ उनकी अकर्मण्यता के रास्ते पर अग्रसर करने वाला यह संकल्प कहा जायगा।

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने अपनी प्रस्तावना के साथ एक बात की ओर इशारा किया और महाभारत के आदर्श को उन्होंने अपना आदर्श माना। मैं केवल उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि महाभारत का कुछ आदर्श विमुख था इसलिए वहां पर महाभारत हुआ था। मैं चाहूंगा कि वे इसको आदर्श न माने। वर्ना इस संकल्प से महाभारत ही होगा। माननीय गुप्त ने बेरोजगारी की दृष्टि से इस प्रदेश का स्थान चौथे नम्बर पर माना है लेकिन मैं उसमें कुछ संशोधन करना चाहता हूं और वह यह है कि चौथा नहीं इसका स्थान तीसरा है। वे दो राष्ट्र जिनमें हमारे प्रदेश से ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें से एक पश्चिमी बंगाल और दूसरा है बिहार। इनके बाद में उत्तर प्रदेश का है लेकिन क्या इसका इलाज बेरोजगारी भत्ता दिलाने से कर सकेंगे, यदि हां, तो मैं आपकी ओर ही गौर से देख रहा हूं। जो उधर बैठे

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

हैं उन्होंने ही घोषणा-पत्रों में छपवाकर इसका गुनाह किया था। जनता पार्टी ने ही हमारे नौजवानों को इस नाम पर गुमराह करके वोट लिया था और जब वे लोग सत्ता में आये, यहाँ भी और केन्द्र में भी, तो इन्होंने कहीं भी इसको पास नहीं किया। आप उस वायदे से मुकर गए और अब उसका आरोप दूसरों पर लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बेरोजगार भत्ते का क्या स्वरूप हो और उससे क्या लाभ होगा ? माननीय रियासत साहब ने अभी यहां पर देहातों का बहुत ही हृदय विदारक विवरण दिया कहा कि वहां के गरीब बच्चे जब पढ़-लिखकर निकलते हैं तो उनको नौकरियां नहीं मिलती। मैं उनका ध्यान सरकार की रोजगारपरक नीतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे उनमें अड़ंगे न डालें और कटौतियों के प्रस्ताव पेश न करें। एक ओर कटौती के ऐसे प्रस्ताव लाते हैं और दूसरी ओर चाहते हैं कि वहां पर रोजगार बढ़े तो ये दोनों बातें उनकी विरोधाभास में आती हैं। प्रस्तुत संकल्प में भी एक विरोधाभास है। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। जब उनके कुछ करने का अवसर आया था तब कुछ किया नहीं और अब कहते चले जा रहे हैं।

इसके साथ में सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर कुछ एजेन्सियां चलती हैं जो बहुत ही आकर्षक विज्ञापन निकालती हैं कि फलां-फलां क्वालिफिकेशन्स के इतने इतने लोगों की आवश्यकता है और उसके लिए 20-20, 25-25 और 50-50 रुपये फीस के मांगे जाते हैं जो आवेदन पत्रों के साथ जमा करने होते हैं। मैंने देखा है कि उसमें करोड़ों-करोड़ों रुपया ये जेन्सियां इन विज्ञापनों के जरिये नौकरियां दिलाने के नाम पर ले लेते हैं। इस लिए शासन से अपेक्षा है और उनसे विनम्र के साथ कहना चाहता हूं कि वे ऐसा कोई नियम बना दें जिससे बेरोजगार लोगों से नौकरियों के लिए आवेदन-पत्रों के साथ किसी प्रकार का कोई शुल्क न देने पड़ें। इससे जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, उनकी बड़ी सहायता होगी और हम उनकी मदद भी कर सकेंगे। 'ग्वालियर' में जो छपा है उसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति के कारण औद्योगिक दृष्टिकोण से अनडेवलप्ड अर्थात् अर्ध विकसित जो देश हैं, उनके अन्दर बेरोजगारी में वृद्धि होती रही है। यहां की तरह अन्य विकसित देशों में भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज भी बेरोजगारी दूर करने के सम्बन्ध में दो स्कीम्स लायी जा रही हैं उसमें दो बातें अगर कर दें तो काफी लाभ हो सकता है। एक तो यह कि इन्टरव्यू में जो लोग बुलाये जाते हैं, उसके लिए बहुत से लोग काफी काफी दूर से आते हैं. 100 रुपये तक किराये आदि में खर्च हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को जिनकी आर्थिक रूप से हालत अच्छी न हो वे चाहे जिस जाति के हों उनको कम से कम एक तरफ का किराया अवश्य दिया जाना चाहिए, इस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं।

दूसरी चीज यह कर सकते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना में जिन ग्रामीण योजनाओं को शासन ने लिया है, यह आपके ही अखबार में छपा है रूरल इम्पलायमेंट टु दि लान्ड, 27 जुलाई का यह पेपर है, इसमें गांव की तरफ आप देख रहे हैं, गांव में बेरोजगारों को काम देने की बात है। सब को तो एक साथ काम दिया नहीं जा सकता। एक अर्थ शास्त्री ने एक कहावत कही है कि एक तरह से ही सब को काम दिया जा सकता है कि शासन लोगों से कहे कि दिन में गड्ढा खोदो, और रात में कहे कि उसको पाटो, तभी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप उनकी दूसरी मदद इस तरह से कर सकते हैं कि अपने आवेदन-पत्र में वह जो चीज भी लिख कर दे, उसे आप सही मान ल और अगर उसकी कही बात गलत हो तो आप उसे सजा दें। आज उसको प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए जो एम0 एल0 एज0 और एम0 पी0 के पास भागदौड़ करनी पड़ती है उससे वह बचेगा और हम लोगों की परेशानी भी कम होगी। मुझे आशा है इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापस ले लेंगे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिये समय दिया। बरोजगारी की समस्या पूरे प्रदेश के लिए सबसे बड़ी और गम्भीर समस्या है और इस पर निश्चित रूप से गम्भीरता के साथ विचार किया जाना चाहिये। यह प्रश्न विरोध पक्ष अथवा सत्ता पक्ष का ही नहीं है। इसमें यह नहीं सोचना चाहिये कि किस दल के व्यक्ति ने इसे रक्खा है। हमें विशाल हृदय से इस पर विचार करना चाहिये। लेकिन मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि इसमें कुछ पहलुओं पर निश्चित रूप से विचार हो। उसमें से एक यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम इस भत्ते को शुरू कर दें, तो कुछ लोग, जिसके लिए अपना प्रदेश प्रसिद्ध है, वह अकर्मण्य और आलसी बन जायं और रोजगार के लिए उतना बेताब न रहें, जिसके लिए बेताब उन्हें होना चाहिए था। एक समय वह था जब किसी स्टेट का राजा अकर्मण्य हो गया. वैसे अकर्मण्य राजा का होना सम्भव नहीं होता है, तब की बात अलग है, अब की बात अलग है। तो जब वह आलसी राजा हुआ, तो उसके सिपाह-सालार और दीवान वगैरह से कहा कि कितने खेद की बात है कि इस स्टेट का राजा अकर्मण्य है और आलसी लोगों को प्रिविलेज नहीं मिलता। तो क्यों न आलसी लोगों को प्रिविलेज दिया जाय। किसी ने कहा कि एक काम किया जायं कि एक टेंट लगवा दिया जाय। वहां पर अलसी लोग भोजन करेंगे और वहां पर उनको नहाने-धोने, खाने-कपड़े की व्यवस्था कर दी जाये। धीरे-धीरे यह देखा गया कि स्टेट की 90 प्रतिशत पापुलेशन उस टेन्ट में आ गयी। फिर ऐसी स्थिति आ गयी कि तमाम आलसी फर्जी लोग हो गये। तब यह सोचा गया कि इस तरह से तो राजा का खजाना खाली होता जा रहा है। इसमें सही अकर्मण्य को कैसे सहायता मिले। एक राज्य पुरोहित ने राय दिया कि टेंट में आग लगा दी जाय और आग लगा दी गयी, तब सब लोग भाग गये, लेकिन कुछ लोग उसमें सोते हुए पाये गये, उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं भागे, तब उन्होंने कहा कि मैंने सोचा जल तो गये हैं, अब भाग कर क्या करेंगे। यही सोचकर नहीं भागे। तब समझ में आया कि ये असली आलसी लोग हैं। तो मान्यवर, मेरे उदाहरण देने का अभिप्राय है कि कहीं बेरोजगार भत्ता देने से ऐसा न हो जाय कि हमको तो भत्ता मिल ही रहा है, नौकरी की जरूरत क्या है। तो इसमें निश्चित रूप से समय निर्धारित किया जाय कि जो बेरोजगार हों, उनको एक वर्ष या दो वर्ष के लिए भत्ता दिया जाय।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि यह सदन और हम सब जिसकी नकल करने का गौरव प्राप्त करते हैं यानि ब्रिटेन दो वर्ष के लिए अपने यहां पर भत्ता देता है और वह सहायता रूप में होता है। इसमें यह होना चाहिए कि आप दो वर्ष में नौकरी ढूंढ़ लें। तो मान्यवर, इसमें भी इसी प्रकार की बात होनी चाहिए। आप देखें कि 20 हजार से ऊपर अपने प्रदेश म

[श्री ओम प्रकाश रिछारिया—]
बी0 टी0 सी0 मारे-मारे घूम रहे हैं । टेक्निशियन्स एवं एल0टी0, सी0टी0 मारे-मारे घूम रहे हैं । देश की स्थिति यह है कि दुनियां में तीसरे आर्थिक स्तर पर यहां पर ट्रेण्ड टेक्निशियन्स मौजूद हैं, लेकिन दुनियां म किसी नम्बर पर भी यह नहीं आता है यानी गरीबी की रेखा का स्तर बहुत नीचे हैं, क्योंकि हम इम्प्लायमेंट नहीं दे सके । हमारे मैनिफेस्टी में भी यह था कि हम प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे लेकिन क्या यह सम्भव है ? शायद नहीं, तब जब हम उनको एकदम रोजगार नहीं दे सकते, तो क्या उनको हम सहायता नहीं दे सकते हैं कि उनको कुछ निश्चित समय के लिए प्रिविलेज दें ? श्रीमन् जब ये ट्रेंड लोग, बेरोजगार लोग, जो अपनी यूनियन बनाये हुए हैं, जैसे बी0 टी0 सी0 बेरोजगार यूनियन, पोलीटेक्निक बेरोजगारी यूनियन यह सभी जब आन्दोलन करते हैं तो हम यह कहते हैं कि अनुशासनहीन हैं, अपराधी, हैं, बागी हैं । लेकिन मान्यवर, यह बागी, अपराधी और अनुशासनहीन नहीं होते, बल्कि न्याय पाने के लिए बेचैन रहते हैं और जब इनको न्याय नहीं मिलता तब मजबूर होकर यह सब इनको करना पड़ता है । इन्हीं शब्दों के साथ जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने संकल्प रखा है, उसका समर्थन करता हूं और बेरोजगारी-भत्ता निश्चित रूप से प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

*श्री मित्रसेन—

मान्यवर, जो संकल्प राजेन्द्र जी ने प्रस्तुत किया है उसका अपने देश और प्रदेश में एक बहुत बड़ा महत्व है और उनकी जो भाव है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है और सत्ता पक्ष के लोगों ने इनकी भावनाओं के विपरीत जो बात कहीं हैं, वह उनकी अदूरदर्शिता ही कही जा सकती है । श्रीमन्, सत्ता पक्ष के जो लोग उधर बैठे हैं अगर उनसे पूछा जाय कि यह मर्ज किसने पैदा किया तो साफ साबित हो जायेगा कि जो सरकारें इस प्रदेश में लम्ब से रही हैं, यह उन्हीं का पाला हुआ मर्ज है । इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में किस चीज की आज गारंटी है, हमारी सुरक्षा की, हमारी नौकरी की, शिक्षा की, उद्योग की या कोई ऐसी गारंटी है, जो हमारे नागरिकों की प्राप्त है ? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारी खाम ख्याली ही है कि हम आज आजाद हैं, सुरक्षा से जीवन बिताने में, विचारों में, खाने में पीने में, नहीं । हमें आजादी है सिर्फ सड़कों पर भौंकने में और चिल्लाने में । आज जो आजादी प्राप्त होनी चाहिए थी, वह नहीं है । इसी तरह बेरोजगारी का मसला है, उसको टाला जा रहा है और कहा जाता है कि बेरोजगारों को भत्ता देने से अक्रमण्यता पैदा होगी । तो प्रश्न यह उठता है कि पहले सरकार ही अपनी अक्रमण्यता को दूर करें । जो आज हर जगह आसानी से देखी जा सकती है । इसलिए मैं तो कहूंगा कि इस देश और प्रदेश में कोई चीज आसानी से मांगने पर नहीं मिलेगी, केवल एक ही रास्ता से, लड़कर लेने का । इसलिए हमें यह सोचने में देर नहीं लगेगी ।

श्रीमन्, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भी देश के अंदर श्रम की पूजा नहीं होगी, वह देश भी हिन्दुस्तान की तरह, जैसे आज हिन्दुस्तान खड़ा हो गया है, उसी तरह से वह भी खड़े होंगे । उससे उस मुल्क की प्रतिष्ठा गिरेगी जैसे आज हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा गिरी हुयी है और इससे निश्चित रूप से देश के अंदर झगड़ा बढ़ेगा और जिस देश के अंदर जो छोटे-छोटे उद्योगों में हैं, खेतों में काम करते हैं और सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने को संकट में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डालकर आपको हवाई जहाज बनाकर देते हैं, बड़े-बड़े महल तैयार करते हैं और वह ही झोपड़ियों में आज रह रहे हैं। आज देश में सारी व्यवस्था पूंजीपतियों पर ही निर्भर करती है और जब तक देश में पूंजीपति रहेगा, तब तक यह हल नहीं होगा। माननीय राजेन्द्र जी की जो भावना है उसका निदान इस सरकार के अंदर नहीं है। उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती है। यह उनकी महज एक खाम-ख्याली है। आज हमारे यहां शिक्षा की व्यवस्था को देख लीजिए। यहां दो प्रकार की शिक्षाएं हैं। एक बड़े लोगों के बच्चों को और दूसरी ओर उनके बच्चों की जिनके पास पैसा नहीं है। इनके बच्चे पूरी तरह से शिक्षा से वंचित रह जायेंगे और सड़कों पर बेकारों की लाईन दिन पर दिन बढ़ेगी और जिनके पास पैसा होगा वह अदालतों में कत्ल करने के बावजूद भी बच जायेंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा, वह नहीं बचेगा, उनको अदालत का और पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अगर पुलिस का संरक्षण ही प्राप्त होता तो महात्मा गांधी की हत्या ही नहीं होती। इस प्रकार इस देश के अंदर किसी चीज की आज गारंटी नहीं है, जीविका की गारंटी नहीं है और श्रीमन्, जिस देश के अंदर बुनियादी आजादी नहीं होती तो वह लोकतंत्र असली लोकतंत्र नहीं है। इस देश के अन्दर करोड़ों लोगों की जो बेकारों की फौज बनी है अगर वह इस देश के संविधान के प्रति आन्दोलन करेंगे। उसका विरोध करेंगे तो उसको आप रोक नहीं पायेंगे। श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमन्, आजादी मिलने के बाद जो यह बेकारों की फौज बढ़ी है उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष में बैठने वाली सरकारों की है। यह सरकार इस संकल्प का चाहे जिस रूप में विरोध करे लेकिन वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है हम उससे इंकार नहीं कर सकते हैं। इस संकल्प पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को विरोध नहीं होना चाहिए। मान्यवर, देश में अन्य कितने प्रदेशों में इस संकल्प की भावनाओं का आदर करते हुये किसी न किसी रूप में बेकारी भत्ता दिया गया है। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बंगला, हांलाकि बंगाल और त्रिपुरा में दूसरी सरकारें हैं किन्तु उन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण से बेकारी भत्ता देने के लिये प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की है।

मान्यवर, जैसा हमारे भाई राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा केरल और त्रिपुरा में तो प्रस्ताव बाद में किया गया और अप्रैल से देना शुरू किया, दो-दो सौ 3-3 सौ रुपया एक साथ दिया और कई करोड़ रुपया खर्च किया। किन्तु मान्यवर, अगर उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी दृष्टिकोण की होती तो गांवों में किसी सीमा में है हमारे बेकार नौजवान, उनको निश्चित रूप से बेकारी भत्ता देने का प्रस्ताव करती और भत्ता देती। आज देश के अन्दर तकनीकी बेकार हैं, डाक्टर बेकार हैं, पढ़े लिखे बेकार हैं तो अगर पढ़े लिखे बेकार हैं तो श्रीमन् हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग बेकार हैं। अगर श्रीमन्, इस बात को मान कर चला जायेगा कि इससे अकर्मण्यता बढ़ेगी लोगों में काम करने की जिज्ञासा मरेगी, यह चीज नहीं है। हमारे सामने सवाल इस बात का है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आसमान में रहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन पर रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम रोटी नहीं मिलती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। कुछ लोगों को छींक आती है तो उनके लिए अमेरिका से दवा आती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मर जाते हैं और उन्हें जड़ी की दवा भी नहीं मिल पाती है। उनको चूरन तक नहीं मिल पाता है। तो मान्यवर, यह बेकारों की फौज ऐसा आन्दोलन करेगी जिसे यह सरकार नहीं रोक पायेगी। इन शब्दों के साथ में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प की भावनाओं का आदर करते हुए तथा उसका समर्थन करते हुए मैं चाहूंगा

[श्री मित्रसेन—]

कि इस पर माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार करें और हमारे प्रदेश की जो बेकारों की समस्या है, उसको हल करने का प्रयास करें ।

*श्री गोपी नाथ वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश एक बहुत पिछड़ा प्रदेश है यहां 11 करोड़ की आबादी है । इस प्रदेश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्यों ने विचार रखा है । मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग चुनाव के समय धुंआधार प्रचार करते हैं कि अगर आप कांग्रेस आई को वोट देंगे तो हम इस देश और प्रदेश की बेकारी समाप्त कर देंगे और हमेशा इसी बात को दोहराते रहते हैं और घोषणा-पत्र में भी उसको लिखाते रहते हैं । किन्तु आज तक बेकारी दूर करने के लिए इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई कोई ठोक कार्यवाही नहीं किया । और हमारे नौजवान सड़कों पर मार्च कर रहे हैं । उनके रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है । अपने पेट पालने के लिए वह गुन्डागर्दी कर रहे हैं । खाली होने के कारण वह गलत काम कर रहे हैं और उनका चरित्र गिरता जा रहा है, इनका ईमान गिरता जा रहा है । जैसे बी० टी० सी० के करीब दस हजार नौजवान प्रशिक्षण प्राप्त कर बेकार हैं । आई० टी० आई० और पालीटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त नौजवान भी बेकार हैं । इनको लगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई सही निर्देश नहीं दिया गया और जो दिया भी गया उसका सही रूप से पालन नहीं किया गया । जो यह बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है यह सत्ता के नाम पर कलंक है । अगर बेरोजगारी को मिटाना चाहते हैं तो बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी में लगाएं । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने चर्चा की एक तरफ बड़े लोगों की शिक्षा है और दूसरी तरफ छोटे लोगों की शिक्षा है । जो बड़े तबके के लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था इतनी ऊंची है कि उनके बच्चे पढ़ कर तुरन्त ऊंची नौकरी में लग जाते हैं । लेकिन गरीब तबके का बच्चा पढ़ कर निकलता है तो चपरासी, लेखपाल और कानूनगो तक सीमित रह जाता है । जो नौजवान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है ।

उधर के लोग कहते हैं कि कांग्रेस शासन ही बेरोजगारी दूर करने में सक्षम है, यही शासन टिकाऊ है । जो शासन सक्षम और टिकाऊ नहीं है वह शासन नहीं चला सकता । विरोधी पक्ष द्वारा बराबर यहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को और बेरोजगार कर दिया । हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री राज नारायण ने एक योजना चलायी थी जन स्वास्थ्य रक्षक की । देहातों में करीब दो लाख नौजवानों को रोजी रोटी में नहीं लगा सके, बल्कि उस बेरोजगारी में जो लोग 50 रु० पाते थे, जिसमें सरकार ने 50 रु० बेरोजगारी भत्ता दिया था वह योजना समाप्त कर दी जाय, यह आज स्पष्ट हो गया है, जिससे प्रदेश में रोजगार में लगे बेरोजगार हो जायं । उनके मुंह से रोटी छीन ली । इस प्रकार बेरोजगारी यह सरकार बढ़ा रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) दो माननीय सदस्य उधर से हो चुके हैं, अब दो इधर से हो जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपको इधर ज्यादा मौका देना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम आसरे को सभी सुनना चाहेंगे । लेकिन दो इधर से और दो उधर से चल रहे हैं । उसके बाद आपका नम्बर आ जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

आज गैर सरकारी दिन है गैर सरकारी सदस्यों को ज्यादा समय देना चाहिए ।

*श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को जिस रीति एवं दस से वह (सरकार) उपयुक्त समझे अविलम्ब रोजगार भत्ता देना प्रारम्भ करें, एकदम अव्यवहारिक है । मेरा ख्याल है और इसमें कोई दो राये नहीं हो सकतीं, हम सब इस बात को मानते हैं कि आज इस प्रदेश में और देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिल हो गयी है । सभी जानते हैं कि इस प्रदेश का नौजवान चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हर एक अपनी रोजी रोटी के लिए घूम रहा है । वेलफेयर स्टेट की पहली जिम्मेदारी है कि उनके रोजगार की कोई व्यवस्था करे । हम सब इस मत के हैं । लेकिन किसी समस्या का समाधान ऐसे हुआ नहीं करता जो हो न सके । अगर हम बेरोजगारों को भत्ता देन लगेंगे । बहुत कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आपके सामने आयेंगी । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यह नहीं स्पष्ट किया कि वह बेरोजगार शिक्षित होंग या अशिक्षित । इसका मतलब यह है कि वह चाहते हैं कि जितने भी बेरोजगार हैं, जिस भी आयु के हैं, यानी जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कुल जन संख्या से घटा दीजिए और जितने बचें, सब बेरोजगार माने जायेंगे और इन सब को भत्ता देने की बात है । इसका मतलब 6—7 करोड़ लोग बेरोजगारों की परिभाषा में आयेंगे । क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो अपनी योजनाओं पर चल रहा है, इतने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना सम्भव है । अगर सम्भव होता, ऐसा बजट होता, ऐसी शक्ति होती, उसके लिए गुप्ता जी पैसा कहां से लायेंगे, इसका कोई सुझाव है ? यह एकदम असम्भव है, अव्यवहारिक है, अस्पष्ट है । मैं निवेदन कर दूं कि इसमें यह मनोविज्ञान लागू होगा कि किसी भी राज्य में कोई भी सरकार अगर बेरोजगारों को भत्ता देने लगेगी तो जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे उससे कम ही पायें, वे भी बेरोजगारों की कतार में खड़ हो जायेंगे । यह मनुष्य का मनोविज्ञान है, इससे कामचोरी बढ़ेगी, अपाहिज हो जायेंगे । मैं निवेदन कर दूं कि अगर यह सम्भव था तो कुछ ही दिन पहले राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और हमारे विरोध पक्ष

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज कुमार राय--]

के भाई लोग ट्रेजरी बैन्च की तरफ उनकी सरकार थी और हम उधर थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के लोग बेरोजगारों को भत्ता देगें लेकिन जनता पार्टी न 1977 में अवाम के सामने कहा था कि अगर वह सत्ता में आये, उनका राज्य हुआ तो बेरोजगारों को भत्ता देंगे तो कौन बात थी कि कोई बिल नहीं लाये, कोई व्यवस्था नही की । मैं समझता हूं कि यह संकल्प माननीय राजन्द्र कुमार गुप्त जी न बहुत ही कुत्सित भावना से पेश किया है । समाज के बेरोजगारों की वाह-वाही लेन के लिए संकल्प को पेश कर रहे हैं इससे नौजवान बिगड़ सकता है । इन शब्दों के साथ में संकल्प का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से कि वह कुछ रचनात्मक सुझाव दें तो अच्छा हो ।

श्री अधिष्ठाता--

बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । यदि माननीय सदस्य कहें तो समय 7 मिनट से घटा कर 5 मिनट कर दिया जाये ?

(हां, की आवाजें)

ठीक है, अब पाँच मिनट का समय दिया जायगा ।

श्री दूध नाथ राजभर--

मान्यवर, सदन के सामने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक बड़ी अहम समस्या चर्चा के लिए रखा है । हम इस बात को मानते हैं कि हमारे देश के अन्दर बेरोजगारों की तादाद ज्यादा है । उत्तर प्रदेश के अन्दर भी यह बड़ी जटिल समस्या बन गई है । लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूं कि बेरोजगारों को भत्ता देकर समस्या का समाधान किया जाये । इस बात का मैं हामी नहीं हूं । हमें यहाँ बैठकर प्रदेश के अन्दर जो बेरोजगार हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बुनियादी तरीके से विचार करना चाहिए । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस समय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता के नेतृत्व में । जब हम अंग्रेज को यहाँ से हटा रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज उनके यहां से जायेगा तो देश खोखला हो जायेगा । तमाम समस्यायें आयेंगी । उनमें एक समस्या बेरोजगारी भी होगी । महात्मा गांधी ने बार-बार कहा था कि देश की अर्थ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा सके । इसीलिए वे कहते थे कि हमारे देश में छोटे उद्योग धन्धे कायम किए जायें । छोटे स्तर के लोग उद्योग लगायें । उनकी मंशा थी कि बड़े उद्योग न लगाये जायें । छोटे लोगों को सुविधायें दी जायें । छोटी पूंजी से छोटे स्तर के उद्योग कायम कराये जायें ।

मैं एक उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं । 60 हजार रुपये का 1 ट्यूबवेल लगा है । उसकी सिंचाई की क्षमता एक वर्ग कि0 मी0 होती है । यदि एक ट्यूबवेल के स्थान पर 10-10 हजार के 6 ट्यूबवेल लगाये जायें तो 60 हजार की लागत में 6 ट्यूबवेल बनेंगे । वह मिलकर तीन वर्ग मील की सिंचाई करेंगे । इस तरह विकेन्द्रीकरण होगा । 60 हजार के ट्यूबवेल का मालिक एक होता था इस प्रकार 6 ट्यूबवेल लग जायेंगे, 6 आदमियों को रोजगार मिलेगा । हमारी सिंचाई क्षमता बढ़ेगी ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए यह जो सुरसा के मुंह की तरह इस देश में और प्रदेश में कायम है, बुनियादी तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि बेरोजगारों को 30 रुपया, 50 रुपया का भत्ता दिया जाये। इस तरह से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री धरमपाल--

उनका तो नाम मालूम है। हम लोगों के नाम मालूम नहीं हैं शायद। परिचय दे दूं अपना।

*श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उस संकल्प में जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं वह भावनायें केवल माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की नहीं हैं, पूरे प्रदेश की भावनायें इस तरह की हैं। यह समझते हुए मैं संकल्प का समर्थन करना चाहूंगा।

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों ने सत्ता में आने से पहले युवाओं का पक्ष बनाया था और इस देश के अन्दर एक युवा हृदय सम्राट भी कायम कर दिया था।

(व्यवधान)

आपके संजय कभी युवा नेता नहीं रहे और न रहेंगे। मान्यवर, आज जब तमाम युवक बेरोजगार हैं, अगर सदन के अन्दर चर्चा होती है, तो वही जो युवकों के नाम पर चुनकर आये हैं, उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मान्यवर, ऐसे लोग सत्ता में आये हैं जो संविधान के सारे मूल्यों की हत्या करने पर उतारू हैं। संविधान का काम है कि अधिकार को स्वीकृति दे, लोगों को काम दे। सत्ताधारी लोग काम दे नहीं सकते और काम के बदले जब कहा जाता है कि बेरोजगारी भत्ता दो, तो उसके लिए भी स्वीकृति नहीं देते। मान्यवर, यही प्रश्न नहीं, प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान के तमाम सरकारें अपने संसाधनों को देखते हुए अगर अन्य प्रदेश बेरोजगार युवा भत्ता दे सकते हैं, तो हमारा प्रदेश क्यों नहीं दे सकता? यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि अगर भत्ता दे दिया जायेगा तो यहां के युवक अकर्मण्य हो जायेंगे। जो यह कहते हैं, वे अपनी अकर्मण्यता पर पर्दा डालकर दूसरों को अकर्मण्य बनाना चाहते हैं।

मान्यवर, आप देखें कि सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे प्रदेश में हैं। शिक्षित बेरोजगारों में उत्तर प्रदेश में प्रति एक हजार पीछे पढ़े-लिखे 787 लोग बेरोजगार हैं जो देश के 24 अन्य राज्यों से अधिक हैं। अगर गैर-पढ़े लिखे लोगों की तरफ जायें तो सुदूर गांवों में देखेंगे कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अपना पंजीकरण नहीं करा सकते हैं या इसका रास्ता ही नहीं जानते। इस तरह से हमारे प्रदेश में जो भीषण संकट है, उसको देखते हुए शासन की यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि इस पर विचार करे। सिर्फ इतना कह देने से कि काम की तरफ जायें, काम नहीं चलेगा। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनको काम देने का प्रोत्साहन दिया जाए। मैं उन माननीय सदस्यों को और उनके पूरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा---]

दल को चुनौती देता हूं कि काम को आधार बना कर निकले होते तो आज जरूरत नहीं थी कि इस तरह का प्रस्ताव माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त यहां लाते । वह काम के साधन जुटा कर नहीं दे पा रहे, काम का अवसर दे नहीं रहे, इसलिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात उठाई गई है ।

बड़ी डींग हांकी जाती थी कि आजादी के बाद हमारा देश और प्रदेश खुशहाल होगा । लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जब बेरोजगार सड़कों पर दर-दर की ठोकर खाते हैं और अपने घरों में अवहेलना भरे शब्द सुनते हैं और उनकी जगह-जगह पर उपेक्षा होती है, तो उनको यही बात याद आती है कि यह आजादी किस तरह की है । राजनैतिक आजादी मिली, लेकिन वह राजनैतिक आजादी इस प्रदेश की जनता को आर्थिक आजादी नहीं दे सकी और जिस स्वतंत्र देश में आर्थिक आजादी नहीं दी जा सकी हो, मैं उसको पूरी तरह से आजाद नहीं कहूंगा । 1933 में इन्हीं के नेता पंडित जवाहर लाल नहरू ने कहा था कि आजादी राजनैतिक रूप से मिल भी जाये और देश की जनता को आर्थिक आजादी न मिले, तो वह आजादी लेशमात्र भी नहीं होगी । मैं उन्हीं के शब्दों में आज यहां कहना चाहूंगा कि सत्ताधारी पक्ष के लोग बिना सोचे समझे और बिना गौर किये विरोध पक्ष द्वारा जो संकल्प लाया गया है, मात्र इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं । यह एक अच्छी भावना है और प्रदेश की जनता के हित में है । जिन दूसरे प्रदेशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है, वे हैं---मध्य प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, केरला और तामिलनाडू, इन प्रान्तों में इस तरह के भत्ते की व्यवस्था की जा चुकी है । जब हम देखते हैं कि दूसरे प्रान्तों में बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था कर रहे हैं, और हमारा प्रान्त बरोजगारी भत्ता देने में सबसे पीछे है, तो हमारा सर झुक जाता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस संकल्प का समर्थन करें और थोड़ी देर के लिए यह भूल जाय कि वे सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हैं और सत्तापक्ष में बैठे हुए हैं ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं ।

*श्री धनीराम वर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने श्री राजेन्द्र जी गुप्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं गुप्त जी के संकल्प का पूर्णतया समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे तथ्यों के आधार पर हमारी सरकार के पक्ष के लोग भी गुप्त जी से प्रस्ताव का समर्थन करेंगे । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही बेरोजगारी फैली है । दो नीतियां गलत रही हैं जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है, एक तो शिक्षा और दूसरी नीति उद्योग है । इन गलत नीतियों के कारण ही शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और बढ़ती चली जा रही है । देहातों के वह खेतिहर मजदूर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप देखे होंगे कि आपके प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से खेती पर निर्भर करते हैं । खेती ऐसा धंधा है जो सीजनल है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समय-समय पर, तीन-तीन या 6 महीने से ज्यादा काम नहीं होता है, तो यह सीजनल मजदूर भी बेरोजगारों की श्रेणी में शरीक किए जाने चाहिये ।

मैं निवेदन करता हूं कि सरकार शिक्षा की नीति में परिवर्तन करे जिसके कारण आज शिक्षित और अशिक्षित बरोजगारी बढ़ी है । कारण यह है कि एक तरफ पब्लिक कालेज हैं जहां पर बड़े-बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं, वहां चार सौ पांच सौ रुपये एक लड़के के पीछे महीने में खर्च किये जाते हैं लेकिन देहात में गरीब लड़के के ऊपर जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है उसपर 4 या 5 रुपये प्रति माह खर्च आता है । तो जो लड़के पब्लिक स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं उनको सर्विस मिलती है और जो देहातों के पढ़े हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है । ऐसे ही उद्योगों का केन्द्रीयकरण करके बेरोजगारों की संख्या बढ़ायी गई है । उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाये तो बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है । मैं अन्त में गुप्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इन प्रस्तावों का समर्थन सदन करेगा ।

* श्री भोला पान्डेय--

मान्यवर, एक ऐसे अहम मसले पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसलिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है इस सदन के अन्दर तो म उनकी भावना की कद्र करता हूं लेकिन मान्यवर, यह पूरी की पूरी जो उनकी भावना है, मैं समझता हूं कि मात्र राजनीतिक मुद्दा इसके अन्दर है, वास्तविकता नाम की चीज इसमें नहीं है । इसलिए कि जनता पार्टी के लोग जब 1977 में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उन लोगों ने बरोजगारी को दूर करने के लिए और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था । लेकिन बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो दूर रही बेरोजगारी के सवाल को हल करने के लिए कोई सेमिनार या बैठक या बहस भी उन लोगों की पार्टी की सरकार ने नहीं किया । इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी मंशा खराब है ।

श्री गोरी शंकर भैया--

मैं माननीय सदस्य को एक सूचना दे दूं कि हमारी जब सरकार थी तो हमने 2 प्रान्तों में बरोजगारी भत्ता दिया था ।

श्री भोला पान्डेय--

मान्यवर, बेरोजगारी का सवाल विश्व व्यापी स्तर पर बढ़ता चला जा रहा है और विशेषकर विकासशील देशों में बढ़ रहा है । हमारा भारतवर्ष एक विकासशील देश है । औद्योगिक उत्पादन इस देश में कांग्रेस के समय में बढ़ता रहा है । तो विकासशील होने के नाते यहां बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने आयी । लेकिन जनता पार्टी के सरकार के समय में जो जनता पार्टी ने वायदा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का लेकिन उसने नहीं दिया किन्तु मैं नवजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेरोजगारी के सवाल को हल करने के लिए कांग्रेस की सरकार प्रयास करेगा । लेकिन यह कहना कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाय मैं समझता हूं कि यह निष्पक्षता नहीं कही जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भोला पाण्डेय--]

मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि कल उद्योग पर बहस हो रही थी कि हरिजनों और भूमिहीनों को उद्योग में प्राथमिकता दी जाय लेकिन जो प्राविधिक, टेक्निकल शिक्षा हासिल किये हैं उनको उद्योग में प्राथमिकता दी जाये इसकी चर्चा किसी माननीय सदस्य ने कल सदन में नहीं किया, जो आवश्यक है, यह शर्मनाक बात है। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी है, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इसके लिए जरूरत है कि जो बेरोजगार हैं केरला प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में लगभग 600-400 रुपये के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय वहां की सरकारों ने किया है लेकिन अर्थव्यवस्था हमारे प्रदेश की अभी विकसित नहीं है और मैं समझता हूं कि इस योजना को लागू यदि किया जाता है तो नवजवानों के अन्दर जो अकर्मण्यता की भावना है वह और तेज हो जायेगी। इसके लिए जरूरी है कि विरोध पक्ष के लोग इस पर सलाह देते कि नियुक्तियों में जो आवेदन पत्र मांगे जाते हैं उनका शुल्क न लिया जावे, विशेष कर कंपनियों और प्रतिष्ठानों में, क्योंकि कंपनियां पैसा हासिल करने के लिए नियुक्ति करने के लिए आवेदन-पत्र मांगते हैं।

तो मान्यवर, मैं आपसे कह रहा था कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो दूर रही बेरोजगारी को किस तरह हल किया जाय, कैसे बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये जायं और उसमें नवजवानों को लगाने की बात होती, यह सलाह दी जाती और जो किसान के बेटे होते उनको कृषि के अन्दर लगाकर कैसे उत्पादन बढ़ाया जाय, इस तरह के कार्यक्रम सरकार को चलाने की सलाह दी जाती तो अच्छा होता और मान्यवर, सरकार को इस तरह के कार्यक्रम चलाने चाहिये।

अन्त में मैं मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मुझे यकीन है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या को बहुत ही जल्द एक न्यायोचित तरीका अपनाकर हल करेगी।

* श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो संकल्प रखा है मैं उनकी नीयत को चैलेन्ज नहीं करता लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि यदि यह सदन इस पर इस ढंग से विचार करे कि इस भीषण समस्या को, जो प्रदेश के सामने है, उसको कैसे हल किया जाय तो ज्यादा अच्छा होता। मान्यवर, पहली बात यह है कि शिक्षितों को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की जा रही है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि शिक्षित बेरोजगार जिसको कहते हैं वह वे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत था और शिक्षा हासिल किया और आपका ध्यान उस ओर नहीं गया जो पैसा न होने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके और उनकी तादाद मैं समझता हूं बहुत ज्यादा है उन शिक्षित बेरोजगारों से। मैं एक उदाहरण आपके सम्मुख रखता हूं। एक जगह सेलेक्शन कमेटी में मैं था। वहां पर एक नौजवान आया बी० एस-सी० (एग्रीकल्चर)। मुझे उत्सुकता हुई क्योंकि वह जगह ऐसी थी जिसमें बी० एस-सी० (एग्रीकल्चर) नहीं आने चाहिये थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम बी० एस-सी० हो, तुम्हारे पास खेती नहीं है क्या। उन्होंने कहा मेरे पास 200 बीघा जमीन है। मैं चुप रहा 200 बीघा जमीन सुन कर। मैंने कहा कितने भाई हो। उन्होंने बतलाया अकेला हूं। मैंने पूछा पिता जी क्या करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्विस में हैं। मैंने कहा कि उस खेती के काम को कौन करता है। उन्होंने बतलाया कि एक मैनेजर साहब जिनको दो सौ रुपया देते हैं वह काम करते हैं। तो अधिष्ठाता महोदय, क्या इस नौजवान को आप बेरोजगार नौजवान मानेंगे। इस तरह के जो शिक्षित बेरोजगार हैं वे काम नहीं करना चाहते, अपने घर पर उनका व्यवसाय है उसको नहीं करना चाहते बल्कि नौकरी में जाना चाहते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह चाहता हूं कि गुप्त जी के संकल्प में यह काम तो जरूर शुरू हो कि जो परिवार हैं उसकी क्षमता क्या है। जिस परिवार में शिक्षित बेरोजगार होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या यह उनकी क्षमता में नहीं है कि वे अपने परिवार के साधनों से अपने खाने पीने का प्रबन्ध कर सकें। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के आंकड़े पहले तैयार करायें तब संकल्प लायें और जो बाकी बचें उनका प्रबन्ध किया जाय।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, सत्ता पक्ष में खाली कुर्सियां देखकर यह अन्दाजा हो रहा है कि बेरोजगारी को खत्म करने में सत्ता पक्ष की कितनी दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि जब रोजगार और बेरोजगारी की बात की जाती है तो हम गालिबन डिक्शनरी के किसी पोशीदा लफ्ज को सामने रखकर उसके मायने तलाश करते हैं, देखते हैं और भूल जाते हैं अफसोस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उसके माने मालूम कर लिए जायं और फिर उस डिक्शनरी को किसी आलमारी में दूर बहुत दूर महफूज कर दिया जाय। ठीक उसी तरह से इस बेरोजगारी के मसले को भी इस सदन में उठाया गया है। मुल्क की आजादी के वक्त और मुल्क की आजादी के बाद 34 सालों तक इस नारे को हर पार्टी लगाती रही कि मुल्क से बेरोजगारी को दूर करेंगे मुल्क की आजादी के वक्त जितने भी हमारे रहनुमा थे उनका यही नारा था कि आजादी के बाद हर भूखे को रोटी, हर नंगे को कपड़ा मिलेगा, हर बेसहारे को सहारा देंगे और बे आसरा को रहने के लिये मकान देंगे। लेकिन देखने में यह आया, "देखे थे हमने जो वह हसीन ख्वाब क्या हुए, वो वादा हाय अतलसों कम ख्वाब क्या हुए।"

हमने आजादी के पहले गरीब लोगों से कुरबानी मांगी थी उनसे उनके जानोमाल की कुरबानी मांगी थी और अपने नेतृत्व को आगे बढ़ा कर, अपनी नेतागीरी को चमका कर अंग्रेजों से अपने इस मुल्क को छीन लिया। 33 साल की मुसलसल आजादी के बाद साबित यह हुआ कि जिस जमात में मुल्क को आजाद कराया आज वही जमात उन्हीं लोगों का खून चूस रही है और उनके लिये वही जमात कुछ नहीं कर रही है। चन्द वर्षों के लिये एक दूसरी सरकार भी आई थी जिसने कोशिश की थी बेरोजगारी को दूर करने की, खुशकिस्मती से उसका नाम जनता सरकार था उसने 10 वर्ष का समय मांगा था। इसमें कमजोरियां सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि हर उस फर्द की है जो यहां आने के बाद इस एयरकंडीशंड हाउस में बैठकर उस गरीब वर्ग को भूल जाता है, जो बेरोजगार है। हुकूमत में आकर हर पार्टी, हर नेता यह समझता है कि इस एयर कंडीशंड हाउस में बैठकर वह मुल्क की तकदीर बदल लेगा, हवाई जहाज पर बैठकर गरीब आदमी के ख्वाब को पूरा कर देगा। आज का रहनुमा बम्बई और कलकत्ता को देखकर यह समझता है कि यही सारा हिन्दुस्तान है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रूस और अमरिका से पैसा लेकर बड़े-बड़े कारखाने लगवाए और धरती के सीने पर बोझ बढ़ा दिया। लेकिन क्या किसी सरकार ने, खास कर कांग्रेस

[श्री मुहम्मद आजम खां--]

सरकार ने कभी सोचा कि इस तरह वह इस मुल्क की दौलत को दूसरे मुल्क में ले गए और उस मुल्क की दौलत बढ़ा दी और सिर्फ उस फौलादी बोझ को इस मुल्क के सीने पर लाद दिया, इस तरह उन्होंने इस मुल्क में बड़ी-बड़ी मशीनों के भण्डार को इकट्ठा करके अवाम की ताकत को, इंसान के काम करने की सलाहियत को बिलकुल खत्म कर दिया। चाहिए तो यह था कि यहां छोटे उद्योग, छोटे कारखाने लगाए जाते ताकि इस गरीब मुल्क का पैसा इसी मुल्क में रहता और लोगों पर गरीबों का बोझ न बढ़ता लेकिन इसका बिलकुल खयाल नहीं रखा गया जिसका नतीजा यह हुआ कि न भूखे को रोटी मिली और न नंगे को कपड़ा। आलम यह है कि चारों तरफ बेरोजगारों का हुजूम ही हुजूम दिखाई पड़ता है। इस रिजोल्यूशन के जरिये आज यही चाहा जा रहा है कि जो बेरोजगार हैं उसे रोजी फराहम की जाय।

(व्यवधान)

यहां के पढ़े-लिखे नौजवान को आज जब उसको रोटी नहीं मिलती, जो नंगा है और जब वह मजबूर और बेसहारा है तो क्या तरीका उसके सामने रह जाता है सिवाये इसके कि वह जुर्म करे। यही वजह है जरायम के बढ़ने की। इस तरह जम्हूरियत की दुहाई देने वाले कांग्रेसी अलमबरदार जिन नारों पर वोट मांगते हैं और जनता को एक्सप्लाएट करते हैं उन्हीं नारों के बल पर वह जनता के जज्बात और जम्हूरियत का कत्ल इस हाउस में करते हैं।

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको गुप्ता जी के प्रस्ताव के मातहत गुजारे का भत्ता दिया जाय, इसका मैं समर्थन करता हूं। जब भी चुनाव आते हैं, मुल्क के सामने कोई गंभीर परिस्थिति आती है, मुल्क को बचाने की बात आती है तो उस स्थिति में मुल्क के नौजवानों को संगीनों के सामने कर दिया जाता है। कोई भी मुख्य मंत्री होता है वह यही कहता है कि देश के नौजवानों को सीना खोलकर सामने आना चाहिए लेकिन जब करोड़ों बेरोजगारों को भत्ता देने की बात आती है और आज उनकी सरकार है। दोनों सरकारें इसलिए मुकर जाती हैं क्योंकि उनको अपनी बेरोजगारी दूर करने का ख्याल आता है कि वे सरकार में मंत्री हो जायं और उस तरह से उनकी बेरोजगारी दूर हो जाती है दूसरों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात उनके दिमाग में आती ही नहीं है। अभी सत्ता पक्ष से कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आज प्रदेश के अन्दर ऐसी परिस्थितियां हैं, हमारा अर्थतन्त्र इतना सुदृढ़ नहीं है कि हम बेरोजगारी भत्ता दे सकें या उसके लिए कोई कदम उठा सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश की स्थिति को आप देखें, मेरा ख्याल है कि हमारी स्थिति बिहार से अच्छी है ज्यादा खराब नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दिया। इसी तरह से मान्यवर, मध्य प्रदेश है। जहां तक उनके राजस्व का सम्बन्ध है हमारा राजस्व मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व से ज्यादा है और फिर भी उसने हिम्मत की और बेरोजगारी भत्ता दिया।

मान्यवर, एक नौजवान बेरोजगार के पास इस दिशा में उसके बाद सिर्फ दो ही विकल्प रह जाते हैं--एक तो है आन्दोलन और उसके जरिये वह कहता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि तुमको हमारी बेरोजगारी की तरफ ध्यान देना होगा । दूसरा रास्ता उसके पास यही है कि वह इसी तरह के बिल या संकल्प लाकर यह माँग करता है कि हमें बेरोजगारी का भत्ता दिया जाय । इसलिए इस विषय पर प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए । जो नये लोग हैं जो यह समझते हैं कि हम गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार हो गए हैं और हम विधान सभा में आ गए हैं लेकिन जिन्होंने करोड़ों नौजवानों के बीच खड़े होकर यह कहा था कि हमारे प्रदेश में उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा उनको इस विषय पर गम्भीरता से सोचना होगा । जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने क्यों नहीं किया, ऐसा भी कहा जा सकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में भी जनता पार्टी की ही सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की ही सरकार थी उन्होंने बेरोजगारी भत्ता अपने नौजवानों को दिया । हम भी यहां पर देने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हम टूट कर चले गये । उसी को आगे बढ़ाने के लिये हमारे भाई आज इस संकल्प को लाये हैं । जो लोग यहां पर आये हैं जो एक नौजवान के दुख और दर्द को समझते हैं वे उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाने का प्रयास करेंगे क्योंकि व उनके साथ वादा करके आये हैं जो छोटे लोग हैं वे हमारा साथ देंगे । लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके बारे में मैं चमचागीरी शब्द का इस्तमाल नहीं करूंगा लेकिन वे यहां पर आने के बाद वे अपने वादों को भूल जाते हैं । (व्यवधान) मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं और बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का समर्थन करता हूं ।

श्री सुनील शास्त्री—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह समय को देखते हुये बहुत ही अनुकूल है । मैं आज सदन में अपने सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसका महत्व केवल हमारी सरकार ही नहीं अपितु केन्द्र की सरकार भी समझती है और यही कारण है कि केन्द्र ने पहली बार अपने बजट में एक भारी रकम बेरोजगारी दूर करने के लिए रखी है । मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत जोरों से बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे बहुत से नौजवान साथी आज बेरोजगार हैं उनकी समस्या को दूर करने के लिये मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं । सबसे पहले तो मैं यह सोचता हूं कि बेरोजगारी भत्ता जो है वह एक भत्ते के रूप में, पाकेट खर्च के रूप में न मिल कर जो बेरोजगार युवक हैं उनको इसलिए मिले कि जहां कोई नौकरी खाली हो उसमें एप्लाई करने के लिए जो खर्च लगता है, पोस्टल आर्डर या कोई सिक्योरिटी जमा करनी हो उसके लिए उपलब्ध कराया जाय ।

दूसरा ध्येय बेरोजगारी भत्ता मारजिन मनी के रूप में देने का होना चाहिये । जैसे कोई नवयुवक हाई स्कूल पास है उसकी इच्छा है कि वह अपना रिक्शा चलाये या छोटी दूकान खोले उसके लिए उसे मारजिन मनी के रूप में पैसा दिया जाय क्योंकि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक कर्जा जरूर देते हैं लेकिन 10 से 15 परसेन्ट मारजिन मनी उस लड़के को अपनी तरफ से जमा करना पड़ता है । आज उसके पास कोई पैसा नहीं है जिससे वह अपना धंधा चला सके उसको बड़ी कठनाई का सामना करना पड़ रहा है । मेरा निवेदन है हमारी प्रदेश सरकार से कि जो नौजवान अपना छोटा मोटा धन्धा चलाना चाहते हैं

[श्री सुनील शास्त्री—]

उनको मारजिन मनी के रूप में बरोजगारी भत्ता दिया जाय । इसके अलावा जो अनइम्पलाइड ग्रेजुवेट्स हैं, इन्जीनियरिंग ग्रेजुवेट्स हैं और वे बड़ा बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास मारजिन मनी नहीं है और जिससे वह उसे नहीं लगा पाते हैं तो उनकी जो भावना है उसे वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं । तो उसमें सरकार सहायता करे, उसमें ज्यादा सरकार न सोचे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होजाय मुझे विश्वास है अगर बेरोजगार नवयुवकों को धन्धा करने के लिए मारजिन मनी के रूप में पैसा दिया जायेगा तो इससे प्रदेश का ही विकास होगा, कोई उससे बुरी बात नहीं होगी । इन शब्दों के साथ में एक बार फिर अपनी तरफ से जितने यहां पर माननीय सदस्य उपस्थित हैं, निवेदन करता हूं कि इस संकल्प का समर्थन करें । मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इस विषय पर सोचे और दूसरे प्रदेशों में जैसे बेरोजगारी भत्ता इस समय दिया जा रहा है वैसे ही यहां बेरोजगारी के शिकार लोगों को यह भत्ता दिया जाय ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बगैर अनुमति के नहीं बोल सकते हैं । मैंने माननीय श्यामलाल वाजपेयी को पुकारा है ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक महत्वपूर्ण संकल्प सदन के सामने रखा है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं । जिस क्षेत्र में आप सुनें चाहे वह नेताओं के श्रीमुख से भाषण हों या पूंजीपतियों के प्रवचन हों या इस देश के तस्करों की बात हो, अधिष्ठाता महोदय, गौर करें हर ओर से एक आवाज उठती है और सब की एक ही आवश्यकता होती है कि हमें नया खून चाहिये । मान्यवर, नया खून तो चाहिये हर व्यक्ति को मगर किस चीज के लिए चाहिये इस देश के नेताओं को, इस देश के उद्योगपतियों को नया खून मगर तलुओं की मालिश के लिए ।

मान्यवर, मैंने जब से आंख खोली है, तब से मेरा सारा जीवन छात्र राजनीति से बंधा है और देश के नौजवानों का नंगा रूप देखता आ रहा हूं । उसके भाषण मैंने हमेशा से सुने हैं कि सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, लेकिन कैसे सुधार होना चाहिए ? आज देश के किसी कोने में हमें सुधार की कोई रूपरेखा नहीं दिखाई पड़ती । मैं उसी क्षेत्र में जन्मा हूं, जेल काटने से लेकर पुलिस के डंडे तक कई-कई बार खाये हैं, और उन तमाम अनुभवों से मैंने हासिल किया है किन्तु मैं भी आज तक उस हल को नहीं खोज पाया कि उनको कौन सी व्यवस्था दी जाए, जिससे उनके जीवन में सुधार हो । हमारी नींव ही गलत हो गई है और उस गलत नींव पर हम ईंट पर ईंट जोड़ते चले जा रहे हैं । गलत नींव पर कोई भी निर्माण सही नहीं हो सकता है । यह समस्या नासूर की तरह आज हमारे सारे समाज को घुलाती हुई चली जा रही है । आज राजेन्द्र गुप्त जी ने जो संकल्प रखी है कि बेकारी भत्ता दिया जाए नौजवानों को, गुप्त जी

और सदन के अन्य साथी हमें क्षमा करेंगे मैं बेकारी भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। मेरा अनुभव है...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं... (व्यवधान) (लाल बत्ती होने पर) मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह मुझे दो मिनट का समय देकर और सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

सिर्फ एक मिनट में खत्म करें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

बाढ़ सहायता के नाम पर जो अनाज बंटा है, उसके लिए ही लोगों ने लाठियां और गोलियां खाई हैं। तो क्या बेकारी भत्ता के नाम पर वह खून की और होली खेलना चाहते हैं। कोई बेकार रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराने जाता है तो उसकी क्या हालत होती है और जब वह अब बेकारों की लिस्ट में अपना नाम लिखाने जाएगा, तो उसकी क्या हालत होगी। बेकारी भत्ता इस समस्या का कोई हल नहीं है। आवश्यक है कि इसके लिए गृह उद्योगों की स्थापना की जाए, गांव-गांव में ऐसी इंडस्ट्रीज खोली जाएं, जिससे उसमें हमारे बेरोजगार व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में लग सकें। बेरोजगारी की समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है, हमारे सामने जो यह ठेकेदार बैठे हुए हैं, उन्होंने... (व्यवधान) देश के बांटने वालों से मेरा अनुरोध है यदि वह ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद के नाम पर...(व्यवधान)-(घोर व्यवधान)

श्री धरमपाल--

मान्यवर, आपका जो रवैया है, मुझे बोलने को नहीं मिल रहा है, मैं उसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री धरम पाल सदन त्याग कर चले गये।)

[श्री मसरूर जाफरी अपने स्थान पर खड़े होकर बिना आज्ञा के बोलने, कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने पर (व्यवधान)।]

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

जाफरी जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन्, मैं इस पर चर्चा समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर और श्री कुबेर भंडारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मसरूर जाफरी--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

जो माननीय सदस्य बिना इजाजत के बोल रहे हैं, उनका भाषण नहीं लिखा जायेगा।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मसरूर जाफरी--

चूंकि आपने मुझे इस अहम मसले पर बोलने का मौका नहीं दिया इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मसरूर जाफरी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं क्लोजर का प्रस्ताव मूव करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी नहीं...।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह चर्चा बन्द की जाय । आगे भी कार्य-सूची में बहुत काम है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह संकल्प माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का है इस विषय पर कुछ और अभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो अभी क्लोजर मूव करने की मैं अनुमति नहीं देता ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, बेरोजगारी की समस्या हमारे प्रदेश में इतनी महत्वपूर्ण है कि इस विषय पर तो चर्चा के लिए एक दिन निश्चित होना चाहिए । मान्यवर, हमारे देश के लिए यह बड़ी ही लज्जा की बात है कि हमारे नौजवान विदेशों में जाकर नौकरियों के लिए मारे-मारे फिरते हैं और जहां पर नीले आकाश के नीचे अपना जीवन बिताते हैं । 38 वर्ष की अवधि में रूस और अमेरिका कहां पर पहुंच गया लेकिन हमारे देश के लोग ईरान की ओर बढ़ रहे हैं । ये लोग सत्ता में होते हुए भी अगर बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता नहीं दिला सकते तो इनको रोजगार ही दिलायें और अगर रोजगार भी नहीं दिला सकते है, तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ।

मान्यवर, हमारे यहां पर बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एक ही आदमी के पास नौकरी भी है, ठेकेदारी भी है और लम्बी-लम्बी जायदाद भी है । जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास एक बहुत बड़ा फार्म है, उनके पिता केन्द्र में मंत्री भी है और स्वयं तो मंत्री हैं ही । जिनके पास रोजगार हो उनको नौकरी न दी जाय और जिनके पास नौकरी है उनको खेती उनसे ले ली जाय । जब तक ऐसा नहीं होगा देश और प्रदेश से बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता है । हमारे प्रदेश में बहुत सी भूमि परती और ऊसर पड़ी हुयी है । उसको ठीक करके लोगों में वितरित की जाय ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के पिता केन्द्र में मंत्री हैं तो यह उनके ललाट की देन है, इसको आप कहां से बदलेंगे ?

श्री कुबेर भण्डारी—

मैं यह कह रहा था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास एक बहुत बड़ा फार्म है, जहां पर सतियाकांड हुआ था। उनके पिता केन्द्र में एक मंत्री हैं।

हमारे यहाँ पर 14 चीनी मिलें हैं वहां पर शराब बन सकती है। सरकार को उनसे एक्साइज ड्यूटी भी मिलता है और रुपया आपकी पार्टी को मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

*श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर चर्चा में जो भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका अभारी हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं और उसका समर्थन करते हुए भारत के संविधान की धारा 41 को पढ़ना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है : "राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।" इस संविधान को इस देश में लागू हुए लगभग 30 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं लेकिन जो बेकारों की संख्या है, आज जो बेकारों की जमात खड़ी हुयी है, उसको देखते हुए हमारे संविधान के बनाने वालों ने सोचा था कि देश में लोगों को काम मिलेगी, जैसे-जैसे हम प्रगति करते जायेंगें, लोगों को काम का अवसर मिलेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि सन् 1951 से लेकर 1978 तक भारत सरकार ने इस प्रदेश को 1885 करोड़ रुपया उद्योगों में लगाने के लिए और 1117 लाइसेन्स दिये, लेकिन इस प्रदेश के उद्योगों में उस 1885 करोड़ रुपये में से 9 प्वाईन्ट कुछ अंश ही सरकार द्वारा खर्च किया गया। आज देश में तमाम नौजवान बेकार पड़ा हुआ है। संविधान के अन्तर्गत यदि आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो उसे आपको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। यह संकल्प हमारे संविधान के समयानुकूल है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर आपको इस पर विचार करना चाहिए और इस संकल्प को स्वीकार करना चाहिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री कैलाश टण्डन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राजेन्द्र कुमार जी गुप्त के संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया। प्रस्ताव बड़ा ही साफ और अच्छा है, मगर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रस्ताव को लाने के पीछे जो मंशा छिपी है वह साफ नहीं है, प्रस्ताव अच्छा है मगर मंशा अच्छी नहीं है (व्यवधान)। जब यह बनारस जाते हैं, भारतेन्दु और प्रसाद की नगरी में तो वहां अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, बेटे से कहते हैं कि मां को कहो मम्मी और बाप को कहो डैडी। (व्यवधान) मैं इनके क्षेत्र से हरा कर आया हूं, इनकी हर बात को जानता हूं। जब इनकी (विरोध पक्ष) सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश टण्डन--]

1977 में आयी तो इन्होंने क्या किया ? उसके पहले कांग्रेस सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देने की स्कीम थी, रेलवे विभाग में, काटेज इन्डस्ट्रीज में, हैंडलूम बोर्ड में, जगह जगह बेरोजगारों को खपाने की स्कीम थी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, मगर जब इनकी सरकार के रेल मंत्री हुए तो उन्होंने वह सब खत्म कर दिया। बनारस में कालीन उद्योग प्रशिक्षण स्कूल खोल गये थे, प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को 75 रुपये स्टाइपेन्ड दिया जाता था, मगर आपकी हुकूमत ने वह सब बन्द करवा किया। अब आज जब आपकी हुकूमत नहीं है, कांग्रेस सरकार की हुकूमत है, तो नवजवानों को गुमराह करने के लिए, उनको भड़काने के लिए आप आज यह प्रस्ताव लाये हैं। बेरोजगारी का मसला ऐसे हल नहीं होगा, वह हल तब होगा जब प्रदेश और देश के अन्दर परिवार नियोजन लागू किया जायेगा। (व्यवधान) जब तक बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा बेरोजगारी की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए यह प्रस्ताव जो लाया गया है यह राजनीति से प्रेरित है, मैं इसका विरोध करता हूं, इस सरकार को बदनाम करने के लिए यह लाया गया है ताकि यह कह सकें कि कांग्रेस की सरकार बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे सकी, हम तो प्रस्ताव लाये थे। (व्यवधान) अगर आपकी मंशा साफ होती तो आप यह न लाते ..(शोर व्यवधान) मैं इसका विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कोई भी बिना मेरी अनुमति के न बोलें। कृपया बैठें। जिसे मैं बुलाऊं वही कृपया बोलें। (व्यवधान)।

श्री नरेश चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे माननीय गुप्ता जी के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इनके संकल्प में जो भावना है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिस रूप में पेश किया है, उस कारण इसका विरोध करता हूं। 1977 में केन्द्र में और इस प्रदेश में भी इनकी सत्ता रही, अब तो दुबारा इन्होंने हमें सत्ता दिया, तो 22 करोड़ बेरोजगार विरासत में दे दिया। हमें इस बात की खुशी है कि जब माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के दर्मियान यह कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन सदन में इस प्रकार का संकल्प नहीं ले आये। आज जब विरोध में बैठे हुए हैं, तब उनको याद आया। इसलिए मैं इनका आभारी हूं। मान्यवर, बेरोजगारी की समस्या वाकई में बहुत विकट समस्या है। इसको गम्भीरता से सोचने का विषय है। अगर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उनमें अकर्मणता बढ़ेगी। साथ ही साथ माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त इन लोगों को पेंशनर बना देना चाहते हैं ताकि वे न देश के प्रति सोचें और न जनता के प्रति सोचें। मान्यवर, मेरा कुछ सुझाव है कि इस बेरोजगारी को देखते हुए लघु उद्योगों में बढ़ावा दें। उसमें बेरोजगारों को जो कर्ज दिया जाय, तीन साल तक उनसे कोई ब्याज न लिया जाय। इनको ऋण जल्दी दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इनके संकल्प की भावना का स्वागत करता हूं लेकिन नियत का विरोध करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, भावना का समर्थन कर रहे हैं और नियत का विरोध कर रहे हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर,....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य को अब इसलिए पुकारा गया है कि पहले वह मेरे कहने पर बैठ गये थे ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं सीधे गांव से आया हूं और ऐसे गांव से आया हूं, जहां डेढ किलो मीटर दूरी से पानी पीने के लिए लाते हैं । मान्यवर, जब हमारे राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इस संकल्प को रखा, तो इस पर काफी मैंने सोचा कि जहां शहरों के लोग, जहां सेवा योजन कार्यालय बना हुआ है, वहां पर एक घर के पिता, पुत्र, लड़के, लड़कियां सभी नौकरी में रखे जाते हैं लेकिन गांव के लोग जब शहरों में आते हैं, तो सेवायोजन कार्यालय में उनका नाम लिखा नहीं जाता और लिखा है तो पैसा लिया जाता है और जब उनको बुलाया जाता है, तो वे ठगे जाते हैं अधिकांश मुझको तजुर्बा है कि गांव के लोग काम चूल्हा फूकने के लिए या चपरासी या सिपाही या बरतन मांजने के लिए जाते हैं और दूसरी बातें मान्यवर, जब मुल्क स्वतंत्र हुआ था, उसी समय बेरोजगारी का भत्ता दिया जाना चाहिए था । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । यह उद्योगपतियों ने चालाकी की । सत्तारूढ़ दल को फुसलाये और तब यह हुआ कि जहां 40 आदमियों को काम मिलता था, वहां पर एक आदमी काम करने लगा । वे 40 आदमी बेकार हो गये । उसका नतीजा यह हुआ कि एक तरफ जन संख्या बढ़ी, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ती गयी, जैसा हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर ऐसा किया गया होता तो यह बेरोजगारी इतनी न बढ़ती दूसरी बात यह है कि विदेशों में भी बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है । इसलिए वहां के नवयुवकों की आत्मा मरती नहीं है और हमारे यहां के नवयुवकों की आत्मा मर जाती है । इसके साथ ही हमारे यहां के अनपढ़ लोगों को भी किसी काम में नहीं लगाया जाता है । उनसे सिर्फ सड़कों पर पत्थर ढोने का काम लिया जाता है या पहरा देने का काम लिया जाता है, और अब सिपाही का काम भी इसलिए नहीं दिया जाता है कि उनकी शिक्षा कम से कम हाई स्कूल कर दी गयी है । मान्यवर,....

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाये गये संकल्प का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह गांव की तरफ भी कृपया ध्यान दें दें । क्योंकि यह शहर के लोग उनको गुलाम बना रहे हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी लेकिन समय बाद में निश्चित किया जायेगा । इस वक्त मद संख्या 20 लेंगे । (व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, केवल आधे घंटे तक चर्चा जारी रहने दें । केवल आधे घंटे का समय और दे दिया जाय इस पर ।

श्री अधिष्ठाता--

अगली बार आपको इस पर बोलने का मौका अवश्य मिलेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि के विषय पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

(समय 2-47 बजे अपराह्न)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अधिष्ठाता महोदय, अभी थोड़े दिन पहले राज्य विद्युत परिषद् की ओर से जो बिजली की दरें हमारे प्रदेश में लागू थी, उसमें एकदम से वृद्धि कर दी गयी और जबकि इससे पहले भी वृद्धि की जा चुकी थी, फिर दरें बढ़ा दी गयीं तो हमें माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि क्या विद्युत परिषद् को बिजली की दरें बढ़ाने का अधिकार है और क्या यह दरें बढ़ाना प्रदेश के हित में है और दरें बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार ने उन्हें दे रखा है ? मान्यवर, हमें बहुत लम्बा चौड़े तर्क में जाने की जरूरत नहीं है । कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जिस संस्था को हमने एकाधिकर दे रखा है, क्या हम उसे ऐसे जघन्य काम करने के भी अधिकार देंगे ? यदि हम उस पर अंकुश अपना नहीं लगायेंगे, तो मान्यवर, मेरा कहना गलत न होगा कि यह सब अपनी मनमानी करने लगेंगे और यही हो भी रहा है और वह बात भी अपनी जगह सही है कि अगर यह अपने कर्मचारियों को जो सुविधाएं उन्हें मिल रही थी, बिजली उनको मुफ्त मिल रही थी, अगर वह सुविधाएं मिलती रहती तो शायद यह दरें आज बढ़ानी नहीं पड़ती । दूसरी बात यह कि आप बराबर घोषणा करते रहते हैं कि बिजली चौबीसों घंटे मिल रही है गांवों में कहीं भी 4-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जा रही है गाँवों में, यह कहना बिलकुल गलत न होगा कि कहीं-कहीं तो बिजली जाती ही नहीं और अगर जाती भी है तो केवल एक आध घंटे के लिए । और बिजली के दरें बढ़ाते चले जा रहे हैं आप । इसके अलावा मान्यवर, जो डोमेस्टिक यूज में आती थी बिजली, उसके रेट कम थे परन्तु अब सबके एक रेट कर दिये गये । दूसरे बिजली बोर्ड की हालत पर गौर करिये । यह बिजली बोर्ड दो सौ करोड़ की लागत से चालू हुआ और करीब-करीब इतनी ही रकम यह खा चुके है और करीब-करीब इतना ही घाटा हुआ है और मान्यवर, इतना ही नहीं करीब-करीब इतना ही रुपये का कर्जा इन पर लद गया है । बिलकुल सफेद हाथी होते जा रहे हैं । जो कर्जा इनके ऊपर है, उस पर 43 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में इनको देना पड़ रहा है । इसी तरह से इन पर ठेकेदारों का बकाया भी 15 करोड़ रुपये है । और मान्यवर, कई करोड़ रुपये की मशीनें रेलवे स्टेशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर पड़ी हुयी सड़ रही है और जंग खा रही है, जिनका 80 लाख रु0 डेमरेज रेलवे को देना पड़ रहा है। यह है इफीसियेन्सी इस डिपार्टमेन्ट की और बिजली के रेट बढ़ा दिया है लेकिन जो बिजली की दर है उसको यह वसूल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है इस डिपार्टमेंट में उसकी वजह से यह वसूल नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, 76-77 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड का दूसरों पर बकाया है। उपभोक्ताओं की बात होती तो मान्यवर, ठीक था कि वह छोटे होते हैं गरीब होते हैं नहीं वसूल किया गया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जिनके साथ सरकार की दुर्गसन्धि है उसका परिणाम बोर्ड पर पड़ रहा है। जो बड़े-लड़े उद्योग हैं उनके ऊपर मार्च 80 में 8-20 करोड़ रुपया बकाया था किन्तु मान्यवर, अप्रैल में 11·27 करोड़ हो गया। दूसरे लोगों पर जो बकाया होता है छोटे दुकानदारों पर उनके ऊपर यह सख्ती करते हैं जिनके पास केवल 5 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है अगर 203 रुपया उनके ऊपर बकाया हो गया तो कुर्की की जायेगी कनेक्शन काट दिया जायेगा और उनको भूखों मरने के लिये मजबूर किया जायेगा लेकिन बड़े-बड़े उद्योग पर जो बकाया है और उनके ऊपर यह बकाया धनराशि बढ़ती जा रही है और मान्यवर, छोटे उद्योगों पर भी है। मान्यवर, इनके ऊपर 11.32 करोड़ था अब वह 11.73 करोड़ हो गया और दूसरी बात आश्चर्य की यह है कि यह अपने एकाउन्ट को ठीक नहीं रखते हैं इनका अपने पैसों पर नियंत्रण नहीं है।

मान्यवर, आप देखें, बोर्ड के जो बड़े इंजीनियर हैं उनके ऊपर 45 लाख 80 हजार रुपया बकाया है लेकिन पैसा कम पड़ा तो रेट बढ़ा दिया और गरीब उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऊपर 4.75, पर 25.89 करोड़ और रेलवे 30 लाख नगरपालिकाओं पर 3·71 करोड़ बकाया है। मान्यवर, इतना ही नहीं दूसरे स्टेट के ऊपर बकाया है इस पैसे को यह वसूल नहीं कर पाते। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने एक वक्तव्य दिया है जो 11 अगस्त को छपा है उन्होंने कहा है कि बोर्ड के तापीय विद्युत् उत्पादन मात्र 40 प्रतिशत है जब कि प्राइवेट क्षेत्रों में 90 प्रतिशत जनरेशन हो रहा है। मान्यवर, यह है इनकी इफीसियेन्सी। मान्यवर, सबसे चिन्ता की बात तो यह है कि परिषद् के प्रबन्ध में स्थापित विद्युत् क्षमता गत 5 वर्षों में दुगुनी हो गई पर उपभोग क्षमता 75-76 में 58 प्रतिशत से घटकर 79-80 में 38 प्रतिशत रह गई। मान्यवर, यह स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है और इन्होंने कहा है कि राज्य विद्युत् परिषद् पर भरोसा करना जनता के साथ खिलवाड़, यह चेतावनी उनकी तरफ से है। जब वह इस बात को समझ रहे हैं कि जनता के साथ खिलवाड़ होगा राज्य विद्युत् परिषद् पर विश्वास करना ठीक नहीं, उसकी कोई इफीसियेन्सी नहीं बढ़ी, बिजली की चोरी नहीं समाप्त हुई, उसकी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ी, काम की व्यवस्था ठीक नहीं है फिर सरकार ने क्यों उसको अधिकार दे दिया बिजली के रेट बढ़ा दें तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अधिकार दे दिया तो शायद भविष्य में आप इसमें सुधार नहीं कर पायेंगे। इसलिए सरकार ने जो सहमति दे दी है रेट बढ़ाने की यह बहुत ही अनुचित एवं बिना सोचे समझे काम किया है जो प्रदेश के हित में नहीं है।

मान्यवर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं अगर विद्युत् परिषद् सही रास्ते पर काम करे तो शासन विचार करले मैंने बहुत पहले कहा था सतर्कता विभाग की एक विज्ञप्ति है मान्यवर, जिसमें यह लिखा है कि इनके यहां बोर्ड में

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

करीब करीब डेढ़ सौ के ऊपर वरिष्ठ अभियन्ता ऐसे हैं जिनके खिलाफ सतर्कता विभाग ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोप हैं और सरकार के पास पत्रावली पड़ी हुई है। जिनमें 150 के प्रतिकूल रिपोर्ट है, 10 के खिलाफ गम्भीर शिकायतें हैं। लेकिन राज्य सरकार को फुरसत नहीं है कि बोर्ड की स्थिति को ठीक करे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय जिससे 'सतर्कता की जांच के परिणाम स्वरूप एक भूतपूर्व अध्यक्ष सहित 6 मुख्य अभियन्ता एवं सदस्य बिजली बोर्ड 12 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं, 50 अधीक्षण अभियन्ताओं 77 अधिशासी अभियन्ताओं, 31 सहायक अभियन्ताओं, 30 अवर अभियन्ताओं, 21 अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पाये गये थे। लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अगर कार्यवाही नहीं करेंगे जन जीवन कैसे बचेगा। मैंने विधान सभा में, वजीर नगर में एक स्टोर है, जहां पर बड़े पैमाने पर चोरी हो गयी, उसके बारे में सवाल उठाया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो लोग पकड़े भी गये कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीतापुर में एक अधिशासी अभियन्ता थे उनके खिलाफ कितने आरोप थे। वह गोंडा जिले में रहे वहां के आरोप हैं बदायूं में रहे वहां के आरोप हैं, कोई कार्यवाही नहीं हुई। वजीरनगर में न जाने कितना माल उठ कर चोरी में चला गया। विधान सभा में जब सवाल किया तो उत्तर मिला कि उसकी जांच की जा रही है। प्रागदर्शन में पता चल गया है, यह पता चल गया है कि कौन इंजीनियर ड्यूटी पर था। काम दूसरी साइड में हो रहा है गांव में स्टोर बनाने की क्या जरूरत थी ?

(इस समय 2 बजकर 59 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

विद्युत व्यवस्था से सम्बन्धित राज्याध्यक्ष कमेटी ने सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने की सिफारिश की है विद्युत परिषद् की ओर से प्रोपेगेंडा जारी कर दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि तीन महीने तक ग्रामीण विद्युतीकरण सब रोक दिये जाय। इस समय जितने भी कर्मचारी हैं सब को पैसा वसूल करने में लगा दिया जाय। जो छोटे-छोटे उपभोक्ता हैं उनकी बिजली काटी जा रही है लेकिन बड़ों से बिजली का बकाया नहीं वसूल किया जा रहा है। सरकार ने एक नया रास्ता और निकाल लिया। बोर्ड दो टुकड़ों में बांट दिया जायगा। जनरेशन किसी को दिया जायगा और डिस्ट्रीब्युशन किसी और को दिया जायगा। यह सब जनता को गुमराह करने की बात है।

(3 बजे अपराह्न)

कर्मचारी वही रहेंगे। दो में और परेशानी हो जायगी। अनियमितताएं और विलम्ब और बढ़ेंगे। इसीलिए बोर्ड के बहुत से अभियन्ता इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक बोर्ड अपनी व्यवस्था में सुधार नहीं करता, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता, उत्पादन लागत कम नहीं की जाती, खर्चा कम नहीं किया जाता, इसका पूरा प्रयास करने के बाद असफलता मिलती तो इसके विभाजन पर विचार किया जाता। बिजली के रेट बढ़ाने का मैं विरोध करता हूं और सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जो रेट आज के हैं, उनमें बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ हमदर्दी का व्यवहार किया गया है। जो लोग केवल लाइट और फैन के लिए बिजली लेते हैं उन पर भार ज्यादा पड़ गया है। इसके अतिरिक्त जो मिनिमम चार्ज हैं यह भी एक अजीब बला है। आप कृपा करके यह न करें। महीने के आखिर में इतना तो किराया आपको देना ही पड़ेगा। एक दिन विधान सभा में यह मामला उठाया था

कि काश्तकारों पर मिनिमम चार्ज समाप्त कर दिया जाय जो सिंचाई के लिए बिजली लेते हैं। यह भी कहा गया था कि जितना मिनिमम चार्ज लिया जाता है उतनी बिजली दे दें। उस समय के विद्युत मंत्री ने कहा था, आंकड़ दिये थे, कि दो घंटे 40 मिनट बिजली मिल जाय तो शायद पूरा हो जायेगा। इधर और उधर के सभी भाई जानते हैं।

आज जो हमारे छोटे-छोटे उद्यमी हैं उनको बिजली कितनी मिल रही है। वह भी मजबूरी में जलाते हैं लेकिन बिजली नहीं दे रहे हैं। उनसे हमें बिजली का चार्ज लेने का अधिकार क्या है? कोई अधिकार नहीं है। इन शब्दों के साथ में इस कदम का विरोध करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि जब तक स्थिति ठीक न कर ली जाये तब तक किसी तरह से रेट को बढ़ाने का औचित्य स्वीकार नहीं करना चाहिए।

**विद्युत मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, यह चर्चा अभी हाल ही में जो विद्युत की दरें बढ़ाई गयी हैं, उसके सम्बन्ध में है। मैं कुछ बुनियादी तथ्यों की ओर प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा ताकि माननीय सदस्य उन तथ्यों पर विचार कर सकें और उसके बाद अगर आपने अवसर प्रदान किया तो माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी बात के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा।

मान्यवर, मेरे से पूर्व माननीय गुप्ता जी ने इस चर्चा को प्रारम्भ करते हुए कुछ बातें कहीं। उन्होंने बोर्ड के भारी खर्च का जिक्र किया और उसकी अकुशलता का भी जिक्र किया कि मियाद का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और यह भी कहा कि निजी संस्थानों में कुशलता से हो रहा है तो सही कहा है उन्होंने। मान्यवर, 1975-76 में जब यहां कांग्रेस की सरकार थी और माननीय नारायण दत्त जी तिवारी मुख्य मन्त्री थे, यहाँ के जितने बिजलीघर थे उनकी सब की क्षमता का 88 प्रतिशत का उपयोग हो रहा था। किसी प्रकार की कटौती नहीं थी। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, उसके बाद ऐसी सरकार आयी, इस प्रकार का शासन हुआ कि जो कि अपने 3 साल में इसको 88 फीसदी से घटाकर 42 फीसदी पर ले आये, 38 फीसदी तक ले आये। मैं इस बात में माननीय गुप्ता जी से सहमत हूं कि अगर उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं होगा तो लाजमीतौर पर पैदा होने वाली चीजों के दाम बढ़ जायेंगे। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दरें बढ़ने का मामला है यह कोई नई बात नहीं है। जून, 1979 में विद्युत दरों का पुनरीक्षण हुआ। इसके पहले भी पुनरीक्षण हुए थे। दो दफा पुनरीक्षण हुए थे और उस समय आज जो दरें बढ़ी हैं उससे ज्यादा बढ़ी थी। विद्युत विभाग ने 1968 से सामान्य दरें लागू की थीं। 1972 में रिवीजन किया था, 74 में किया था, 76 में किया था और फिर 78, 79 में पुनरीक्षण किया। पिछले तीन वर्षों में 78 और 79 में दो बार रिवीजन किया था। इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट में प्राविधान किया गया था कि बिजली विभाग पहले की दरों में इस प्रकार परिवर्तन करेगा कि 3 प्रतिशत प्रति लाभ हो। प्रति लाभ तो होना दूर रहा घाटा बढ़ता जा रहा है। हमारी चेष्टा यह है कि हम घाटे को कम करें। हम लाभ का दावा नहीं कर सकते कि हम लाभ की स्थिति कितने दिनों में ला पायेंगे। हमारे पास संसाधनों का सवाल।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्म दत्त---]

घाटे को कम करने का प्रयास कर रहे हैं । चार-पांच कारण हैं जिनकी वजह से बिजली की दरें बढ़ानी पड़ीं । कोयले का मूल्य बढ़ने से 16 करोड़ का प्रभाव पढ़ा, तेल का मूल्य बढ़ने से पौने पांच करोड़ का प्रभाव पड़ा, डीजल के दाम बढ़ने से 14 करोड़ का प्रभाव पड़ा पिछले शासन ने एक कमेटी बनाई थी जिसने कुछ सिफारिशें की हैं । उनमें 4.75 करोड़ की वृद्धि हमारे खर्च में हुई है । जो दरें बढ़ाई गयीं हैं उनसे केवल 21 करोड़ रुपये बढ़ेगा और इसमें भी हमने ख्याल रखा है कि किसानों पर इसका प्रभाव न पड़े । राजकीय नलकूपों की दरों में वृद्धि नहीं की, व्यक्तिगत नलकूपों की दरों में वृद्धि नहीं की । समाज के कमजोर वर्ग के लिए कनेक्शन में वृद्धि नहीं की । इस प्रकार 27 करोड़ रुपये का भार हमारे ऊपर है । इस पर चर्चा जरूर स्वीकार हो लेकिन अगर चर्चा इस प्रकार की हो कि वास्तव में विद्युत विभाग में किस प्रकार से कुशलता लायी जाये तो अधिक उपयोगी होती । अगर कुशलता लाने के लिए विद्युत उत्पादन और वितरण अलग करने की चेष्टा की जाये तो उसका विरोध होता है । अगर हम भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें तो उनका संरक्षण करने की बात ले लेकर आते हैं, दबाव पड़ता है । दोनों तरफ से पड़ता है । मैं उसका भुक्तभोगी हूं क्योंकि गुप्ता जी ने ये बात कही । सामान्य बात है । मैं समझता हूं कि जो भी बात हो, द्वेषपूर्ण बात नहीं होनी चाहिये, कलह वाली बात नहीं होनी चाहिये । बल्कि सोचना चाहिये कि इसका निराकरण क्या है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि दरों के बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है । काम तो इस बात से चलेगा कि जितना रुपया वहां लगा है, और जो इस्टेट क्रियेट कर रहे हैं, उसका अधिकतम उपयोग हम करें । पिछले तीन सालों में जो कुछ हुआ, उससे सभी अवगत हैं । वह हुआ । उसके सवाल में मैं नहीं जानना चाहता हूं केवल संकेत मात्र कर देना चाहता हूं । स्थापित क्षमता 58 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक चली गयी । इससे हमको सीख लेना पड़ेगा । मान्यवर, आपके पास भी खेती है और आप भी कृषक हैं । आपने देखा कि न डीजल मिला और न बिजली मिली । यह हालत हुयी । सूखा पड़ गया और उसका प्रभाव यह पड़ा कि हमारे जलाशयों में भी पानी कम हो गया और हमारे जो ताप विद्युतगृह थे, उनकी मरम्मत न हो सकी । हमारी सरकार तो 9 जून को बनी और अभी पिछले सप्ताह हमने विद्युत विभाग का भार ग्रहण किया । मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत भारी जिम्मेदारी मेरे लिये है । लेकिन मैं चाहता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, इस बात के लिये हम सभी का सहयोग चाहते हैं ताकि इस विभाग में जो सुधार किया जा सकता है, वह किया जाय । मैं इसके बारे में संकेत मात्र देना चाहता हूं कि प्रकृति भी हमारा कुछ साथ दे रही है कि जहां एक ओर भीषण बाढ़ के प्रकोप से हानि उठानी पड़ी और जिसके कारण हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, वहीं पर हमारे रिहन्द जलाशय और रामगंगा जलाशय लगभग भरने के नजदीक हैं और इस तरह से हमें मौका मिलेगा कि हम जिन ताप विद्युत गृहों के स्पेयर का मौका नहीं था, उनकी मरम्मत करा पायेंगे । जो बड़े-बड़े पावर कम्प्लेक्स हैं, जहां हमारे बड़े-बड़े विद्युतगृह स्थित हैं, उनमें से एक जमुना जल विद्युत योजना भी है जहां कि मेरा जन्म स्थान है । उस परियोजना को, मान्यवर, बनते हुये हमने शुरू से देखा है । वहां की एक-एक पावर हाउस की मशीन को देखा है ।

मान्यवर, मैंने वहां के सारे मजदूरों से लेकर चीफ इन्जीनियर तक से बात किया और उनकी कठिनाइयों को समझा । उसके बाद पनकी पावर हाउस को देखा । मैंने देखा कि वहां पर कुछ मशीनें उनके पास हैं लेकिन उनके पास कुछ स्पेयरपार्टस

कि कभी है । हम इसके लिये भी व्यवस्था कर रहे हैं और एक अधिकारी हमारा दिल्ली में रहेगा विद्युत परिषद का जो वहां रोज कोयले की पोजीशन को देखेगा और उसके बारे में क्या स्थिति है, उसको भेजता रहेगा तथा स्पेयर पार्ट्स की स्थिति के बारे में भी अवगत करायगा । मान्यवर, हमने ओबरा और रिहन्द को भी देखा । मान्यवर, ये सब बातें इसलिये कह रहा हूं कि इनकी मरम्मत करके अगर हम स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 38 प्रतीशत से 50 प्रतिशत ले आयें तो अगर इसके कारण हम 10,000से 11,000 मिलियन यूनिट पैदा कर पाय तो हमको 25 करोड़ रुपये बगैर दर बढ़ाये बिल जायेंगे और भी व्यय में हम यह चेष्टा कर रहे हैं कि सारे प्रदेश में अलग-अलग डिवीजन में एक लाप विद्युत् गृह हों ताकि लाइन-वाश कम हो । लाइन-वाश कम करने के लिये चेष्टा कर रहे हैं और जो इन्डिकेटर्स वगैरह की चोरियां होती है, जिसके बारे में, मान्यवर, आप अवगत हैं, उसके लिये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि चोरियां कम हों । मान्यवर, ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से दरों को बढ़ाया गया है । हम चाहते हैं जो 48 करोड़ की हानि होती है, वह न हो । मान्यवर, भविष्य में हम जो कुछ करने जा रहे हैं, उसमें 290 करोड़ रुपये हमने प्रादेसिक योजना में रखा है । लखनऊ, टेहरी और उत्तर काशी में हमारी योजनायें चल रही हैं । टाण्डा, नानपारा आदि के लिये हमें संसाधन जुटाने हैं । केन्द्र सरकार इसको भी देखती है कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि नहीं । हम इस बात से सहमत हैं कि दरों को बढ़ाकर हम घाटे को पूरा नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, दर बढ़ाकर भी हम 21 करोड़ रुपये तक कर पाये हैं जबकि हमारे ऊपर 48 करोड़ रुपये का व्यय भार बढ़ा है । हमें अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करना है । अभी तक जितनी भी समितियां विद्युत परिषद् में कार्य कुशलता लाने के सम्बन्ध में बनी हैं, चाहे वह घनानंद पाण्डेय की समिति हो, सबने यही कहा है कि उत्पादन और वितरण का कार्य अलग अलग होना चाहिये । इस दिशा में हमने एक छोटा सा कदम बढ़ाया है और इसके बारे में बड़ी-बड़ी आशंकाय पैदा की जा रही हैं, बड़ी बड़ी आशंकायें पैदा हो रही हैं । मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्थ करना चाहता हूं और विद्युत परिषद् के समस्त कर्मचारियों को आश्वस्थ करना चाहता है कि अगर हमें आम खाना है पेड़ नहीं गिनना है, हमारा उद्देश्य विद्युत उत्पादन को बढ़ाना है और इस मामले में जो उनकी सेवा शर्तें हैं उनके हितों की किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी । मैं इस सदन के माध्यम से उनका आह्वान करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों का आह्वान करना चाहता हूं कि इस मामले के वह हमारा सहयोग करें ताकि हम बिजली की पैदावार बढ़ा सकें और बिजली की कीमतों को कम कर सकें ताकि दोबारा ऐसी नौबत न आये जो तीन चार साल से आ रही है।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी दलील दी है और दलीलें देते देते इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 48 करोड़ रुपये में 21 करोड़ रुपये तक पहुंच पायेंगे । यह भी मंत्री जी ने कहा कि परिषद् को दो जगह बांटने जा रहे हैं । मिसाल है जब एक जगह खाते खाते आदमी का पेट भर जाय तो फिर दूसरी जगह दी जाय । यह सही है, इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड में जितने भी लाइन मैन से लेकर चीफ इंजीनियर तक जो हैं उनका पेट खाते खाते अफर गया है । दो करोड़ रुपये के लगभग मकरूज बिजली बोर्ड है । मुझे अच्छी तरह से याद है सन् 71 में जब नारायण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन--]

दत्त तिवारी यहां बिजली मंत्री थे मैं भी बदकिस्मती से उधर बैठता था तो उस वक्त 163 करोड़ रुपये का बिजली बोर्ड मकरूज था। उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं कि यह 163 करोड़ रुपयों का या 200 करोड़ रुपयों का घाटा नहीं है। वह केवल मिसप्लेसमेंट आफ दैट एमाउंट है। वह गलत जगह पर रखा गया है। आपकी ट्रेजरी में जाने बजाय वह बिजली बोर्ड के लाइनमैन से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जेबों में चला गया है। अगर आपमें हिम्मत हो तो उनको जेब से निकाल लीजिये। जब आपके विभाग में लाइन मैन, एसिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के पद पर कोई व्यक्ति आता है तो उस वक्त उसकी क्या हालत होती है और नौकरी करने के 10 साल के बाद क्या हालत होती है? इस बात से आपको अंदाजा हो जायगा कि 200 करोड़ रुपयों में उसका कितना हिस्सा आया है। फियेंट कार भी आयी उसी पैसे से कुत्ता दूध भी पीने लगा, टेलीविजन लग गया, चार चार और पांच पांच हजार की कालीनें भी हो गयीं, फ्रिज भी उसके वहां लग जाता है। यह उसी एमाउंट से लगता है, आप कुछ हिम्मत दिखाइये और रुपया निकालें। जहां तक इस महकमे की बात है जैसे अंग्रेजी के जमाने में रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, ए0 डी0 एम0, तहसीलदार, कानूनगो उसी तरह से यहां भी हाल है। जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन मेंटीनेंस, सप्लाई, रिकवरी। मैंने एक दफे और कहा था कि आप जगह जगह कालोनी न बनाकर एक कालोनी बना दें तो कम से कम जो कंज्यूमर होगा उसको रिक्शो पर बैठकर तीन चार मील नहीं जाना पड़ेगा: जब कचेहरी एक जगह बन सकती है तो यह भी मुमकिन है। एक चीज की तरफ मैं और आपका ध्यान दिलाऊंगा कि इनका महकमा एक चीज में बड़ा तेज है और वह है कि जो औसत दर्जे के कंज्यूमर्स हैं उनसे रिकवरी करने में। उसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं जिसको सुनकर आपको मान्यवर, और सदन को भी ताज्जुब होगा। लखनऊ में ही लेसू है उसमें राम सागर मिश्र हाऊसिंग कालोनी में मकान न0 डी-2050 जिसमें सूरेश पाल अग्रवाल रहते हैं उन्होंने कनेक्शन के लिए एप्लाई किया है, अभी कनेक्शन उनको नहीं मिला है किन्तु रिकवरी के लिये उनके पास नोटिस पहुंच गया कि 60 रुपये जमा करो नहीं तो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जायेगा। अगस्त के मध्य में नोटिस उनको मिली है। इससे जाहिर है कि आप रिकवरी में तेज हैं। लेकिन जहां काम करने की जरूरत है वहां पीछे हैं जैसे रेल्वे स्टेशनों पर न मालूम कितना तार पड़ा सड़ रहा है, ट्रान्सफारमर पड़े सड़ रहे हैं और न मालूम कितना उनका डैमरेज आप दे रहे हैं। और उसको आप छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो एक तरफ एक-एक जिले में एक एक हजार कनेक्शन मंजूर हैं लेकिन ट्रान्सफारमर और केबल नहीं है इसलिए कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं किन्तु दूसरी तरफ तार और ट्रान्स-फारमर पड़े सड़ रहे हैं। यह आपके विभाग की इफीशिन्सी है। इसलिए यदि आपको इस विभाग में इफीशिएन्सी लाना है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, तो जो सामानों की चोरियां होती हैं, ट्रान्समीशन लासेस, जो आपके यहां इंडिया भर से सबसे ज्यादा हैं, ट्रान्सफारमर जो आपके यहां सबसे ज्यादा खराब होते हैं इनको रोकना होगा।

इफीशिएन्सी के बारे में मान्यवर, मैं अपनी एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। तीन एकड़ का मेरा एक चक है, गांव सक्तू नगला, ब्लाक मौंडा, तहसील और जिला मुरादाबाद में मेरा, रियासत हुसैन, एम0 एल0 ए0, एक तीन एकड़ का चक है। वहां एडेट का ट्यूबवेल है। डीप क्लास और हाईर डिस्चार्ज का ट्यूबवेल वह है। लेकिन बिजली की बदौलत वह 3 एकड़ का चक 4 दिन में भर गया, अभी इसी साल धान की फसल में। यह इसलिए हुआ कि कभी रात

का ट्रिप एक घंटे का हुआ और बिजली चली गयी। फिर दो घंटे आई, ट्रिप हो गया। पानी जबतक खेत में पहुंचे कि फिर ट्रिप हो गया और टयूबवेल बंद। कभी बिजली आयी कि एक घंटे बाद फिर एक फ्यूज उड़ गया और कभी दोनों फेज उड़ गये। इस तरह 4 दिन में 3 एकड़ जमीन भरी गयी। जब यह हालत एम० एल० ए० की जमीन का है तो साधारण आदमी की वह जमीन 8 महीने में भरी जायेगा यह भी ताजुब होगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं है। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि बिजली का उपयोग हो क्योंकि आज जिंदगी में बिजली के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है और बिजली न हो तो खाना भी नहीं बनेगा। तो बिजली का बहुत महत्व है। गांव-गांव में आप देखें तो खंभे खड़े हैं लेकिन बिजली नहीं है। पूछने पर कहा जाता है कि दफ्तर चन्दौसी चला गया और एक महीने बाद जो खंभे खड़े हैं उनको बिजली दी जायेगी। फिर कहा जाता है साहब तार नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे कि स्टेट ट्यूबवेल डिवीजन, मुरादाबाद के ट्यूबवेल और जो निगम के ट्यूबवेल लगे हुये हैं उन के लिए रुपया एडवान्स में जमा कर दिया है बिजली वालों के पास। ट्यूबवेल बोर हो गये हैं। सिर्फ बिजली की वजह से मेरा ख्याल है कि तीन साल तक ये ट्यूबवेल नहीं चल सके। निगम के ऊपर कितना इन्ट्रस्ट चढ़ जायगा। क्या आप एडीशनल कोई इन्ट्रस्ट देंगे? नहीं देंगे। इस के मान यह हुये कि जो वर्ल्ड बैंक से रुपया आया है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उससे अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो आप के प्रदेश की क्या प्रतिष्ठा होगी। आप की कमजोरी की वजह से ये जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम है इस का सत्यानाश होने वाला है। इस तरफ जरा ध्यान दें कि किस प्रकार इसको ठीक करेंगे।

श्रीमन्, मैं अब ज्यादा इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि बिजली विभाग के सम्बन्ध में कमेन्ट्री होती रहेंगी, बार बार यह मसला आता रहता है। मंत्री जी बदलते रहेंगे, बड़े बड़े ताकतवर मंत्री जी आते रहेंगे और वे कहीं इस बिजली से शाक न लग जाय, कहीं इंजीनियरों का शाक न लग जाय, इंजीनियरों की खिलाफ कोई कार्यवाही करने में संकोच करेंगे। यह बड़ा अहम मसला है इस बात पर गंभीरता से सोचिये। हिन्दुस्तान के अंदर रेलवे को छोड़ कर आप की अन्डर टेकिंग नम्बर दो की अन्डर टेकिंग है। इतना रुपया इस में लगा हुआ है। 200,400 से बढ़ा कर 600 करोड़ तक इस की लिमिट करते जा रहे हैं और उसी हिसाब से सालाना नुकशान भी बढ़ता जायगा।

एक बात कह कर समाप्त करूंगा। श्रीमन् गरीबी हटाने की बात कही गयी है। इंदिरा गांधी गरीबी हटाने का नारा दे कर इलैक्शन जीत गई। गरीबी इस देश की नहीं हटेगी जब तक आप गरीबी को हटाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस देश के अमीरों को समाप्य करने का कार्यक्रम नहीं चलायेंगे। अगर आप सिनसियरली देश से गरीबी हटाने के लिए इस देश के लोग रिश्वत, भ्रष्टाचार के तरीकों से अमीर बने हैं उस अमीरी को समाप्त करते हैं तब जा कर के गरीबी हटाने की बात होगी। इस नाम के सब से ज्यादा टाप क्लास के अधिकारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मिलेंगे। आप ने एक बात कही कि दबाव बेशक पड़ता है। मैं सन् 1962 से असेम्बली में हूं। आज तक मैंने आपके शक्ति भवन को नहीं देखा है। सुना है बहुत एयर कन्डीशन्ड है।

श्री ब्रह्म दत्त--

कभी दिखाऊंगा मेरे साथ चलिएगा।

श्री रियासत हुसेन—

खुदा न दिखलाए । मैं मानता हूं कि शायद दुनिया में वह आराम, ऐश, कहां मिलेगा । 60 फीसदी आदमी गरीबी की रेखा से नीचे हैं और जहन्नुम है आप का शक्ति भवन । जहन्नुम तो मुझे जाने का शौक है नहीं, जन्नत में जाना चाहता हूं । किस तरह शक्ति भवन में बिजली का दुरुपयोग होता है जिस का असर पड़ता है गरीब किसान पर । मैं खुद भुक्तभोगी हूं ।

मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

* श्री गोपी नाथ वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् मैं विद्युत् विभाग के घोर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करते हुए पूरे प्रदेश में जो विद्युत् बोर्ड की धांधलेबाजी और घपलेबाजी चल रही है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । श्रीमन् पूरे प्रदेश में थरमल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, टांडा, आनपारा, ओबर, आठ स्थानों पर । श्रीमन् इन प्रोजेक्टों के अन्दर जितनी भी धांधलेबाजी चल रही है उसके सम्बन्ध में हमने मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को दिया है कि इस सम्बन्ध में आप जानकारी कर लें और फिर आप कोई ठोस कार्यवाही कर जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके । कई दफा निवेदन करने के बावजूद टांडा थर्मल प्रोजक्ट पर जो चीफ इंजीनियर हैं उनको पहले ट्रांसफर किया गया लेकिन एक सप्ताह में ही उनका ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया । एक सप्ताह बाद ऐसी कौन सी अच्छाई उनमें पैदा हो गयी जो उनका ट्रांसफर निरस्त कर दिया ? वहां पर 4 लाख रुपये का घोटाला किया गया है । उसे दबाने के लिए ही माननीय मंत्री जी ने चीफ इंजीनियर का ट्रांसफर रोक दिया जिससे वहां रह कर वह उस घोटाले को दबा सकें । उस घोटाले में एक माननीय सदस्य भी हैं जिन्होंने उस ट्रांसफर को रुकवाया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी आप विषय पर बोलें । व्यक्तिगत आक्षेप न करें ।

श्री ब्रह्म दत्त—

मैंने किसी का ट्रान्सफर नहीं रोका ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

रोका नहीं तो कैसे रुका ।

श्री ब्रह्म दत्त—

आपकी कल्पना है । वैसे नाम बतलाइये ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

रमेश चन्द्र अग्रवाल हैं । हमारे यहां विद्युत् विभाग में घोर अनियमितताएं चल रही हैं । सबसे बड़ी घपलेबाजी यह हो रही है कि उनके आफिस से जो बिल बनाये जाते हैं वह बढ़ाकर बनाए जाते हैं जैसे 400 रुपये का उपभोक्ता का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बिल होना चाहिए लेकिन वह 800 रुपये का बना दिया जाता है। जब उपभोक्ता क्लर्क के पास जाता है तो क्लर्क कहता है कि इतना उसे दे दिया जाय तो ठीक कर दिया जायगा। आखिर में ले दे कर उसे ठीक कर दिया जाता है। इस तरह से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाय जैसे क्लर्क को 100 बिल तैयार करने में 5 बिल तक गलत तैयार करने के लिए माफ कर दिया जाय लेकिन अगर उससे ज्यादा वह गलती करे तो उस क्लर्क से उतनी धनराशि वसूल कर ली जाय जितनी उसने गलती से उपभोक्ता से मांग की है। टांडा में ग्रामीण क्षेत्र में 300 बुनकर पावर लूम लगाये हुए हैं। ढाई सौ नलकूप वहां हैं। उनको बिजली रूरल लाइन से मिलती है जो केवल डेढ़ दो घंटे ही दी जाती है और चार्ज वहां पर उनसे वह लिया जाता है जो 24 घंटे बिजली उनको दी जाती। इस गैप को देखा जायगा इसे दुरुस्त किया जाय। इसके अलावा टांडा में लगभग 5,000 कनेक्शंस चल रहे हैं। बुनकरों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मिनिमम गारन्टी के नाम पर अवैध तरीके से उनसे वसूली की जाती है। 200 बिजली कनेक्शन्स उनके काट दिए गए और 300 कनेक्शन्स के लिए काटने की कार्यवाही चल रही है। यह गड़बड़ी वहां चल रही है इसको ठीक किया जाय। इसका नतीजा यह है कि 7,000 बुनकर टांडा क्षेत्र में भूखों मर रहे हैं। इन 7 हजार बुनकर परिवारों को छूट दी जाय और डेढ़ दो महीने के बाद कार्यवाही करें। तब तक के लिए उनके कनेक्शन्स काटने से रोका जाय जबतक कि पूरी जानकारी न कर ली जाय।

* श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, आपने मुझे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का जो चर्चा का विषय था बिजली की दरों में विद्युत् परिषद् द्वारा बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में, उस पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, हमारी सरकार को आये हुये अभी थोड़ा ही समय आया है और उसके ऊपर इतना बड़ा भार पिछली सरकार ने छोड़ रखा है उसको अदा करने के लिये हमारे ऊपर एक ऐसा बोझ आन पड़ा है जिसको बहुत ही कठनाई के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ सम्भालना पड़ रहा है। मान्यवर, जहां तक बिजली की दर में वृद्धि का सवाल है उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां बिजली की चोरी बहुत होती है। हालांकि जिस तरह से बिजली सप्लाई की जाती है उसके आंकड़े रहते हैं कि कितनी बिजली उपभोक्ताओं को भेजी जा रही है और कितनी बिजली की खपत का पैसा प्राप्त हो रहा है। मान्यवर, अन्दाज यह है और इसे मंत्री जी भी जानते होंगे कि शायद 60 प्रतिशत बिजली के ही पैसे आ रहे होंगे और 40 प्रतिशत बिजली का पैसा नहीं आ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि माननीय प्रस्तावक महोदय गुप्ता जी ने ही कहा है कि लाइनमैन से लेकर चीफ इंजीनीयर तक घोटाले का रुपया कमाकर लखपति हो गये हैं लेकिन वे यह बताना भूल गये कि उन्हीं के काल में जो बिजली मंत्री थे जो ठेकेदारी किया करते थे और बाद में मंत्री होने पर करोड़पति हो गये।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आदमी सदन में नहीं है उसके विषय में सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा---

मान्यवर, चीफ इंजीनियर का जिक्र किया गया था सीतापुर के थे, इस सदन में भी नहीं थे उसके मुकाबले में इनके शासन काल के एक सचिव की बात मैं कहना चाहता हूं जो हमारे शासन काल में लखपति हुए लेकिन इनके शासनकाल में कराड़पति हो गये। विद्युत परिषद के सचिव। अब मान्यवर, मैं बिजली की दर कम करने के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि बिजली की दर को कम करने में मंत्री जी कठोरता करें इसके साथ ही एक छोटा सा सुझाव यह भी है कि जैसा मंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो रिजर्वायर्स हैं उनमें पानी बहुत भर गया है और वह उच्चतर सीमा तक पहुंच गया है। उनको यह सूचना हो सकती है कि अधिकारियों ने दी है कि उनके रिजर्वायर्स ऊपर तक पहुंच गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए एक सिल्टिंग मशीन होती है जिसको ड्रेजर कहते हैं। शायद यह मशीन हमारे यहां कम होगी। सिल्टिंग के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि उसका प्रयोग नहीं किया गया है। जब रिजर्वायर्स का थल स्तर ऊंचे पर होता है तो उससे बाद में परेशानी हो जाती है। इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक सुझाव यह है कि हमारे देश के अन्दर एक बहुत बड़ा बिजली का काम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। एटामिक प्रोजेक्ट और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर खराबी आ जाती है तो सारी मशीनरी फेल हो जाती है। मान्यवर, हमारे एक मित्र अफगानिस्तान गए हुए थे उन्होंने वहां की सप्लाई प्रणाली को देखा। वह प्रणाली यहां भी अपनाई जाय तो वह कारगर हो सकती है। वहां पर जो नहरें होती हैं उनका स्तर ऊंचा कर देते हैं और थोड़ी-थोड़ी दूरी के ऊपर वाटर फाल से गिरकर उसके द्वारा बिजली सप्लाई करते हैं। उस तरह से यहां भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मजदूरी आदि की कीमत भी यहाँ पर बढ़ गई हैं, सामान को लाने और ले जाने की कीमत भी बढ़ गई है। इसलिए बिजली की दर में वृद्धि हो जाना स्वाभाविक है। किन्तु जो हमारा मीटर सिस्टम है वह बहुत फूलप्रूफ सिस्टम नहीं है। इंगलैंड में एक लन्डन इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है उसका सिस्टम है कि वहां पर पैसा डाला जाता है मीटर में जितना पैसा डाला जायेगा उतनी बिजली सप्लाई होगी। जब कि हमारे यहां जो लाईनमन है या बिजली के जो ठेकेदार हैं वह मीटर में छोटा सा तार लगा देते हैं बिना पैसे के बिजली जलाते हैं। हमारे इंजीनियर साहब बताते हैं कि हमने इतनी बिजली भेज दी किन्तु जो फैक्ट्री वाले हैं या कोल्ड स्टोरेज वाले हैं चाहे मोदी साहब हों या दूसरे उनका इतना बिल नहीं आता है जितना आना चाहिए। अन्त में मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, आपने मुझे बिजली की दर में वृद्धि के विषय में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बहस इस सदन में लगातार चलती है और परिणाम कुछ नहीं निकलता है वजह यह है कि चाहे कोई सरकार हो इधर बैठने वालों की या उधर बैठने वालों की उन्होंने यहां बिजली बनाने और उसे चलाने के लिए कुछ नहीं किया। बिजली की कमी बनी रही। मुझे याद है परिषद् में एक सवाल आया था 1979 में जिसमें बताया गया कि 30-11-78 को रेनूसागर जो प्राईवेट है उसमें कितनी बिजली बनाई गई और सरकार ने कितनी बिजली बनाई। उस दिन जो बिजली बनी वह आंकड़े आंखें

बोलने वाले हैं। रेनुसागर की सवा सौ मेगावाट की कंपिसिटी है, उसने तीन मिलियन यूनिट से अधिक बिजली बनाई जब कि सरकार की क्षमता साढ़े 28 सौ मेघावाट की थी उसने 27 मिलियन यूनिट बिजली बनाई। यानी सरकार के प्रोजेक्ट 40 परसेन्ट पर चल रहे हैं जिसमें थरमल 35 परसेंट पर और हाईडिल 45 परसेन्ट पर। जब कि उसमें रेनुसागर के अनुपात में लगभग दूने आदमी लगे हैं, रेनुसागर में इनसे आधे मजदूर काम करते हैं। यह सरकार बराबर मतदाताओं को कहा करती है कि हम बिजली के उत्पादन पर बहुत जोर दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय वर्मा जी, आप अपना भाषण रोकें, कोरम नहीं है।

(कोरम की घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, सरकार का उत्पादन 40 परसेन्ट है जबकि लागत लगी हुई है। 100 परसेन्ट और रेनुसागर वालों का उत्पादन ज्यादा और लागत कम। ऐसी हालत में निश्चित रूप से बिजली की दरों का बढ़ना स्वाभाविक हो जायेगा। सरकार यह कहेगी कि चीजें कुछ मंहगी हो गयी हैं लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि सारा सदन ध्यान इस बात पर केन्द्रित करे कि मंत्री जी सरकारी करण करने के बजाए समाजीकरण शुरू करें। उन्होंने यह अनुभव किया कि विद्युत् उत्पादन को उससे अलग कर दिया अब इसमें हड़ताल होगी और विद्युत् उत्पादन और गिरेगा। अब समाजीकरण ही इस देश के सामने एक मात्र रास्ता है। इसमें तीन हित होते हैं---उत्पादक का, फाइनेन्सर का और तीसरे उपभोक्ता का। तीन पार्टियां बिजली में हैं। अब इसमें उपभोक्ताओं के आदमी ले लिए जायें, सरकार के आदमी हो जायें, क्योंकि उनका पैसा लगा है और फिर इंजीनियर श्रेणी के व अन्य वर्गों के एक एक प्रतिनिधि हो जायें। तीनों प्रकार के लोगों के बराबर-बराबर संख्या में लोग उसमें हो जाएं, तीनों का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाए। यदि अब सरकार यह शर्त लगावे कि हम इसको चलवाना चाहते हैं, इंजीनियरों आदि उत्पादकों से कहे कि आप मालिक हैं आप अपने बारे में नियम कायदे और वेतन भत्ते की शर्तें निर्धारित कर लें, लेकिन सरकार की जितनी लागत आती है उस पर मय ब्याज के उतना उत्पादन अवश्य होना चाहिये अधिक मुनाफा होने पर वह उनके व सरकार के बीच बटेगा और उपभोक्ताओं की बिजली में कटौती व बाधा नहीं होनी चाहिए उन्हें नियमित रूप से बिजली सस्ती मिलना चाहिए। उनके लिए आप सारे नियम बनाते हैं, इंजीनियर लोग मंत्रियों से कहते हैं कि आपने वायदा किया था, उससे मुकर गये, इसलिए हम हड़ताल करते हैं। उनकी हड़ताल से जनता को भारी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। इसलिये मैं चाहूंगा मंत्री जी इन तीन हितों के आधार पर समाजी करण करें। इस व्यवस्था में हड़ताल समाप्त हो जायेगी। हड़ताल तो तब होती है जब उनका आप हित नहीं देखते हैं या उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थोपते हैं। हजारों उदाहरण पड़े हैं, मशीन बिगड़ जाती है कोई परवाह नहीं, लाखों-करोड़ों रुपये की मशीन जरा सी लापरवाही से खराब हो जाती है करोड़ों रुपये की मशीनें और पुर्जे पड़े बेकार हो रहे हैं। आप उनको बता दीजिये और तीनों हितों की संख्या बराबर दे दीजिये, आप कहिये बिजली आप पैदा करिये, लेकिन इतने से कम मुनाफा सरकार

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

का किसी हालत में नहीं होना चाहिये । रेनूसागर में इससे कम कर्मचारी हैं, हमारे यहां उनसे करीब दुगुने कर्मचारी हैं । लेकिन रेणूसागर 100 प्रतिशत क्षमता पर चल रहा है और इनका 40 प्रतिशत पर चल रहा है । अब यह कहते हैं कि हमारा घाटा हो रहा है, इसलिए हम टैक्स लगायेंगे । सरकार अपना पसा बचाने के लिए उपभोक्ताओं के हित का नाश किये जा रही है । आखिर उनके रिप्रेजेन्ट करने वाला भी तो वहां कोई होना चाहिए । बिजली का सरकारीकरण है और हम लोग मजबूर हैं बोझ बरदाश्त करने के लिए, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है वरना बिजली ही बन्द कर दें । इसलिए यदि आप स्थायी रूप से हड़तालों को बन्द करना चाहते हैं, तो इसको कीजिए । मौका होता तो हम देश और विदेशों के कई उदाहरण दे सकते थे, जहां पर इसे प्रयोग किया गया और व्यवस्था सफल रही है । फिर भी इसका एक ही उदाहरण रेनुसागर वाला यहां काफी है । आपके यहां आदमी ज्यादा है, लेकिन उनकी इफीशियन्सी कुछ नहीं है । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रयोग आप क्यों नहीं करते ? इस अकड़बाजी में क्या रखा है कि हम उनको दबा देंगे ? दबाने से देश नहीं चलेगा । हमारे इन्जीनियर्स भी इसी देश के हैं, उनको भी काम में लगना है । आप उनको जिम्मेदारी दे दीजिए । हमको उनको कहना चाहिए कि तुमको हम यह इन्तजाम देते हैं जो चाहो करो लेकिन हमारी उत्पादन क्षमता 90 प्रतिशत आना चाहिये । और उनको साफ साफ कहना चाहिए कि अगर इतना उत्पादन नहीं होगा तो तुम्हारी तन्ख्वाहें काटी जायेंगी और अगर अधिक उत्पादन होगा तो तुम्हें इतने प्रतिशत तक देंगे । सारी दुनियां में बिजली के सम्प्रेषण में जो लाइन लोसेज होते हैं, हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं । तामिलनाडू में जो कि हमारे देश का ही एक प्रदेश है और जहां पर 5 लाख कनेक्शन हैं 10 प्रतिशत का लास है । हमारी सरकार दावा करती है कि उनके लासेज 22 प्रतिशत हैं लेकिन हमारी जो सूचना है उसके अनुसार यह 32 प्रतिशत है और इसका भार बढ़ रहा है हमारे उपभोक्ताओं पर क्योंकि उनका इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं है । यह कहने के लिए कि तुम नुक्सान कर रहे हो, तो उनका खमयाजा हम क्यों भुगतें । आखिर हमारे उत्पादन का मापदन्ड क्या है ? एक दूसरे पर लांछन आसानी से लगाया जा सकता है, इधर के लोग उधर वालों पर और उधर वाले इधर के लोगों पर लेकिन यहां पर जनता ने दोनों सरकारों को अपदस्थ कर चुकी है और तीसरी अगर कोई अच्छी होगी तो वह आजायेगी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या आप भी इसके लिए प्रत्याशी हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

शोषित समाज दल हमारा दल है जिसके पास सिद्धान्त, वक्तव्य, कार्यक्रम व विधान है और किसी दल के पास नहीं क्योंकि आप तो यथास्थिति वादी हैं । आपको सिद्धान्त लिखने की आवश्यकता नहीं । हमें क्रान्ति करनी है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

हम वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपस में बातें न करें ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बिजली मंत्री का यह भाषण प्रदेश की जनता में रंचमात्र भी विश्वास नहीं करता है कि ये 290 करोड़ रुपया इसी साल लगायेंगे और फिर बिजली की स्थिति बदल जायेगी। मेरा तो यह कहना है कि यह तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि आपका उत्पादन 90 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का होगा। आप इन्जीनियर्स को बाइफरकेट करके नहीं कर सकते हैं। जितने भी हित हैं चाहे वे इन्जीनियर्स हों, चाहे चौकीदार हों उन सबके हितों को आप ले लीजिए और सब का प्रतिनिधित्व ले लीजिए और उतनी ही संख्या में सरकार अपने आदमी ले ले और एक बोर्ड बना दे ताकि सब अपने-अपने हितों की रक्षा कर सकें। और उनसे कहें कि उनकी अन्डरटेकिंग में इतनी बिजली निश्चित रूप से पैदा होगी वे सेन्ट परसन्ट करेंगे और उपभोक्ता प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बराबर उपभोक्ताओं के हितों को देखेंगे और सरकार यह देखेगी कि जितना रुपया इसमें लगा है उसका सूद आदि लगाकर और जो मुनाफा होगा, उसको कैसे बांटे। इस प्रकार से अगर यह व्यवस्था चले तो जनता में विश्वास उत्पन्न हो सकता है नहीं तो वह कहने से काम नहीं चलेगा कि इधर के या उधर के बैठने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें उत्पादन को 90 प्रतिशत तक लाना पड़ेगा।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

परम सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, आज माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के संकल्पों पर दुबारा उनके विरोध में बोलने जा रहा हूं आपके विचारों से तो कुछ सीमा तक मैं सहमति प्रकट करता हूं और बिजली की दर में जो बढ़ोत्तरी हुई है और जिन लोगों से यह वसूली जा रही है उसमें कुछ कमी हो सके तो अच्छी बात है, लेकिन देखने की बात यह है कि यह बढ़ोतरी हुई क्यों? जब इसके पीछे हम जाते हैं और इस पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि आपके गुनाहों के कारण जो आपने पिछले 3 सालों में किये हैं, यह करना पड़ रहा है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार चौधरी चरण सिंह ने चिट्ठी लिखी किसी को बिजली कनेक्शन देने के लिये, उन दिनों जनता पार्टी के ही एक उप घटक के व्यक्ति बिजली मंत्री थे, जब वह व्यक्ति बिजली कनेक्शन के लिये आया, जिसके लिये पत्र लिखा था, तो उससे कहा गया कि तुम किसी जनसंघ या आर० एस० एस० के दफ्तर से पहले लिखा कर लाओ। तो यह होता था आपके जमाने में। बाहर के लोग बार-बार इन्टरफीएरेन्स किया करते थे और उसी का नतीजा यह हुआ कि विद्युत् उत्पादन की क्षमता बराबर गिरती गयी, उत्पादन क्षमता की गिरावट में इनके समय में गुणात्मक वृद्धि होती गयी। उसके आंकड़े भी मंत्री जी ने प्रस्तुत किये, अभी माननीय वर्मा जी स्वतंत्र इन्टरप्राइज की बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उनके समय में यह गिरावट क्यों आयी? फिर उस वक्त क्या कारण था जब आपने 1978 और 1979 में वृद्धि की? 1948 के इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट में, उसकी धारा 49 में, दरों में संशोधन अथवा वृद्धि का अधिकार है और उसी में आगे एक धारा में यह भी प्राविधान है कि अगर वृद्धि की गयी है तो 3 प्रतिशत प्रतिलाभ का भी ध्यान रखा जाये और 20 प्रतिशत योजना व्यय के लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने का प्राविधान बनायें। अगर आपने 1979 में वृद्धि करते वक्त इन बातों की ओर भी ध्यान रखा होता,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

आज यह नौबत न होती । आपकी की गयी गलतियों को इस शासन को भुगतना पड़ रहा है ।

मैं शासन से और माननीय मंत्री जी से कुछ अपेक्षायें भी करता हूं । आप बिजली की दर में बढ़ोतरी तो करें, मगर बिजली की दर में बढ़ोत्तरी जब होती है तो गांव के लोग यह कहते हैं कि बिजली नहीं आती, किसान के ऊपर बिजली गिर जाती है दो महीने के बाद । बिजली जब गिर जाती है किसान पर तो एक लम्बा सा बिल पहुंचता है और बिल ले कर किसान बार-बार उसे देखता है कि क्या यह वही बिजली है जो हमसे आंख मिचौनी करती थी । किसान को जो आपने आज छूट दे रखा है इसके प्रति वह आपका कृतज्ञ है । लेकिन आप बिजली को 24 घंटे की गारंटी कर देते तो उसको बिल देने में कोई तकलीफ न होती । बिजली के दर में चाहे जो बढ़ोतरी करें, लेकिन उसकी लगातार मिलने का जो समय है वह भी निश्चित कर दें । इससे प्रदेश के लोगों का हित होगा । बिजली विभाग में कार्य क्षमता में कमी आ रही है । मान्यवर, मैं जो बात कहना चाहता हूं वह इसलिए कि हमारे इस माननीय सदन के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य हैं और उनसे यह बाहर के लोग यह उम्मीद करते हैं कि आज अपने वाद-विवाद में उन्होंने कौन सा सकारात्मक सुझाव दिये हैं, जिन सुझावों से शासन को लाभ होगा । उनका सुझाव माननीय वर्मा जी का समाजीकरण का, एक हिस्सा का, उचित रूप से एक तर्क है जिस पर शासन को विचार करना है कि क्या व्यवस्था के अन्तर्गत कौन सा चेंज हो, क्वालीटेटिव चेंज की आवश्यकता है, क्वांटीटेटिव चेंज की आवश्यकता नहीं है । तत्काल क्या लाभ होगा । समाज के अन्दर जो उपभोक्ता है उनमें बड़े उपभोक्ता हैं वह भी इसमें आते हैं और जब बड़े उपभोक्ता आते हैं, तो समाज के अन्दर बिजली की चोरी आपका बड़ा उपभोक्ता ही करता है । बड़े लोगों की सांठ-गांठ से यह होता था । तो यह भी डर है कि कहीं वही बिजली की चोरी करने में और ज्यादा कैपेसिटी की यूनिट कंज्यूम करने की तरह न कर बैठें, कहीं ऐसी स्थिति न हो कि "छिनरा ही डोली तरे" कि वही लोग व्यवस्था करने वाले हैं और वही लोग बदमाशी न करने लगें । आपको कल्पना के साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपका स्वरूप क्या है ? आपका स्वरूप जो आज है वह कल नहीं था क्योंकि अभी एक साहब ने बताया कि बिजली मंत्री स्वयं ही बिजली के ठेकेदार थे । सोचिये क्या है, आप इसको जानते होंगे । बिजली की कमी 1979-80 में हुई है । इतनी आज के इतिहास में कभी नहीं हुई है और इतनी 20 प्रतिशत की जो कमी कैपेसिटी में हुई है, वह कभी नहीं हुई । मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, माननीय बिजली मंत्री जी से कि बिजली के बिल का दूसरा स्वरूप है जो लोग इसके प्रति शंका प्रकट करते हैं, बिजली का बिल बनाने वाला जो बाबू है, वह जो उसके मन में आवे बिल बनाता है । उसके लिए कोई दण्ड देने का प्राविधान नहीं है । आप जाइये ठीक (करेक्ट) कराने, तो करेक्ट हो जाता है । तो बिजली की दर बढ़ाने में यह जनता आपके साथ रहेगी लेकिन बिजली की बदमाशी को रोकने के लिए आप तत्काल व्यवस्था करें । एक इस्टीमेट का खेल बिजली विभाग में होता है । किसी को नई बिजली लगवाने का शौक पैदा हो जाय, यदि कोई साहब जाते हैं इस्टीमेट बनवाने के लिए, अगर वह खुश हो गया तो इस्टीमेट कायदे से बना दिया, अगर नाराज हो गया तो इस्टीमेट 10 गुना बढ़ जाता है ।

अगर वह खुश नहीं हुए, किसी कारण से नाराज हो गये तो 10 गुना इस्टीमेट की धनराशि तैयार कर देता है और बाद में परिवर्तन भी हो जाता है ।

इसी गड़बड़ी को दूर करने के सिलसिले में दो-ढाई वर्ष पहले हम लोग जेल भेज दिये गये थे, यह कहकर कि आप लोग गड़बड़ आन्दोलन कर रहे हैं और विरोधी दल के लोग हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिजली केमेस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया है, उसके लिए कोई ऐसा स्वरूप रखें कि जो भी अधिकारी गलत इस्टीमेट बनायें और वह गलत साबित हो जाय, तो उसे दण्ड दिया जाना चाहिए। ऐसा प्राविधान हो। एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके इस एक का भी कोई अंत है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने इसकी कोई गिनती नहीं की, मैं तो योंही कह रहा था एक और एक। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि बिजली विभाग में इसका स्वरूप बहुत विकृत होता जा रहा है। बिजली बोर्ड जो बना, इससे 3-4 चीजों का बहुत नुकसान हुआ है। दिन पर दिन धनराशि इसमें अधिक से अधिकतर लगायी जाने लगी है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वैसे मामूली से मामूली सामान भी आप लें, उसकी कुछ न कुछ गारन्टी होती है। जैसा 3-4 सौ रुपये का पंखा लें, उसकी भी 5-10 साल की गारन्टी होती है। वैसे ही मान्यवर, इसमें भी ऐसा स्वरूप तैयार करें कि इतनी धनराशि लगने पर इतना काम होने की गारन्टी होगी। ऐसा न होने से वहां जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको पैसा आज लूटने का खूब अवसर मिल रहा है। यह मनोवृति पिछली सरकार से लागू हुयी। उनका मन्तव्य ही यही था कि देश और प्रदेश को किसी तरह से लूटें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी हुयी है वह बढ़ी हुयी कीमतों और मूल्यों के कारण हुयी है, वाजिब है। इसलिए उधर के माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जो वर्तमान सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई हैं और उन दरों को बढ़ाने के लिए जो दलीलें दी हैं। कोयले के मूल्य बढ़ने की, तेल डीजल की कीमतें बढ़ने की और परिषद् को अंतरिम सहायता दिये जाने की तथा रेलवे भाड़ा आदि बढ़ जाने की। जिन दलीलों पर 48 करोड़ रुपया की वृद्धि हुयी है खर्च में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ठीक बात तो यह है कि यह दरें जिन चीजों की बढ़ी हैं और जिनकी वजह से बिजली की दरों में भी वृद्धि हो गयी तो यह सारी चीजों की दरें आपने ही अपने शासनकाल में बढ़ाई हैं। कोयले की दर आपने बढ़ाई, रेल भाड़ा आपने बढ़ाया और तेल व डीजल की कीमतें आपने बढ़ाई, इसकी ओर ध्यान माननीय मंत्री जी का नहीं जाता और न ही इनके माननीय सदस्यों का जाता है कि यह देन सारी हमारी ही है। और कांग्रेस सरकार रही है पूरे 30 साल उसमें भी कुछ नहीं कर सके और हमारे 27 महीने के शासन पर लांछन लगाकर, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। अगर थोड़ी सी भी सच्चाई आपमें होती तो अपनी कमजोरियों पर इस तरह पर्दा नहीं डालते। वैसे माननीय मंत्री जी ने इतना तो स्वीकार किया कि कुल प्रतिशत 58 था सन् 75-76 में और इस समय 38·40% ही रह गया। इसका मुख्य कारण सूखा है, इसे आपने भी स्वीकार किया। तो सूखे की जो परिस्थिति आपके देश और प्रदेश में रही।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यपाल सिंह—]

उसके कारण बिजली की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है उसके लिये पिछली सरकार दोषी नहीं है बल्कि वर्तमान सरकार दोषी है। उस सरकार ने तो एक माननीय कदम उठाया था 15 फरवरी, 1980 को जब श्री बनारसी दास जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने अपने कैबिनेट मीटिंग में तय किया था कि पिछले 3 साल से जो बिजली कम दी जा रही है उसके अनुपात को लेकर इस साल सूखे की वजह से जितनी ज्यादा कम बिजली दी जा रही उतनी उपभोक्ताओं से कम वसूलयाबी की जाय। इस प्रकार का निर्णय बनारसी दास के मंत्रिमंडल ने लिया था। यह वर्तमान मंत्रिमण्डल लागू करना तो अलग रहा बल्कि उसकी दरों को और अधिक बढ़ा कर अपनी तानाशाही रवैये का परिचय दिया। मेरा कहना है माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो 2—4 कारण बताये हैं इन कारणों को बताकर आप सही सतह तक विद्युत परिषद् के इंजीनियरों और विद्युत विभाग की कमजोरी तक नहीं पहुंच पाये। मुख्य रूप से मेरी राय में इसका एक कारण बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिजली विभाग की हड़ताल है और बिजली विभाग में धन का अपव्यय है, इसका मुख्य कारण है बिजली के लिये बहुत से इंजीनियर बढ़े हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जिस प्रकार से खिचड़ी का एक चावल देखकर पता लग जाता है कि खिचड़ी पकी है या कच्ची है मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् में जो बेईमानी की जाती है वह 2 प्रकार की की जाती है। एक बेईमानी ऐसी की जा रही है जिसके द्वारा विद्युत् परिषद् घाटे में आ रहा है दूसरी बेईमानी ऐसी की जा रही है जिससे विद्युत् परिषद् घाटे में नहीं आ रहा है बल्कि आपके इंजीनियरों का पेट भर रहा है वह अपनी कोठियाँ बना रहे हैं वह दिन रात ऐशो आराम की जिन्दगी बिता रहे हैं इसका भार पड़ता है उपभोक्ताओं के सिर। हमारे जिस शाहजहांपुर में नगर विद्युत् वितरण खण्ड के एक इंजीनियर हैं कंसल जो लोग मीटर का सील टेम्पर कर लेते हैं, जो लोग उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिल लेते हैं या उनके जूनियर इंजीनियर से मिल लेते तो उसका टेम्पर जो सील है उसके बदले में दूसरा मीटर लगवा दिया जाता है और उसको लगाकर दिखला लेते हैं जितना बिल पिछले में चल रहा है उसी के अनुपात में वर्तमान मीटर में भी आ रहा है उसको लेकर छोड़ दिया जाता है। जब कि काम होना यह चाहिये कि जब किसी मीटर की शील टेम्पर हो जाती है तो मान्यवर पिछले महीनों के अनुपात में लेना चाहिये, और यदि पिछले महीनों के अनुपात में बिजली का खर्चा हो रहा हो तो उनको मीटर का शील टेम्पर करने के लिये दण्ड देना चाहिये किन्तु उनसे रिश्वत लेकर इंजीनियर उनको छोड़ देते हैं। हमारे शाहजहांपुर में एक सिनेमा गृह बना है ओखा, उस सिनेमा के लिये केवल 3 हजार का इस्टीमेट उस इंजीनियर ने बनाकर दिया है। मान्यवर, उस तीन हजार के विपरीत सरकार को 20 हजार का खर्चा पड़ा है। तो मान्यवर, इस प्रकार 20 हजार में से 17 हजार का घाटा किसके सिर पर पड़ा, उपभोक्ताओं के सिर पर पड़ा। मैंने इस बात की शिकायत मुख्य मंत्री जी से की, आज मैं आपके सामने सदन में कह रहा हूं। मान्यवर, कि सिनेमा के मालिक से 3 हजार रुपया लेकर 17 हजार रुपया का घाटा विद्युत् परिषद् के लिये आपके इंजीनियर ने दिया है।

माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगा लें, एक पैसे का भी फर्क हो तो आप लिखकर दे सकते हैं कि माननीय सदस्य ने सही सूचना नहीं दी। लेकिन आपका यह इंजीनियर बहुत मनमाने ढंग से वहां पर पैसा पैदा कर रहा है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं, केवल शाहजहांपुर की बात नहीं है, इस

तरीके से जो आपके अधिशासी अभियन्ता हैं वह बेईमानी करते हैं और करवाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत् परिषद् पर घाटा डालते हैं। इस इंजीनियर के दो इंस्पेक्टर हैं, जी0 के0 अग्रवाल और आर0 डी0 वैश्य। यह इंजीनियर शाहजहांपुर आने से पहले उसके साथ बरेली में भी थे और उसके पहले पीलीभीत में भी थे। जब कंसल पीलीभीत म था तो इसके साथ दोनों इस्पेक्टर पीलीभीत में रहे। जैसे ही कंसल का ट्रांस्फर हो कर वह बरेली में आया, उसन दोनों इंस्पेक्टरों का स्थानान्तरण बरेली में करवा लिया। जब वह बरेली मे शाहजहांपुर आता है, डेढ़ साल उसको आए हुए हुआ है दोनों इंस्पेक्टर उसी तारीख से शाहजहांपुर आ गये। इन चीजों की तरफ आपकी निगाह होनी चाहिए। जो ऐसे अधिकारी हैं, जिनके दलाल जनता के लोग न हो, इंस्पेक्टर इंजीनियर हैं, इस तरफ निगाह करें। जैसा कि मैंने अभी बताया अगर इस ओर ध्यान दें तो कोई कारण नहीं है कि सारी कमियों को दूर न किया जा सके और घाटे को तीन प्रतिशत मुनाफे में बदल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सत्यपाल सिंह--

दूसरी बात मैंने हड़ताल की कही। वैसे हर विभाग में यूनियनें हैं। लेकिन जितनी यूनियनें विद्युत् विभाग में चल रही हैं, और जितनी हड़तालें विद्युत् परिषद् में हुई हैं, उतनी हड़तालें उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुई हैं। यह घाटे का दूसरा कारण है। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। जब सूखा तो आपके सेक्रेटेरिएट से आदेश हुआ था कि एअर कंडीशन नहीं चलेगा। शाहजहांपुर में जो आर्डिनेंस फैक्टरी है जो तीन साल प्रति माप उत्पादन देती हैं वहां के लिए बिजली नहीं मिल पायी लेकिन जब वहां का मनजर शक्ति भवन आता है तो देखता है कि पूरा शक्ति भवन एअर कंडीशन है। अगर इस मनोवृत्ति को बदलें तो कोई कारण नहीं है कि बिजली के रेट में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़े।

*श्री मित्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष जी आज बिजली के बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो चर्चा की सूचना दी है। उसके सम्बन्ध में आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। प्रश्न इस बात का है कि जो विद्युत् रेट बढ़ा है उसमें कैसे कमी की जा सकती है और उपभोक्ताओं को कैसे राहत दी जा सकती है और उनके प्रतिष्ठानों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। आखिर इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री ने कहा कि 48 करोड़ का घाटा है और दो सौ करोड़ प्रति वर्ष घाटा बढ़ेगा इसलिए उसको पूरा करने के लिए इसके रेट में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। इसके बाद यह भी कहा कि इस घाटे की बढ़ोत्तरी इससे पूरी नहीं कर सकते बल्कि उत्पादन बढ़ा कर पूरी कर सकते हैं। उत्पादन में जो हमारे साधन लगते हैं उन्होंने बताया कि चाहे वह कोयला हो, पेट्रोल हो, ट्रेनों के आने-जाने का खर्चा हो। बढ़ोतरी के जो कारण हैं क्या सरकार उसमें छूट नहीं दे सकती? बिजली इंसान की जिन्दगी से इस वक्त जुड़ गयी है। ऐसे सूरत में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्र सेन—]

माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इनके पहले जो सरकार थी केन्द्र में जनता सरकार या लोक दल सरकार, तो जब भारत सरकार को खतरा हुआ कि भारत सरकार गिरा दी जायगी और उस समय पंडित नारायणदत्त तिवारी जो मुख्य मंत्री थ, उन्होंने तमाम चीजों के, लगान की बढ़ोत्तरी को, बिजली के रेट की बढ़ोत्तरी को एनाउन्समेंट किया था जब सरकार के गिरने का अन्दाजा हुआ तो 15 रुपये से घटा कर 12 रुपया कर दिया गया। उस समय घाटे का सवाल नहीं था। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन के 30 वर्षों की बात बता दें कि जो लागत थी 10, 13, 19, 17, 28 पैसे हो गये। यह बता दें कि कांग्रेस शासन में कभी भी जो लागत प्रति यूनिट थी उससे पूंजीपतियों को कम रेट में बिजली दी गयी या ज्यादा रेट पर। एक प्रश्न हमारे सामने है कि कांग्रेस ने 30 वर्षों में उत्पादन रेट प्रति यूनिट के हिसाब से जो दिया है, घाटे के रूप में दिया है। और किसानों के रेट बढ़े हैं। हाल में जो रेट था वह 16–17 पैसे था, आज कांग्रेस सरकार ने बरसरे हुकूमत होते हुए वह 26–27 पैसे प्रति यूनिट रखी और किसानों की एक तरफा बढ़ायी जाती है। 15–12 रुपये गारंटी हमको जमा करने की है लेकिन बिजली कितने घंटे देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान्यवर, सौदा हमेशा दो तरफा होता है। अगर गारंटी पैसा देने की है तो बिजली की भी होनी चाहिए। जो साधन आवश्यक हों उनमें छूट करें, तीसरे पूंजीपतियों को जो विद्युत देते हैं उनको लागत से ज्यादा रेट पर दें, जो लाभांश होता है उसके हिसाब में बिजली दी जाये। सरकार को हमेशा खतरा रहता है कि अगर पूंजीपतियों को मन–माने रेट पर नहीं देंगे तो कारखाने, उद्योग नहीं लगेंगे। इसका मतलब है आप स्वयं उद्योग, कारखाने लगा नहीं सकते। जो घाटा होता है उसे भी गरीब किसानों से रेट बढ़ा कर लेते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश के सामने जो समस्या है और विशेषकर किसानों को विद्युत देने की, उत्पादन के जो संयंत्र हैं जो आवश्यक हैं, के रेट बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स पर नहीं बढ़ाया, राजकीय ट्यूबवेल्स पर नहीं बढ़ाया, कहीं तो बढ़ाया। उसका बोझ गरीब जनता पर पड़ रहा है तथा जो गांव में रहते हैं, हमारी ग्रामीण जनता पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। जो दिन–प्रति–दिन का गड़बड़ियां हैं, हमारे सामने एक काश्तकार की पुस्तक है, इसमें साढ़े सात हार्सपावर का गारंटी है और 100 रुपया प्रति माह जमा करना है। मान्यवर, 48 सौ जमा करना चाहिए और 4 हजार जमा किया है। फिर भी 35 सौ बताया है। तो यह हालत है सरकार की। इस सम्बन्ध में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसके सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री दयाल कृष्ण—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जहां तक बिजली की दरें बढ़ने का सवाल है मंत्री जी ने उस पर अपने विचार सदन के सामने रखा लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज बिजली की दरें बढ़ी हैं। दो तरह के कन्ज्यूमर्स हैं। एक तो वह जो साधारण आदमी हैं और बल्ब या ज्यादा से ज्यादा पंख चलाते हैं। दूसरी तरह के वह गृहस्थ हैं जो कूलर चलाते हैं, मिक्सी चलाते हैं, तरह–तरह के यंत्र चलाते हैं। जिसको डोमेस्टिक पावर कहते हैं। डोमेस्टिक पावर को जरूरत विशेष सुविधा प्राप्त व्यक्ति को होता है। इसी तरह की श्रेणियां डाक तथा और तरह के विभागों में हैं। डाक विभाग में एक पोस्ट कार्ड होता है, एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिफाफा होता है। पोस्ट कार्ड वह प्रयोग में लाते हैं जो गरीब हैं। लिफाफे का प्रयोग वह करते हैं जो बड़े लोग हैं, बन्द चिट्ठी भेजना चाहते हैं। रेल में वृद्धि हुई तो फस्ट क्लास में विशेष तरह की वृद्धि हुई और सेकेन्ड क्लास में गरीब जनता का ध्यान में रखते हुए वृद्धि की गयी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो पृथकीकरण की श्रेणी है हमेशा ही वर्तमान रहे। डोमेस्टिक पावर के जो उपभोक्ता थे उनके लिए अगर रेट बढ़ा भी दिये जाते तो कोई फर्क नहीं था। जो गरीब आदमी है, पेंशनर है उसके लिए 15 पैसे प्रति यूनिट का रेट बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 15 पैसे प्रति यूनिट रेट बढ़ाने पर दुबारा विचार कर लें और इन दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं में संतुलन लाने का प्रयोग किया जाये। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि जिस आशा से यह वृद्धियां की गयीं थीं वह आशा पूरी नहीं हुई और न होने वाली है। बिजली का जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक यह कार्य सभी पूरा नहीं होगा। आज हजारों, लाखों, करोड़ों क्यूसेक पानी हमारे अंचल में प्रति दिन भेज रही है। आज केवल दो-तीन परियोजनायें चल रही हैं गंगा, घाघरा और यमुना, इनमें 18 हजार क्यूसेक तक पानी आता है। कई जगहों पर परियोजनायें बन सकती हैं, बहुत सस्ते बजट में बन सकती हैं। मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गैस टरबाइन बनाई जाय। मथुरा टरबाइन से बिजली बन सकती है। गैस टरबाइन की जरूरत है, इसकी ओर ध्यान दिया जाये, इनसे बिजली बनाई जा सकती है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं का बकाया धन जो वह नहीं दे रहे हैं, लें। नगरपालिका केवल स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली का प्रयोग करती है। स्ट्रीट लाइट में खम्भा, तार, लगाने वाला आदमी आपका होता है। बल्ब चुंगी देती है। उनके पास साधन नहीं हैं। कहीं पर बल्ब नहीं है तो चुंगी का आदमी खरीद कर इन्सपेक्टर साहब के पास ले जायेगा तब वह जाकर लगायेगा। कई दिनों तक बल्ब नहीं लगते हैं। सरकार स्ट्रीट लाइट को अपने हाथों में ले ले। और चूंकि आपके ही डिपार्टमेंट को स्ट्रीट लाइट लगाना है, आप ही को देखना है, तो बीच में जो नगरपालिका को रख रखा है कि वह सामान देंगे, यह बात समझ में नहीं आती। सामान देने के लिए माध्यम उन्हीं को बना रखा है। मैं समझता हूं कि जो धन है, वह भी सरकार का है, नगरपालिका को अनुदान सरकार ही देती है, तो फिर क्यों दिक्कत होती है। इसलिए निवेदन है कि चूंकि इस सब प्रक्रिया में दिक्कत होती है, इसलिए सुझाव है कि इस कार्य को विद्युत विभाग स्वयं करे इससे स्ट्रीट लाइट और इफीसियेन्सी में बहुत फर्क आ जायेगा। उनके जिम्मे मेन्टीनेन्स और लगाने की बात हो, तो वे देखते रहें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विद्युत की दरों के बारे में बोल रहे हैं, इसका ध्यान रखें।

श्री दयाल कृष्ण--

मान्यवर, उसी पर बोल रहा हूं।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी कि ये जो आपके ट्रान्सफार्मर लगे हुये हैं, उनके खराब होने का सवाल बहुत आता है। उनके मेन्टीनेन्स की व्यवस्था हो जाय, तो खराबी को दूर करने की व्यवस्था

[श्री दयाल कृष्ण--]

हो जायेगी । प्रायः गर्मी पड़ने या लोड की वजह से ट्रान्सफार्मर कटते हैं । तो इन ट्रान्सफार्मर को ठीक करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये । बाहर बनने के लिये जायेंगे तो काफी दिनों में आयेंगे और अव्यवस्था बनी रहेगी । हर जगह ट्रान्सफार्मर बनाने के कारखाने मौजूद हैं । इसलिये अगर किसी अधिकारी को या अपने खंड विकास अधिकारी को इस प्रकार का अधिकार दे दें ताकि वे ट्रान्सफार्मर को सही करा लें तो बहुत कुछ बचत हो सकती है और दर बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी । तो इस तरह के कुछ सुझाव हैं, जिनको, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता था । अगर उनकी ओर ध्यान दिया जायगा, तो काफी समस्या हल होगी ।

श्री अमर सिंह--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, विद्युत में जो दरें बढ़ाने की बात है, इसके बारे में जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, मैंने दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के भाषण सुने और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष की पुरानी गलतियों को दोहराता है और जो हमारे भाई विपक्ष में बैठे हैं, वे सरकार पर प्रहार करते हैं । लेकिन, मान्यवर, ऐसा करने से सदन में कुछ मसला हल नहीं हो सकता । मान्यवर, मैं सत्तारूढ़ पक्ष से निवेदन करूंगा कि उनको जनता ने बहुमत देकर चुनकर भेजा है और बहुमत का दीपक लेकर यहां बैठे हैं । मैं कहूंगा कि अगर किसी दीपक को किसी अंधेरे घर में रखा जाय, तो क्या वह दीपक कहेगा कि यह अंधेरा बहुत दिनों का है, हम रोशनी नहीं करेंगे । मैं समझता हूं कि वह दीपक पूरे घर को उजाला करेगा । ऐसे ही आशा करता हूं कि सत्तारूढ़ दल पुरानी बातों का मुकाबिला अपने से न करके जो इस विभाग में शिकायतें हैं, उसको दूर करने की कोशिश करे ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि आपने विद्युत की पैदावार ज्यादा बढ़ाई और उपभोक्ता को भी देना चाहते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पैदावार होते हुये भी उपभोक्ता को कभी विद्युत नहीं दे पायेंगे क्योंकि बीच में जो बिजली देने वाले आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वे किसी और ढंग से बिजली देते हैं । मिसाल के तौर पर उपभोक्ता चाहता है कि कनेक्शन बिजली का लूं और 25 रुपये अर्नेस्ट मनी भी जमा कर देता है । नियमानुसार 6 महीने के अन्दर उसका एस्टीमेट बनकर उसके पास पहुंच जाना चाहिये, लेकिन विभाग की तरफ से ऐसी कभी पहल नहीं की जाती और इनीशियेटिव नहीं लिया जाता है कि वे उपभोक्ताओं से यह बात कहें कि बिजली के लिए खर्चा जमा करो । जब उपभोक्ता बार-बार जाकर चक्कर लगाता है, तो उनके यहां से पेशकश की जाती है । आपके यहां भले ही चाहे सामानों की कमी हो लेकिन सामानों की कमी होते हुये भी जहां पर महकमे के लोगों को पैसा मिल जाता है उन गावों को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाता है दिन-रात में । मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषय की परिधि में आयें ।

श्री अमर सिंह--

मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें खामियां क्या हैं। 100 रुपय से लेकर 200 रुपय तक एडीशनल पैसा महकमे के लोगों को देंगे तो रात दिन करके आपका गांव इलेक्ट्रीफाइड हो जायगा। जो खर्च बैठता है, चाहे वह खंभ का हो, चाहे वह खम्भों की ढुलाई का हो, चाहे तार खिचाई का हो वह भी गांव वालों से वसूल कर लिया जाता है। जब खम्भे लग गये बिजली पहुंच गयी तो यह निश्चित नहीं है कि आप कितनी बिजली गांव वालों को दे पायेंगे। आप 6 घन्टे किसानों को बिजली देते हैं वह भी रात में देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 6 घन्टे का समय किसानों के लिए विशेष तौर से सर्दी, गर्मी और बरसात में किसान जब रात को खेतों में जाता है तो चारों तरफ अंधेरा रहता है सांप और जहरीले जानवर खेतों में घूमते हैं तो किसान को रात में बिजली देना उचित नहीं है। कारखाने वालों को आप दिन में बिजली देते हैं। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि बड़े और छोटे में भेद किया जाता है, अगर पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े कारखानों को जिस भाव पर बिजली देते हैं, किसान और गांव की 85 प्रतिशत कमजोर तबके को उसी कम रेट पर बिजली देनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरे इन सुझावों को आप देखते हुये गांव के लोगों को सुविधायें देंगे।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरे घर में बिजली नहीं है। मान्यवर, मुझे थोड़ा समय दे दें।

मान्यवर, मैं आपका बड़ा अभारी हूं क्योंकि मैं बिजली के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। चूंकि मेरे घर में बिजली नहीं है और मेरे बच्चों ने जब मैं विधायक बनकर यहां आया तब दारुल सफा में आने के बाद बिजली का बटन देखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है, माननीय मंत्री जी का, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का समय इन्हीं को दे दिया जाय।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य में बिजली काफी जनरेट हो गयी, आप बैठें और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बोलने दें।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर विभाग में सामानों की कमी नहीं है। मैं मंत्री जी को इसके बारे में बता देना चाहता हूं, मैं सही कहता हूं मेरे घर में लैंप जलता है, मेरे घर म बिजली नहीं है। मेरे बच्चों ने यहां आकर बिजली का बटन देखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

[×××] ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह लिखा न जाय । आप बैठें ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

[×××] ।

श्री उपाध्यक्ष—

विष्ट जी की अब यह कोई बात नहीं लिखी जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विषय पर अपने मूल्यवान विचार प्रकट किये हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात बड़े जोर से कही कि पिछली सरकार ने कुछ गलतियां की हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकारों की गलतियों के आवरण में आप अपने पापों को कब तक छिपाते रहेंगे । जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है और आपकी गलतियों की जिम्मेदारी आप पर है । इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और आपसे सवाल पूछा जायगा । अगर जनता पार्टी ने कोई गलतियां की थीं ।

तो मान्यवर, उसका उन्हें सबक मिल गया और आपको भी मिल जायेगा । मैं मंत्री जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि 1977 तक जो घाटा था उसकी जिम्मेदारी किस पर है । इस वित्तीय वर्ष में कुल घाटा जो 59 करोड़ रुपये का हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है । क्या इस जिम्मेदारी से आप मुकर सकेंगे । मान्यवर, मैंने पहले कहा था कि बिजली की दरों को बढ़ाने की कोई बात नहीं है, तो मंत्री जी ने कहा कि टरिफ यदि 21 करोड़ रुपये न बढ़ाते तो 48 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ती । तो इस संबंध में मैंने पहले आंकड़े दिये हैं कि बोर्ड का जो रुपया सरकार पर और पूंजीपतियों पर बकाया है यदि वह चंद पूंजीपतियों से वसूल होता तो 48 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूल हो जाता और फिर जनता पर बोझ न डालना पड़ता । बिजली की इस प्रकार दरें बढ़ाने से सरकार की नीयत साफ है कि जनता से पैसा चूसने की । इसके पहले लखनऊ में मार्टिन एन्ड बर्न कंपनी थी जो उपभोक्ताओं को बिजली देती थी तो कनेक्शन देने के पहले मीटर की सिक्योरिटी मनी कंपनी जमा करवा लेती थी और उस सेक्योरिटी मनी पर कंपनी इन्टरेस्ट देती थी । परन्तु विद्युत परिषद् ने जबसे बिजली सप्लाई करने का अधिकार लिया तो उसने इंटरेस्ट देना तो दूर रहा बल्कि मीटर पर उसने चार्ज करना शुरू कर दिया और वह चार्ज मीटर की कीमत से ज्यादा वसूल किया जा रहा है । इससे जाहिर है कि सरकार की नीयत पैसा घसीटने की है । इसलिए मीटर का चार्ज वसूलना बंद किया जाय और गारन्टी मनी पर इंटरेस्ट दिया जाय ।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कि मेरे जिले सीतापुर से संबन्धित है, श्री अम्मार रिजवी उस जिले के मंत्री हैं, वह मेरे बड़े भाई हैं, वह मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि पिछली सरकार के आने के पहले सीतापुर में 2 वर्ष से किसी भी व्यक्ति को कनेक्शन नहीं मिला था लेकिन नई सरकार बनी तो उसने एक मेगावाट बिजली तत्काल भेजी और तय कर दिया था कि 10-10 हार्स पावर तक वहां कनेक्शन मिल जायेंगे। तो मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले 4 महीनों से किसी भी व्यक्ति को इंडस्ट्रियल या छोटे काम के लिए सीतापुर जिले में कनेक्शन मिले हैं। मुझे बताया गया है कि 2 मेगावाट बिजली बोर्ड ने स्वीकृत के लिए मंत्री जी के पास फाइल भेजा है मगर पता नहीं वह कब से उनके पास फाइल रखी है लेकिन बिजली की स्वीकृत नहीं मिल रही है, मान्यवर इनकी इफीशिएन्सी को देखें। हमारे यहां सीतापुर नगरपालिका की 80 सड़कों में रोशनी के लिए स्टीमेट का पैसा जमा हो गया है, कागज भेजे जा चुके हैं, मैंने शिकायत भी मंत्री जी से किया था कि ढ़ाई वर्ष हो गए हैं लेकिन स्टीमेट नहीं तैयार किए गये। यदि स्टीमेट तैयार हो गये तो लाईन नहीं लगी, यह इफीशिएन्सी के हाल हैं। इन चीजों के बाद कहते हैं कि हमारी इफीशिएन्सी बढ़ रही है।

मान्यवर, श्री मित्रसेन ने जो मिनिमम चार्ज के बारे में कहा है तो वह ठीक है। वनवे टाफिक नहीं हो सकता है। बिजली मिलने पर पैसा देना पड़ेगा तो ठीक है लेकिन बिजली न मिले तो भी पैसा देना पड़ेगा तो बोर्ड को भी अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा कि इतने घंटे बिजली देंगे। यदि दोनों तरफ से बात तय हो जाय तो मिनिमम चार्ज की असुविधा की बात नहीं है। लोग टयूबवेल पर बैठें है लेकिन बिजली नहीं आती है। लाल बत्ती जली कि बिजली आ गयी और लोग दौड़ दौड़े आय, थोड़ी देर बिजली आयी और उसके बाद चली गयी, फिर बिजली आयी, फिर चली गयी, यही होता रहता है। कोई समय नहीं तय है कि बिजली कब आयेगी। इसलिए यदि यह बात तय हो जाय कि इतने घंटे बिजली हम देंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी।

मान्यवर दुसरी बात हिंडालको से जो आपका समझौता था, सस्ती दर पर बिजली देने का उत्पादन लागत से कम पर बिजली देने का। गरीबी को चूस कर बिजली देने की बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनका और आपका जो कान्ट्रेक्ट था उसका टाइम समाप्त हो गया और फिर दुबारा कान्टेक्ट हिंडालको से किया है तो इसमें शर्तें क्या हैं। इसमें सदन का विश्वास आपको लेना चाहिए था। या यही प्रक्रिया आपकी चालू रहेगी कि गरीबी के नाम पर उनको बिजली देते रहेंगे, यह बात साफ होना चाहिए।

अंत में मैं मान्यवर, अपनी बात पर पुनः बल देता हूं कि सरकार ने जो रेट बढ़ाये हैं वह निहायत अनुचित हैं और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय वह कम है: सरकार ने कहा था कि हम टैक्स नहीं लगायेंगे, बजट में नये टैक्स नहीं लगायेंगे। यह जो कमज्यूमर्स पर, उद्योगों पर बिजली की दर बढ़ा दी है क्या यह टैक्स नहीं है। इसका उपभोक्ता पर असर नहीं पड़ेगा ? क्या इससे उत्पादन लागत नहीं बढ़ेगी। यह एक प्रकार का इनडाइरेक्ट टैक्स है जिसे किसानों पर लगा दिया गया है।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। समय चर्चा का समाप्त हो गया है मैं सिर्फ तीन मिनट चाहूंगा। ज्यादा समय मेरे पास नहीं है।

मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की अधिकांश बातों का जवाब दे दिया था जब मैं बोला था। हिंडालको के सम्बन्ध में उन्होंने एक बात पूछी हिंडालको के साथ जो हमारा अनुबन्ध था वह 30 जून को समाप्त हुआ है। हमारी एक परिधि है कि हिंडालको के जो रेट्स हैं वे सेन्टल गवर्नमेंट के मार्ग-दर्शन में तय होते हैं क्योंकि उसी हिसाब से एल्यूमिनियम की दरें तय होती हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे प्रदेश की एक लाख टन वार्षिक एल्यूमिनियम बनाने की क्षमता है जब कि हम 50--60 हजार टन ही बना रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम भी इसीलिए असफल रहा है कि हमारे यहां डी० सी० एल्यूमिनियम कन्डक्टर नहीं हैं। जिस समय केन्द्र सरकार से इस विषय पर मार्ग दर्शन हो जायगा, मई में एक मीटिंग हो चुकी है, मार्ग दर्शन प्राप्त होते ही मैं तुरन्त सदन को अवगत करूंगा।

मान्यवर, रियासत हुसैन साहब ने एक बहुत इम्पारटेन्ट बात कही। शायद मेरे समझने में गलती रही हो, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्युशन चैनल सब का एक जगह होना चाहिए, एक बिल्डिंग में। अगर कोई तरीका वह बता सके तो ओबरा थरमल हाउस और टिहरी डैम एक गांव में लगाना होगा।

श्री रियासत हुसैन--

जो एक्ज्यूटिव इंजीनियर्स के दफ्तर अलग-अलग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में उन सब को एक जगह होना चाहिए।

श्री ब्रह्म दत्त--

इस बात से मैं सहमत हूं। माननीय राम स्वरुप वर्मा जी ने कहा कि विभिन्न संगठनों से बात होनी चाहिए।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी हमारे विद्युत मंत्री जी ने सदन को बताया कि 30 जून को अनुबन्ध समाप्त हो गया हिंडालको का और हिंडालको को बिजली केन्द्र और प्रदेश सरकार की मिली जुली नीति के तहत दी जाती है। इस समय किस नीति के तहत किस रेट पर बिजली दी जा रही है?

श्री ब्रह्म दत्त--

इस समय हम उनको जो हमारे पुराने जनरल रेट हैं उनके मुताबिक बिजली दे रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक बात दोनों वरिष्ठ सदस्यों से कहना चाहता हूं। खाली श्रम संगठनों को मैं बात करने के लिए नहीं बुलाने जा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि चतुर्थ श्रेणी से लेकर चीफ इंजीनियर लेबुल तक के संगठन जैसा अभियन्ता संघ जूनियर अभियन्ता संघ, श्रम संघ, उनसे बात करूं। बातचीत चल रही है। हमारी सरकार ने श्रमिकों की औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भागेदारी सिद्धान्तरूप में स्वीकार की है।

यह जो चोरी की बात की गई है मैं इससे अवगत हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस समय फरवरी में आपको बजट पर चर्चा करने का मौका मिलेगा उस समय आप स्थिति में बड़ा सुधार पायेंगे।

एक बात आखिर में करना चाहता हूं। बिजली पर हमारे किसान की खेती और कारखाने, छोटे कारखाने सभी डिपेंड करते हैं। इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिए, परस्पर सहयोग होना चाहिए। मैं यह विचार कर रहा हूं कि कन्ज्यूमर काउन्सिल बने जिसमें किसान के मेम्बर, अन्य उद्योगों के मेम्बर, छोटे उद्योगों के मेम्बर के बीच हम लोग ताल मेल बैठा सकें। माननीय सदस्य टांडा ने वहां के बुनकरों की बात उठाई थी। उनकी कठिनाई को मैं जानता हूं और विद्युत परिषद् को यह सलाह दे दी है कि बजाय दो किश्तों में वह उनसे 5 किस्तों में रुपया वसूल करे ताकि उनके कनेक्शन न कटें। इसी तरह से किसानों को सहूलियतें दी गयी हैं। मेरा अन्त में निवेदन है कि पिछले वर्ष 78–79 में भी रेट बढ़ चुके हैं लिहाजा इस वर्ष बढ़े हुये रेट्स पर आप चिन्तित न हों।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मिनिमम चार्जेज के लिए किसानों पर जब आपने बन्धन लगा रखा है तो क्या बोर्ड को आप सलाह देंगे कि वह अपने ऊपर भी मिनिमम घंटे बिजली देने का प्रतिबन्ध लगायें ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं आंकड़े दे दूंगा वैसे मिनिमम चार्जेज के साथ मिनिमम घंटे भी बिजली दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस विषय पर चर्चा का समय समाप्त हो गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय के निर्धारण का प्रस्ताव

[समय 4.50 बजेअपराह्न]

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 19 सितम्बर, 1980 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं, जो निम्न प्रकार हैं :--

1--उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 पर विचार एवं पारण के प्रस्तावों पर विचार 22 और 23 सितम्बर, 1980 को प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे से दो, दो घंटे हो,

2--पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम में नियत दिनांक 26–9–80 को आधे दिन असरकारी कार्य न लिया जाय और उसके स्थान पर इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित

[श्री उपाध्यक्ष]

हुआ, पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्तावों पर विचार 2 घंटे और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्तावों पर विचार एक घंटे हो।

3--बृस्पतिवार 9 अक्तूबर, 1980 को पूरे दिन असरकारी कार्य लिया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने दी है, सहमत है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। यह संसदीय परम्परा रही है कि बजट के दौरान सरकार कोई और काम नहीं करायेगा। इसका कारण यह है कि हम उसके लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं। विधेयकों पर बजट के दौरान हम समय नहीं दे पाते हैं और उनकी त्रुटियां सदन में सरकार के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह बहुत अनुचित है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बजट के दौरान दूसरा काम नहीं होना चाहिये और अगर अनिवार्य है तो पूरा दिन निकाल कर उस दिन सिर्फ विधेयक लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा में वृद्धि का संकल्प

[समय 4.55 अपराह्न]

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

"चूंकि इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (ऐक्ट संख्या 54, 1948) की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से, जो सभा द्वारा 11 मई, 1976 को पारित एक संकल्प द्वारा प्रदान किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा केवल 400 करोड़ रुपये मात्र (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की गयी थी;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के उक्त ऐक्ट की धारा 76 की उपधारा (3) के अधीन अब तक केवल 323.82 करोड़ (तीन सौ तेइस करोड़ 82 लाख रुपये) का ऋण लिया है और आगे छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए उसे और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होगी और इस कारण यह आवश्यक समझा

गया है कि उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 400 करोड़ रुपये (चार सौ करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये मात्र (छः सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित किया जाय, जिससे परिषद् अपने अ योजनागत कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए जिसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, अपने साधन में वृद्धि कर सके ।

अतएव, अब विधान सभा एतत्द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा तात्कालिक प्रभाव से 400 करोड़ रुपये (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये (छः सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित करती है ।"

(इस समय 4 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है । अब तक 400 करोड़ रुपये की ऋण की सीमा थी जिसमें राज्य विद्युत् परिषद् ने राज्य सरकार से स्वीकृत ऋणों को छोड़कर 31 मार्च, 1979 तक कुल 323.82 करोड़ रुपये की धनराशि के ऋण लिए हैं । अभी हमें पुराने प्रयोजनों को पूरा करना है। ग्रामीण इलाकों में बिजली देने की व्यवस्था करनी है जीवन बीमा के लिए 94.30 करोड रुपये, ग्राम विद्युतीकरण निगम के लिए 90.74 करोड़ रुपये, बाजार ऋणों के लिए 86.26 करोड़ रुपये तथा अन्य संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के लिए 34.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी । इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये हमें और ऋण की आवश्यकता होगी । हम ऐसा मानते हैं यह एक छोटा सा संकल्प है, जनहित में है इसलिए आप इसे पास करें । मैं समझता हूं कि आज हमारे सभी माननीय सदस्य प्रदेश के विद्युतीकरण में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए किसी को इसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये । यह एक साधारण सा प्रस्ताव है अतः मैं इसके समर्थन की अपील करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की 1--दूसरी कंडिका की पांचवीं पंक्ति में अंक, चिन्ह व शब्द "600 करोड़ रुपये मात्र (छः सौ करोड़ रुपये मात्र)" के स्थान पर "450 करोड़ रुपये मात्र (चार सौ पचास करोड़ रुपय मात्र)" रख दिये जायं, तथा

2--तीसरी कंडिका में अंक, चिन्ह व शब्द "600 करोड़ रुपये (छः सौ करोड़ रुपये मात्र)" के स्थान पर 450 करोड़ रुपये (चार सौ पचास करोड़ रुपये मात्र)" रख दिये जायं और शब्द 'तात्कालिक प्रभाव" के स्थान पर शब्द व अंक "1 अप्रैल, 1981" कर दिया जाय ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें जो मैंने संशोधन रखा है वह केवल उनकी मदद करने के लिए रखा है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी अपनी प्रतिष्ठा को स्वीकार करने की कृपा करें । बोर्ड की अक्षमता, उसकी कार्यकुशलता और उसके निकम्मेपन की काफी चर्चा हो चुकी है और फिर आप उसको रुपये पर रुपया देते चले जायं यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

यह तो वैसी ही बात होगी जैसे कि कोई शराबी खड़ा हो और उसको शराब पिलाते जायेंगे और इतना पिलाते जायेंगे कि जब तक वह मर न जाय तब तक पिलाते जायं। उसके पास आखीर में मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जायेगा। इसी में माननीय मंत्री जी की प्रतिष्ठा है। वे पहले बोल रहे थ कि उनको यह नया विभाग मिला है वे काम करना चाहते हैं, उनके विभाग में विकास की कल्पनायें हैं लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक प्रशासन ठीक नहीं होगा, नियंत्रण ठीक नहीं होगा, तब तक आप भ्रष्टाचार को हटा नहीं पायेंगे चाहे आप 200 करोड़ के बजाय 1 हजार करोड़ रुपया उनको दे दें। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यदि पूरा खजाना ही उनको दे दिया जाय तब भी वह बोर्ड के लिए पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने संशोधन पेश किया है कि इसको तात्कालिक प्रभाव के स्थान पर 1 अप्रैल, 1981 से लागू किया जाय। पर इस बीच मंत्री जी को अपने बोर्ड पर नियंत्रण करने का मौका मिल जाय, भ्रष्टाचार में सुधार करने का मौका मिल जाय उसमें जो छीजन और बरबादी तथा सड़न आई है उसके ठीक करने का मौका मिल जाय जैसा कि वह चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि सारा सदन सर्वसम्मति से इसे स्वीकार करने की कृपा करे।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मगर राजेन्द्र कुमार गप्त जी ने संशोधन रखा है उसको मान लिया जाय। उसकी बजह यह है कि आपका इलेक्टिसिटी बोर्ड समुद्र की तरह हो गया है। दुनियां म तीन चौथाई पानी है और एक चौथाई धरती जैसे समुद्र में गंगा गोदावरी, कृष्णा कावेरी और सारी नदियां मिलती है और फिर कहीं समुद्र के किनारे से निकलती नहीं है ठीक वही हालात आपकी इलेक्टिसिटी बोर्ड की है। आप चार सौ की जगह चार हजार भी दे दें तो भी हड़प होजायेंगे उसमें कुछ नहीं निकलने वाला है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि वाकयी अगर आप बोर्ड को ठीक करना चाहते हैं, वैसे तो आप अपने संख्या बल पर इसे पास करा लेंगे और कंज्यूमर भी बढ़ी हुई दरों पर आप की बिजली लेंगे क्योंकि किसान को उसकी जरूरत है। तो मैं कह रहा था कि कुछ करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन को जोड़ दें जितना जनरेट करेंगे उसी के हिसाब से अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांध दें बिजली के उत्पादन के रेशियो से तनख्वाह को बढ़ा दीजिये लाइनमैन से लेकर इंजीनियर तक। कमीशन बेसिस पर तय कर दीजिये कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो तनखा और बोनस भी बढ़ेगा और उत्पादन घटेगा तो वह भी घट जायेंगे। उसी रेशियो से उनका भत्ता बढ़ेगा। यह कर देंगे तो हम गारंटी देते हैं कि जो आपके बोर्ड को लौस हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं गुप्ता जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं सिर्फ दो मिनिट लेना चाहता हूं। माननीय गुप्ता जी ने एक शराबी की मिसाल दी। माननीय गुप्ता जी भारतीय संस्कृति के मानने वाले हैं। मैं उनको एक श्लोक चारबात का सुनाना चाहता हूं :

पीत्वा पीत्वा छू पुनर्पीत्वा पतति भूतले,
पुनरुत्थाय पुनर्पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, इसके अनुवाद से स्थिति गंभीर हो जायेगी। मैं माननीय सदस्य का भ्रम निवारण करना चाहता हूं वह समझते हैं कि चार सौ करोड़ से 6 सौ करोड़ हम दे रहे हैं। उनको पता नहीं कि जीवन बीमा निगम या अन्य संस्थायें कोई मूर्ख नहीं हैं बाजार रेट से कम पर दें और इसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि ऋण वापस देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप गारंटी मत दीजिये।

श्री ब्रह्म दत्त—

दूसरी दिक्कत यह है कि अगर इनके संशोधन को मंजूर कर लें तो 1981 तक विद्युत् परिषद् कोई नया काम शुरु नहीं कर पायेंगी और न पुराने बिगड़े हुये काम ही बन पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस संशोधन को वापस ले लें तथा बिजली के विकास में हमारी सहायता करें। अगर छः महीने बाद यह कहेंगे तो मैं यह संशोधन मंजूर कर लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

गुप्ता जी, इसको आप वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संकल्प की। दूसरी कण्डिका की पांचवी पंक्ति में अंक, चिन्ह व शब्द "600 करोड़ रुपये मात्र (छः सौ करोड़ रुपये मात्र)" के स्थान पर "450 करोड़ रुपये (चार सौ पचास करोड़ रुपये मात्र)" रख दिया जाय, तथा

तीसरी कण्डिका म अंक, चिन्ह व शब्द "600 करोड़ रुपये (छः सौ करोड़ रुपये मात्र)" के स्थान पर "450 करोड़ रुपये (चार सौ पचास करोड़ मात्र)" रख दिया जायं और शब्द "तात्कालिक प्रभाव" के स्थान पर शब्द व अंक "1 अप्रैल, 1981" कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (ऐक्ट संख्या 54, 1948) की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से, जो सभा द्वारा 11 मई, 1976 को पारित एक संकल्प द्वारा प्रदान किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा केवल 400 करोड़ रुपये मात्र (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की गई थी,

और, चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के उक्त ऐक्ट की धारा 76 की उपधारा (3) के अधीन अब तक केवल 323.82 करोड़ (तीन सौ तेईस करोड़ बयासी लाख रुपये) का ऋण लिया है और आगे छठी पंचवर्षीय योजना के

[श्री अधिष्ठाता]

अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिये उसे और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होगी और इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 400 करोड़ (चार सौ करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये मात्र (छः सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित किया जाय, जिससे परिषद् अपने आयोजनागत कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, जिसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, अपने साधन में वृद्धि कर सके।

अतएव, अब विधान सभा एतद्द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा तात्कालिक प्रभाव से 400 करोड़ रुपये (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये (छः सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित करती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें से उपाध्यक्ष महोदय ने श्री शंकर सिंह की सूचना जो जालौन जनपद की कदौरा थाना की पुलिस द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में है, स्वीकार किया है और इस पर मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य 25-9-80 को देंगे शेष नियम 51 की सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

दिल्ली की सरकार द्वारा मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद के दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में फसादियों को देखते ही गोली मारने के आदेश के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

गत कुछ सप्ताहों में प्रदेश के विभिन्न भागों में घटित घटनाओं से निपटने के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों ने अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेना को सहायतार्थ बुलाया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से सी० आर० पी० व बी० एस० एफ० केन्द्रीय पुलिस दलों को भी बुलाया गया। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को बड़ी तत्परता और उदारता से सहायता की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारियों ने राज्य की पुलिस के अतिरिक्त सेना व अन्य केन्द्रीय फोर्सेस के जवानों की तैनाती स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए की। शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात जवानों ने आवश्यकता के अनुसार कहीं-कहीं पर बल का भी प्रयोग किया। सामान्य तौर पर बल का प्रयोग यथा सम्भव मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाता है। राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सेना व बी० एस० एफ० से अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जिसकी सूचना उन्होंने राज्य सरकार को भी दी।

ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में सेना व बी० एस० एफ० द्वारा प्रयोग किये गये बल के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के मरने अथवा घायल होने की सूचना प्रदेश में कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई।

* श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो बात मैंने पूछी थी उसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य में कहीं नहीं है। 'शूट एट साइट' के आर्डर केन्द्र ने 13 और 14 को आल इंडिया रेडियो की हर न्यूज बुलेटिन में होते रहे और यह सूचना अखबारों में भी छापी गयी और यहां के चीफ सेक्रटरी साहब के साथ जब कोरेस्पोंडेंटस का सम्मेलन हुआ तो उसमें उन्होंने उस बात को रिपयूज कर दिया। तो जो शूट एट साइट के आदेश यानी देखते ही गोली मारने के आदेश जो केन्द्रीय सरकार ने दिए क्या वे आपके चीफ सेक्रेटरी को कन्सल्ट किए बिना ही दिए गए, यहां के लोगों को बुलाया ही नहीं गया ? वक्तव्य में रिक्वायर्ड एक्शन का जिक्र किया तो इसमें गिरफ्तारी करना भी शामिल है। यहां पर शूट एट साइट' वाला मामला है। इसमें यह बताते कि 'शूट एट साइट' के आदेश आपके परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने किए तो क्या वे ओरल थे या किसी टेलेक्स के द्वारा हुए या कोई रेडियोग्राम किया गया था या कोई लेटर भेजा गया ? और कौन सी तारीख में हुआ, उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

* श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं सबसे पहले 'शूट एट साइट' की बात लेता हूं उसके बारे में मेरा कहना यह है कि भारत सरकार ने शूट एट साइट के आर्डर्स दिए या कोई ऐसा आदेश दिया जिसका कोई पहले से प्राविधान नहीं था कि जिसको देखो गोली मार दो, यह सच नहीं है। जो भी भारत सरकार ने किया यह उन प्राविधानों के हिसाब से किया जो पहले से आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी में मौजूद थे, उनको दुहराया गया, कोई नयी चीज नहीं की गयी। अब मैं आपका ध्यान आई० पी० सी० की धारा 100 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है :

The right of private defence of the body extends under the restrictions mentioned in the last preceding section, to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant, if the offence which accasions the exercise of the right be of any of the descriptions herein fter aumerated, namely.

या कोई ऐसा कार्य जिसके अन्दर अपने बचाव या किसी दूसरे का बचाव हो, उसके अन्दर इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है।

इसमें स्पष्ट नहीं किया है शूट एट साइट।

भारत सरकार से जो बात आई वह यह है कि :

"Where persons are found to be indulging in unlawful activities such as stabbing of persons or brning of houses etc. in such cases they would also resort to firing.

जहां पर प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या जहां पर इस तरह की कोई चीज हो रही है, वहां पर फायरिंग किया जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि देखते ही गोली मार दो, इस प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी—]

दूसरी बात जो कही गई कि 13 तारीख को गृह सचिव की तमाम लोगों प्रेस वालों से बात हुई और रेडियो में भी एनाउन्स किया जा रहा था लेकिन गृह सचिव ने कहा कि हमको कोई सूचना नहीं है। करीब 5 बजे पत्रकारों से गृह सचिव की बात हुई। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी सूचना देना जनहित म नहीं होता है। 13 ही तारीख को गृह सचिव ने शाम को सूचना, जब आपस में बात हो गई तो केन्द्रीय सरकार ने भी और गृह सचिव न भी आकाशवाणी को स्वयं सूचना दी।

तो यह कहना कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पता नहीं था और अनजाने में केन्द्रीय सरकार ने यह आदेश दे दिए यह सही नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

हमारा कहना यह है कि जो 13 तारीख को रेडियो से ब्राडकास्ट हुआ और 14 को भी हुआ तो उसके बारे में यहां से कोई लिखा-पढ़ी हुई, कोई टैलेक्स आपका गया, कोई रेडियोग्राम गया या ओरल कन्सलटेशन हुआ, जो कुछ हुआ हो वह आप बता दें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहां तक केन्द्र का सवाल है, केन्द्र को इसका अधिकार है। यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है :

"Deployment of any armed force of the Union or any other force subject to the control of the Union or any contingent or unit thereof in any state in aid of the civil power; powers, jurisdiction, privileges and liabilities of the members of sueh forces while on such deployment.

तो मान्यवर, केन्द्रीय सरकार का जब फोर्स लगा हुआ है तो वे आदेश दे सकते हैं और यह बात साफ संविधान में लिखी हुई है। आर्मी के अफसरों को केन्द्रीय सरकार ही आदेश दे सकती है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती। केन्द्रीय सरकार के जो आदेश गए उसकी सूचना प्रदेश की सरकार को दे दी गई। शेष सूचना का देना जनहित में नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, संविधान की पाबन्दियां अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन सरकार यह स्वयं स्वीकार करती है कि घटित घटनाओं से निपटने के लिए सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेटों ने अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेना को सहायतार्थ बुलाया। आगे यह भी स्वीकार किया है कि राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद भारत सरकार ने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सेना व बी० एस० एफ० से अपेक्षित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए। तो आवश्यकता तो राज्य सरकार की थी और राज्य सरकार के अधिकारियों ने दिल्ली से सहायता मांगी। तो यह जो गोली मार देने के आदेश हैं, जो विधिक रूप से सही हो सकते हैं, वह भारत सरकार ने स्वविवेक से जारी किए या राज्य सरकार ने उनसे कहा, यह हम जानना चाहते हैं ? दूसरी बात यह है कि जब रेडियो को बता दिया गया तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं कि उक्त जानकारी पत्रकारों को नहीं दी गयी, उनसे छिपायी गयी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी—

यह जो सी० आर० पी० सी० की धारा 121 है इसके अन्दर यह लिखा हुआ है ...।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने यह नहीं पूछा जो मंत्री जी बतलाने जा रहे हैं। मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि दिल्ली से किसने आपको अवगत कराया, क्या आपने कोई सलाह दी।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

(व्यवधान) आप तो कुछ सुनना नहीं चाहते। आप पहले सुन तो लें। तो वहां पर साफ प्राविधान है इसका कि मजिस्ट्रेट अगर नहीं भी है, तब भी फायरिंग की जा सकती है एक बात। दूसरी आपने पूछा कि क्या केन्द्रीय सरकार को परामर्श उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा कि बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० मंगवाइये। उनको जो आदेश देने का अधिकार है वह केन्द्र सरकार के पास सुरक्षित रहता है। उन्होंने अपना फोर्स भेजा कि किस तरह से क्या हो। फौज का आदेश जो है, जो बी० एस० एफ० है, उनको केन्द्र सरकार देगी। तो जो कुछ आदेश आया केन्द्रीय सरकार से आया। दूसरी बात आपने पूछा कि वहां रेडियो के ऊपर तो एनाउन्स हो गया लेकिन पत्रकारों से नहीं कहा। जो पत्रकार हैं वह इस नगर के पत्रकार हैं। जो कुछ हम बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम बताते हैं, उनको अवगत कराते हैं। लेकिन जो वहां के रेडियो से बताया गया है, शाम को बताया गया है। 5 बजे पत्रकार यहाँ पर आये, उस वक्त बता सकना मुनासिब नहीं था। इसलिए नहीं बताया गया।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी, क्या यह स्पष्ट करेंगे कि जो कंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है, उसमें तो वह अपनी फोर्स रखें, यह बाद में जोड़ा गया है, शुरू में यह नहीं था। जब कुछ ऐसी सरकारें आ गयीं जो केन्द्रीय सरकार की सरकार नहीं थी, तब इस बात को जोड़ी। जब सिविल एड के लिए नहीं देंगे, तो एक शासन चलेगा, दो तो नहीं। दिल्ली वाले कहेंगे कि गोली मारो, यहां वाले कहें कि न मारो। वह तो जो फौज भेजते हैं वह तो आपकी सहायता के लिए भेजते हैं। क्या दिल्ली सरकार ने यह समझ लिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार का इस्तीफा आ गया है, इसलिए यह काम उनको करना चाहिए था?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन् यह 13 तारीख की बात है। इस्तीफा वाली बाद की बात है। लेकिन जहां तक कि सिविल एड के लिए बात है वह तो जो भी उनकी फोर्सेज हैं वह आकर यहां पर स्टैंड बाई तो नहीं हो गये कि आकर खड़े हो जायं। उनको आदेश देना होगा। आदेश उनको केन्द्रीय सरकार देगी, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ वह नहीं हैं कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

अब स्पष्टीकरण काफी हो गया । ठीक है, एक प्रश्न पूछ लें ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि केन्द्रीय सरकार ने हमारी परामर्श से बड़े काम लिये । 13 अगस्त को ईद की नमाज में झगड़ा हो गया । शाम को आपकी केन्द्र सरकार से मिलिट्री, सी० आर० पी० यह सब चीजें आ गयीं आपकी परामर्श से । वह आपने अपने स्टेटमेंट में सब कहा है कि जो राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद भारत सरकार ने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में होना व बी० एस० एफ० से अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में आदेश जारी किये, जिसकी सूचना उन्होंने राज्य सरकार को दिया था । यह ताल्लुक रखते हैं उस खबर से जो 13 तारीख को 1 बजे की न्यूज में जो वायलेंस करने वाले थे. . .

श्री अधिष्ठाता--

प्वाइंटेड प्रश्न कीजिए ।

श्री रियासत हुसैन--

यह जो आपके वक्तव्य में हैं, यह कब परामर्श हुई है जो 13 तारीख को ब्राड-कास्ट हुई है, रेडियो ग्राम से हुई है या लेटर से हुई है ? वह जब आप करेस्पांडेंट को दे सकते हैं, रेडियो पर दे सकते हैं, तो इस माननीय सदन में रखने के लिए कौन सी बाधा डाल रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से यह तमाम इसी घटना पर नहीं, तमाम घटनायें होती हैं, कैसे हुई, ओरल हुई, टेलीप्रिंटर के जरिये से हुई, यह बताना जनहित में उचित नहीं होता ।

श्री अधिष्ठाता--

अब प्रश्न काफी हो गये । अब हम उठते हैं सोमवार को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 26 मिनट पर सोमवार, 22 सितम्बर, 1980 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
19 सितम्बर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या—1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 413 पर)

श्री राम सहाय गुप्त एवं श्री राम शंकर पाण्डे, प्रतिनिधि बैंक के शिकायती पत्र, दिनांक 15—7—80 तथा श्री राज बहादुर द्विवेदी के शिकायती पत्र, दिनांक 22—7—80 से सम्बन्धित शिकायतें निम्न प्रकार हैं :

1—बैंक परिसर में कैन्टीन तथा पान की दुकान का संचालन ।

2—श्री अरविन्द कुमार मिश्र को बैंक की चाकरी में पुनः अनियमित ढंग से रखा जाना तथा एक अच्छी खासी धनराशि बकाए के रूप में उन्हें भुगतान करना ।

3—कर्मचारियों का चुनाव किए जाने में अनियमितता ।

4—राजपूत इलेक्ट्रिक स्टोर को अनियमित रूप से अग्रिम दिया जाना ।

5—कर्मचारियों के स्थानान्तरण मनमाने ढंग से किया जाना ।

6—कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ अनियमित ढंग से करना ।

7—श्री जवाहर लाल को सहायक सचिव के पद पर अनियमित नियुक्ति किया जाना ।

8—बैंक के भवन का न बनवाया जाना ।

9—अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना एवं बैंक को मधुशाला के रूप में परिवर्तित करना ।

10—जीपों का दुरुपयोग किया जाना ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 432 पर)

बिक्रीकर सरलीकरण समिति की---

(क) संस्तुतियां जिन पर निर्णय लेकर प्रशासनिक आदेश जारी किये जा चुके हैं :--

1--पंजीकरण हेतु अचल सम्पत्ति की प्रतिभूत के स्थान पर दो पंजीकृत व्यापारियों (जो बिक्रीकर विभाग में 3 या अधिक वर्षों से पंजीकृत हों) की व्यक्तिगत प्रतिभूति को स्वीकार किया जाना चाहिए।

2--व्यापारी का रिकार्ड तथा इतिहास ठीक रहे तो ली गई जमानत देयकर के प्रति समायोजित या रिफन्ड की जानी चाहिए।

3--पंजीयन प्रमाण-पत्र मजबूत कागज पर रेडियो लाइसेंस की भांति दिया जाना चाहिए। पंजीयन प्रमाण-पत्र के प्रभावी होने की तिथि से सम्बन्धित विधिक स्थिति से अधिकारियों को अवगत करा दिया जावे।

4--व्यापारी को एक बार में 3 माह की आवश्यकता पूर्ति के लिये फार्म जारी किये जाने चाहिए।

5--फार्म को तत्काल और सुगमतापूर्वक दिया जाना चाहिए। यदि प्रार्थना पत्र 11 बजे पूर्वान्ह तक प्राप्त हो तो फार्म साधारणतया 1-30 बजे अपरान्ह तक जारी कर दिया जाना चाहिए।

6--(1) केवल मामूली त्रुटियों के आधार पर फार्म अस्वीकृत न किये जायें। (2) कर निर्धारण के पूर्व व्यापारियों को प्रतिकूल तथ्यों से अवगत कराया जाय।

7--ऐसे सैद्धान्तिक निर्देश दिये जायं जिनके आधार पर व्यापारियों के अभिलेख अस्वीकार करके विवेक से कर निर्धारण किया जा सकता है। निर्देशिका में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जावे तथा इस उद्देश्य से कर निर्धारण आदेशों की जांच की जाया करें।

8--रूपपत्र में 5 प्रतिशत तक की भूल की साधारणतया प्रतिकूल न माना जाय।

9--वित्तीय वर्ष से भिन्न लेखा वर्ष रखने वाले व्यापारियों से 31 मार्च की तिथि को स्टाफ का विवरण न मांगा जाये।

10--अभिलेखों को अस्वीकार करने के पूर्व कम से कम 15 दिन का समय देते हुये एक "कारण बताओ" नोटिस अवश्य जारी किया जावे जिसमें ऐसे सभी बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख हो जिनके आधार पर व्यापारी के लेखे अमान्य करना प्रस्तावित हो।

11--(2) लाख रुपये तक कर योग्य विक्रय धन के व्यापारियों के रूप पत्र उन्हें बिना बुलाये स्वीकार कर लिये जायें।

12--धारा 21 की नोटिस भेजने से पूर्व कारणों का उल्लेख आदेश फलक पर किया जावे ।

13--विशिष्ट परिस्थितियों में 2 लाख रुपये तक कर योग्य विक्रय धन के व्यापारियों के रूप पत्र उन्हें बिना बुलाये स्वीकार किया जाना चाहिए । यह संस्तुति अंशतः स्वीकार करके 30 रुपये वार्षिक कर-दायित्व तक के व्यापारियों के लिये स्वतः कर निर्धारण योजना लागू कर दी गई है ।

14--पंजीयन नवीकरण, रिफन्ड तथा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण 90 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए ।

15--अर्थदण्ड की कार्यवाही यथा समय 2 वर्ष के अन्दर पूरी कर दी जानी चाहिए ।

16--कर निर्धारण के समय जब व्यापारी उपस्थित हो तो उसके विरुद्ध सभी बकाया धनराशि उसे बता दी जानी चाहिए ।

वसूली प्रमाण पत्र आदेश की तामील के 90 दिन के पश्चात् जारी किया जाये । वसूली प्रमाण पत्र के विरुद्ध जमा धनराशि को पहले मूल मांग मे और तब ब्याज में समायोजित किया जाना चाहिए

17--पुराने बकाया की वसूली के लिये एक ऐसी योजना बनाई जाये कि यदि व्यापारी एक निश्चित समय तक बकाया जमा कर देते हैं तो उनसे ब्याज नहीं लिया जायेगा । सिद्धांततः स्वीकार हुआ है अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

18--सहायक आयुक्त, अपीलीय तथा उपायुक्त, अपील यथा सम्भव कैम्प लगाकर वादों की सुनवाई करें ।

19--अपीलीय अधिकारी यदि व्यवहारिक हो तो अपीलों की सुनवाई दौरा कर के की जाये ।

उपायुक्त (अपील) भी अपील की सुनवाई बड़े-बड़े शहरों में दौरा करके करें ।

अपीलीय अधिकारियों का ध्यान नियम 68(8) की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए । ताकि प्रतिप्रेषित वादों में कमी हो सके ।

20--सर्वेक्षण का तरीका सभ्य तथा आदरपूर्ण होना चाहिए । अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश एक मैनुअल तैयार करा कर जारी करें ।

21--प्रत्येक कर-निर्धारण अधिकारी का एक लिक अधिकारी नामांकित कर दिया जाय जो सर्वेक्षण पर गये अधिकारी के यहां उस तिथि को नियम वादों में अगली तिथि दे दें ताकि व्यापारियों का समय नष्ट न हो ।

22--विभाग यह सुनिश्चित करें कि व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित न करें ।

23--एक कर निर्धारण वर्ष के लिये एक अधिकारी के समक्ष होने वाली सभी कार्यवाही के लिए एक पावर आफ अटार्नी पर्याप्त समझी जाय।

24--उच्च अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेश के अनुमोदन करने की प्रथा समाप्त कर दी जाये।

25--फार्म 31 तथा 31 के संबंध में व्यापारियों की कठिनाइयों को कम किया जाय।

26--फार्म 31 पर सम्बन्धित व्यापारी के व्यापार स्थल के अतिरिक्त प्रान्त में कहीं भी माल ले जाने पर रोक नहीं होनी चाहिए।

27--फार्म 31 और 32 की कार्यालय में पृष्ठांकन कराने की वर्तमान प्रणाली को सरल किया जाय।

28--विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न या अपमान न किया जावे व अनावश्यक प्रचार न किया जावे।

29--विशेष अनुसंधान शाखा में हिसाब किताब की जांच के समय व्यापारी को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।

30--भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न की शिकायतों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

31--व्यापारियों को भेजे गए नोटिसों में समय दस बजे के स्थान पर पूर्वान्ह या अपरान्ह का डाला जावे।

32--यह सुनिश्चित किया जावे कि संग्रह के लक्ष्य निर्धारण के कारण अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके व्यापारियो का उत्पीड़न न करें।

33--निर्माताओं द्वारा एक वर्ष में किए गए सौदों के लिए एक ही फार्म 3--ख स्वीकार कर लिया जाय। (इसे संशोधित रूप म स्वीकार करके 3 माह के सौदों के लिये एक फार्म देने की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) संस्तुतियां जो अधिनियम में संशोधन द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी हैं :--

1--न्यूनतम कर-योग्य विक्रय धन की सीमा बढ़ाकर 50,000 रु0 कर दी जावे।

2--पंजीकरण हेतु न्यूनतम सीमा 30,000 रु0 रखी जावे।

3--वसूली स्थगित करने का अधिकार अपीलीय अधिकारी को उन्हीं प्रतिबन्धों के साथ दे दिया जाये जो पुनरीक्षण अधिकारी के सम्बन्ध में लागू हैं।

4--धारा 3-ई निरस्त कर दी जावे।

5--दिनाँक 4-11-74 से 25-5-75 की अवधि को छोड़कर अन्य किसी अवधि में बिक्रीकर को विक्रय धन का अंश न माना जाय।

--सन्तोषजनक कारण दिये जाने पर अस्थायी कर निर्धारण आदेश को स्वयं संशोधित करने का अधिकार कर-निर्धारण अधिकारियों को दिया जाय।

7—माल वापसी का लाभ 3 माह के स्थान पर छः मास तक किया जाना चाहिये, भले ही माल अगले वित्तीय वर्ष में वापस आये ।

8—प्रतिप्रेषित बातों के लिये विधिक रूप से एक वर्ष की अवधि निश्चित कर दी जाय ।

9—पंजीयन अथवा उसका नवीनीकरण समय से न कराने के सम्बन्ध में अर्थदंड की धनराशि घटाई जाय ।

10—बकाया वसूली का उत्तरदायित्व विभागीय अधिकारियों को दिया जावे ।

11—अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दायर करने की समयावधि घटायी जाय ।

12—उपायुक्त (बिक्रीकर) को स्वयंसेव पुनरीक्षण का अधिकार दिया जावे और उस आदेश के विरुद्ध अपील न्यायाधिकरण के समक्ष हो ।

13—बिक्रीकर न्यायाधिकरण की स्थापना की जावे जिसमें एक न्यायिक सदस्य, एक विभागीय सदस्य तथा एक एकाउन्ट्स मेम्बर हो । इसे संशोधित रूप में स्वीकार करके न्यायाधिकरण की स्थापना का प्राविधान विधि में कर दिया गया है ।

14—धारा 35 में कर दर व बिन्दु की जानकारी हेतु दिये गये आवेदन-पत्रों पर 50 शुल्क न लिया जाय ।

15—वापसी योग्य धनराशि पर ब्याज की दर 18 प्रतिशत हो ।

16—अतिरिक्त कर समाप्त कर दिया जाय । इसे अंशतः स्वीकार करके "घोषित माल" पर अतिरिक्त कर समाप्त कर दिया गया है ।

17—कतिपय वस्तुओं को कर से मुक्त किया जाय तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर कर की दर कम की जाय । फुटवियर की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर की दर 4 प्रतिशत रखी जाय, निवाड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्रीकर-मुक्त की जाय और खेल कूद के सामान पर राज्य बिक्रीकर दे दिया गया हो तो अन्तर्राज्यीय बिक्री कर मुक्त कर दी जाय । अन्य कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में भी ऐसी सुविधा दी जाय ।

(यह संस्तुतियां आंशिक रूप से स्वीकार करके कर की दरों में परिवर्तन किये गये हैं । शेष स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया ।)

संस्तुतियां जो सिद्धान्तः स्वीकृत कर ली गई हैं तथा जिनके सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है

1—कर व अन्य देयों के स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में जमा करने की सुविधा दी जाय ।

2—व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत चैक/ड्राफ्ट बैंक की स्थानीय शाखा के होने चाहिये तथा उन्हें माह की अन्तिम तिथि तक स्वीकार किया जाना चाहिये ।

3—ट्रेजरी चालान की चार प्रतियां होनी चाहिये ।

4—निर्धारित प्रपत्रों को कम किया जावे तथा उनका सरलीकरण किया जावे ।

5—सभी प्रपत्रों की कर-निर्धारण की अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर दी जाये तथा 3 कलेन्डर माह के लेन देन एक ही प्रपत्र में भरे जाने की सुविधा दी जानी चाहिये ।

6—रिफंड का भुगतान सीधे बैंक से हो ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 449 पर)

सूची

गोरखपुर जिले में स्थित प्राइवेट, चीनी निगम की यूनिट तथा रिसीवरशिप की चीनी मिलों द्वारा 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1980 तक बेची गई मुक्त चीनी के भावों का विवरण

(मूल्य प्रति कुंतल)

क्रमांक	माह	उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम यूनिट–पिपराइच	गनेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर (प्राइवेट)	सरैया शुगर मिल्स, सरदार नगर (प्राईवेट)	दि महावीर शुगर मिल्स लि0, सिसवा–बाजार (रिसीवर शिप)	दि पंजाब शुगर मिल्स, घुघली (रिसीवर शिप)
				औसत मूल्य रु0		
1	जनवरी, 1980	रु0 349 से रु0 357 तक	रु0 332 से रु0 358 तक	357·75	..	रु0 337 से रु0 362 तक
2	फरवरी, 1980	रु0 388 से रु0 505 तक	रु0 375 से रु0 465 तक	433·68	.	रु0 395 से रु0 475 तक
3	मार्च, 1980	रु0 438 से रु0 448 तक	रु0 435 से रु0 495 तक	461·50	रु0 430 से रु0 470 तक	रु0 425 से रु0 445 तक
4	अप्रैल, 1980	रु0 449 से रु0 492 तक	रु0 435 से रु0 447 तक	457·49	रु0 435 से रु0 454 तक	..
5	मई, 1980	रु0 430 से रु0 555 तक	रु0 413 से रु0 548 तक	472·29	डी0–80 रु0 410 से रु0 510 तक	रु0 420 से रु0 532 तक
6	जून, 1980	रु0 493 से रु0 535 तक	रु0 479 से रु0 539 तक	496·40	रु0 410 से रु0 480 तक	रु0 476 से रु0 497 तक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 450 पर)

शेष 52 गोदामों की ग्रामवार सूची

क्रम संख्या	नाम समिति	ग्राम का नाम
1	2	3
1	बहरीमऊ	बहरीमऊ
2	नेवराजपुर	नेवराजपुर
3	अकवापुर	अकवापुर
4	बहेटी मानशाह	बहेटीमानशाह
5	बेहमा	बेहमा
6	पुनका	पुनका
7	रामपुर कला	रामपुर कला
8	बहटूटपुर	बहटूटपुर
9	धौरा	धौरा
10	खोरेहरा	खरेहरा
11	ईटगांव	ईटगांव
12	काशीपुर	थाशीपुर
13	थानगांव	थानगांव
14	शालपुर	शालपुर
15	वजहा	वजहा
16	जमौली	जमौली
17	चन्द्रसेनी	चन्द्रसेनी
18	रामपुरवा	रामपुरवा
19	बिसवाखुर्द	बिसवाखुर्द
20	तम्बौर	तम्बौर
21	बसन्तपुर	बसन्तपुर
22	काजी उमरा	सकरन
23	उरवानसोरपुर	बसन्तपुरवा

उदयभान सुपुत्र पटेराम

क्रम संख्या	नाम समिति	ग्राम का नाम
24	दुगाना	दुगाना
25	बोहरा	बोहरा
26	मदनापुर	मदनापुर
27	साण्डा	साण्डा
28	कोआखोड़ा	कोआखोड़ा
29	ताजापुर मथरी	हरैया
30	रेवान	रेवान
31	जैरामपुर	जैरामपुर
32	रामपुर मथुरा	रामपुर मथुरा
33	घमोड़ा	घमोड़ा
34	ढकवा	ढकवा
35	विलासपुर	विलासपुर
36	मसीगवां	मसीगवां
37	पारारम नगरा	पारारमनगरा
38	बकबां	बकबां
39	सदरपुर	सदरपुर
40	सरैयालाकापुर	सरयालाकापुर
41	लालपुर	लालपुर
42	कलुआपुर	कलुआपुर
43	बाबूपुर	बाबूपुर
44	पैंतेपुर	पैंतेपुर
45	लेखातीपुर	लेखातीपुर
46	जैरामपुरा	जैरामपुरा
47	सेजखुर्द	सेजखुर्द
48	बीहटगौड़	बीहटगौड़
49	गौरा	गौरा
50	मुजफ्फरपुर	बिजवामऊ
51	सीरगन्ज	रमदाना
52	गौरया	गौरइया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 450 पर)

तहसील बिलग्राम के परगना मल्लावां एवं कछन्दऊ के ग्रामों की सूची जो बाढ़ एवं जल भराव से प्रभावित हुये हैं

क्रम सं0	नाम परगना	प्रभावित ग्रामों के नाम
1	2	3
1	परगना मल्लावां	1—कुरसठ बुजुर्ग
		2—मवारपुर खुर्द
		3—डकोली
		4—भजेहटा
		5—मड़ियाई जफरपुर
		6—क्योटी ख्वाजफीपुर
		7—बरबोरा
		8—नेवादा परस
		9—भसूड़ा
		10—सतांपुर
		11—विशेश्वरपुर
		12—नसीपुर
		13—पत्तेपुर
		14—काल्हामऊ
		15—इन्दलापुर
		16—काजीपुर नई बस्ती
		17—सुआपुर
		18—बोभामऊ
		19—मीर नगर
		20—महनेपुर
		21—तरेहरिया
2	परगना कन्छदेऊ	1—मवइया
		2—नरायन मऊ
		3—ठठिया जाहिदपुर

पी0एस0यू0पी0—42 विधान सभा—28-9-81—835—(ओ0डी0)